

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
O.A. NO.913 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

MANAV SEWA SANSTHAN AND ANR.

...APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	List of documents on behalf of the Respondent No. 4/ M/s. Bajaj Hindusthan Sugar Limited to the Submissions dated 17.02.2025 filed by the Applicant along with affidavit.	1-5
2.	ANNEXURE-R-1: A copy of the Environment Impact Assessment notification dated 27.01.1994 issued by the Ministry of Environment and Forests.	6-19
3.	ANNEXURE-R-2: A copy of the Environmental NOC dated 11.09.2006 issued by the UPPCB to Respondent No. 4.	20-23
4.	ANNEXURE-R-3: A copy of the EIA Notification dated 14.09.2006 issued by the Ministry of Environment and Forests.	24-65
5.	ANNEXURE-R-4: A copy of the Interim Operational Guidelines till 13.09.2007 with respect to categories of projects which were not in EIA Notification, 1994, dated 21.11.2006 issued by the Ministry of Environment and Forests.	66-67
6.	ANNEXURE-R-5: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2007.	68-79

7.	ANNEXURE-R-6: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2008.	80-85
8.	ANNEXURE-R-7: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2009.	86-91
9.	ANNEXURE-R-8: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2010.	92-97
10.	ANNEXURE-R-9: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2011.	98-103
11.	ANNEXURE-R-10: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2012.	104-109
12.	ANNEXURE-R-11: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2013.	110-115
13.	ANNEXURE-R-12: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2014-15.	116-121
14.	ANNEXURE-R-13: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2016.	122-127
15.	ANNEXURE-R-14: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2017.	128-132

16.	ANNEXURE-R-15: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2018-19.	133-137
17.	ANNEXURE-R-16: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2020-21.	138-142
18.	ANNEXURE-R-17: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2022-23.	143-145
19.	ANNEXURE-R-18: A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2024-25.	146-151
20.	ANNEXURE-R-19: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2007.	152-163
21.	ANNEXURE-R-20: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2008.	164-169
22.	ANNEXURE-R-21: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2009.	170-175
23.	ANNEXURE-R-22: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2010.	176-181
24.	ANNEXURE-R-23: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2011.	182-187

25.	ANNEXURE-R-24: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2012.	188-193
26.	ANNEXURE-R-25: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2013.	194-199
27.	ANNEXURE-R-26: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2014-15.	200-205
28.	ANNEXURE-R-27: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2016.	206-211
29.	ANNEXURE-R-28: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2017.	212-217
30.	ANNEXURE-R-29: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2018-19.	218-223
31.	ANNEXURE-R-30: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2020-21.	224-228
32.	ANNEXURE-R-31: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2022-23.	229-232
33.	ANNEXURE-R-32: A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2024-25.	233-238

34.	ANNEXURE-R-33: A copy of the Letter dated 22.03.2007 issued to Respondent No. 4 by the Central Ground Water Authority with regards to Ground Water Clearance (NOC).	239
35.	ANNEXURE-R-34: A copy of the Public Notice No. 26-1/CGWA/2015 issued by the Central Ground Water Authority.	240-245
36.	ANNEXURE-R-35: A copy of the authorization/No-Objection Certificate for sinking of new / existing well for industrial/commercial/infrastructural or bulk user of ground water issued to Respondent No. 4 by the Ground Water Department, Ministry of Jal Shakti, Government of Uttar Pradesh for the period 18.10.2021 to 17.10.2026.	246-249
37.	ANNEXURE-R-36: A copy of the authorization/No-Objection Certificate for sinking of new / existing well for industrial/commercial/infrastructural or bulk user of ground water issued to Respondent No. 4 by the Ground Water Department, Ministry of Jal Shakti, Government of Uttar Pradesh for the period 18.10.2021 to 17.10.2026.	250-253
38.	ANNEXURE-R-37: A copy of the authorization/No-Objection Certificate for sinking of new / existing well for industrial/commercial/infrastructural or bulk user of ground water issued to Respondent No. 4 by the Ground Water Department, Ministry of Jal Shakti, Government of Uttar Pradesh for the period 18.10.2021 to 17.10.2026.	254-257
39.	ANNEXURE-R-38: A copy of the authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the year 2008.	258-259
40.	ANNEXURE-R-39: A copy of the authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the	260-261

	provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the year 2009.	
41.	ANNEXURE-R-40: A copy of the authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the year 2010.	262-263
42.	ANNEXURE-R-41: A copy of the authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the period 2012-15.	264-265
43.	ANNEXURE-R-42: A copy of the authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the period 2015-20.	266-267
44.	ANNEXURE-R-43: A copy of the authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the year 2020-25.	268-271
45.	Proof of Service.	272


FILED BY:

[SANJEEV KUMAR SINGH & BHISHM PRATAP SINGH]
(ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.4)

LEGAL VIBES (ADVOCATES & SOLICITORS)

G-27, FIRST FLOOR,

JANGPURA EXTENSION,

NEW DELHI-110014.

NEW DELHI

Dated: 21.04.2025

PH: 011-43580335; 9958682054.

EMAIL: legalvibes.lawfirm@gmail.com.

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI
O.A. NO.913 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

MANAV SEWA SANSTHAN AND ANR.

...**APPLICANTS**

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

...**RESPONDENTS**

**LIST OF DOCUMENTS ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.
4/ M/S. BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED TO THE
SUBMISSIONS DATED 17.02.2025 FILED BY THE APPLICANT.**

INDEX

Sr. No.	Particulars/Documents	Annexure
A. DETAILS/DOCUMENTS WITH RESPECT TO ENVIRONMENTAL CLEARANCE (EC) CERITIFICATE.		
1.	Environment Impact Assessment notification dated 27.01.1994 issued by the Ministry of Environment and Forests.	Annexure-R-1
2.	Environmental NOC dated 11.09.2006 issued by the UPPCB to Respondent No. 4.	Annexure-R-2
3.	EIA Notification dated 14.09.2006 issued by the Ministry of Environment and Forests.	Annexure-R-3
4.	Interim Operational Guidelines till 13.09.2007 with respect to categories of projects which were not in EIA Notification, 1994, dated 21.11.2006 issued by the Ministry of Environment and Forests.	Annexure-R-4
B. CONSENT TO OPERATE SECTION-21 OF THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 GRANTED BY THE UPPCB.		
5.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2007.	Annexure-R-5
6.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2008.	Annexure-R-6
7.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control	Annexure-R-7

	of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2009.	
8.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2010.	Annexure-R-8
9.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2011.	Annexure-R-9
10.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2012.	Annexure-R-10
11.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2013.	Annexure-R-11
12.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2014-15.	Annexure-R-12
13.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2016.	Annexure-R-13
14.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2017.	Annexure-R-14
15.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2018-19.	Annexure-R-15
16.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2020-21.	Annexure-R-16
17.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the	Annexure-R-17

	UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2022-23.	
18.	A Copy of Consent to Operate under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2024-25.	Annexure-R-18
C. CONSENT TO OPERATE UNDER SECTION-25 OF THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 GRANTED BY THE UPPCB.		
19.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2007.	Annexure-R-19
20.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2008.	Annexure-R-20
21.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2009.	Annexure-R-21
22.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2010.	Annexure-R-22
23.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2011.	Annexure-R-23
24.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2012.	Annexure-R-24
25.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2013.	Annexure-R-25
26.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2014-15.	Annexure-R-26
27.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention &	Annexure-R-27

	Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2016.	
28.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2017.	Annexure-R-28
29.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2018-19.	Annexure-R-29
30.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2020-21.	Annexure-R-30
31.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2022-23.	Annexure-R-31
32.	A copy of Consent to Operate under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 granted by the UPPCB to Respondent No. 4 for the year 2024-25.	Annexure-R-32
D. DOCUMENTS WITH RESPECT TO AUTHORIZATION/NOC FOR GROUND WATER EXTRACTION.		
33.	Letter dated 22.03.2007 issued to Respondent No. 4 by the Central Ground Water Authority with regards to Ground Water Clearance (NOC).	Annexure-R-33
34.	Public Notice No. 26-1/CGWA/2015 issued by the Central Ground Water Authority.	Annexure-R-34
35.	Authorization/No-Objection Certificate for sinking of new / existing well for industrial/commercial/infrastructural or bulk user of ground water issued to Respondent No. 4 by the Ground Water Department, Ministry of Jal Shakti, Government of Uttar Pradesh for the period 18.10.2021 to 17.10.2026.	Annexure-R-35
36.	Authorization/No-Objection Certificate for sinking of new / existing well for industrial/commercial/infrastructural or bulk user of ground water issued to Respondent No. 4 by the Ground Water Department, Ministry of Jal Shakti, Government of Uttar Pradesh for the period 18.10.2021 to 17.10.2026.	Annexure-R-36

37.	Authorization/No-Objection Certificate for sinking of new / existing well for industrial/commercial/infrastructural or bulk user of ground water issued to Respondent No. 4 by the Ground Water Department, Ministry of Jal Shakti, Government of Uttar Pradesh for the period 18.10.2021 to 17.10.2026.	Annexure-R-37
E. AUTHORIZATION/NOC RESPECT TO DISPOSAL OR RECYCLING OR UTILIZATION OR CO-PROCESSING OF HAZARDOUS WASTE.		
38.	Authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the year 2008.	Annexure-R-38
39.	Authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the year 2009.	Annexure-R-39
40.	Authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the year 2010.	Annexure-R-40
41.	Authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the period 2012-15.	Annexure-R-41
42.	Authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the period 2015-20.	Annexure-R-42
43.	Authorization issued to the Respondent No. 4 by UPPCB under the provisions of Hazardous and Other Wastes Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 for the year 2020-25.	Annexure-R-43


THROUGH:

**SANJEEV KUMAR SINGH & BHISHM PRATAP SINGH
(ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.4)**

LEGAL VIBES (ADVOCATES & SOLICITORS)

G-27, FIRST FLOOR,

JANGPURA EXTENSION,

NEW DELHI-110014.

PH: 011-43580335; 9958682054.

EMAIL: legalvibes.lawfirm@gmail.com.

NEW DELHI

Dated: 21.04.2025

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS**ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT NOTIFICATION S.O.60(E), dated
27/01/1994**

(incorporating amendments vide S.O. 356(E) dated 4/5/1994, S.O. 318(E) dated 10/4/1997, S.O. 319 dated 10/4/1997, S.O. 73(E) dated 27/1/2000, S.O. 1119(E) dated 13/12/2000, S.O. 737(E) dated 1/8/2001, S.O. 1148(E) dated 21/11/2001, S.O. 632(E) dated 13/06/2002)

- 1) **S.O. 60 (E)**- Whereas a notification under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 inviting objections from the public within sixty days from the date of publication of the said notification, against the intention of the Central Government to impose restrictions and prohibitions on the expansion and modernization of any activity or new projects being undertaken in any part of India unless environmental clearance has been accorded by the Central Government or the State Government in accordance with the procedure specified in that notification was published as SO No. 80(E) dated 28th January, 1993;

And whereas all objections received have been duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby directs that on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, expansion or modernization of any activity (if pollution load is to exceed the existing one, or new project listed in Schedule I to this notification, shall not be undertaken in any part of India unless it has been accorded environmental clearance by the Central Government in accordance with the procedure hereinafter specified in this notification;

- 2) Requirements and procedure for seeking environmental clearance of projects:

- I.(a) Any person who desires to undertake any new project in any part of India or the expansion or modernization of any existing industry or project listed in the Schedule-I shall submit an application to the Secretary, Ministry of Environment and Forests, New Delhi.

The application shall be made in the proforma specified in Schedule-II of this notification and shall be accompanied by a project report which shall, inter

alia, include an Environmental Impact Assessment Report, Environment Management Plan and details of public hearing as specified in Schedule-IV prepared in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests from time to time. However, Public Hearing is not required in respect of (i) small scale industrial undertakings located in (a) notified/designated industrial areas/industrial estates or (b) areas earmarked for industries under the jurisdiction of industrial development authorities; (ii) widening and strengthening of highways; (iii) mining projects (major minerals) with lease area up to twenty five hectares, (iv) units located in Export Processing Zones, Special Economic Zones and (v) modernisation of existing irrigation projects.

Provided that for pipeline projects, Environmental Impact Assessment report will not be required:

Provided further, that for pipeline and highway projects, public hearing shall be conducted in each district through which the pipeline or highway passes through.

(b) Cases rejected due to submission of insufficient or inadequate data and Plan may be reviewed as and when submitted with complete data and Plan. Submission of incomplete data or plans for the second time would itself be a sufficient reason for the Impact assessment Agency to reject the case summarily.

II. In case of the following site specific projects:

- a. mining;
- b. pit-head thermal power stations;
- c. hydro-power, major irrigation projects and/or their combination including flood control;
- d. ports and harbours (excluding minor ports);
- e. prospecting and exploration of major minerals in areas above 500 hectares;

The project authorities will intimate the location of the project site to the Central Government in the Ministry of Environment and Forests while initiating any investigation and surveys. The Central Government in the Ministry of Environment and Forests will convey a decision regarding suitability or otherwise of the proposed site within a maximum period of thirty days. The said site clearance shall be granted for a sanctioned capacity and shall be valid for a period of five years for commencing the construction, operation or mining.

- III. (a) The reports submitted with the application shall be evaluated and assessed by the Impact Assessment Agency, and if deemed necessary it may consult a committee of Experts, having a composition as specified in Schedule-III of this Notification. The Impact Assessment Agency (IAA) would be the Union Ministry of Environment and Forests. The Committee of Experts mentioned above shall be constituted by the Impact Assessment Agency or such other body under the Central Government authorised by the Impact Assessment Agency in this regard.
- (b) The said Committee of Experts shall have full right of entry and inspection of the site or, as the case may be, factory premises at any time prior to, during or after the commencement of the operations relating to the project.
- (c) The Impact Assessment Agency shall prepare a set of recommendations based on technical assessment of documents and data, furnished by the project authorities supplemented by data collected during visits to sites or factories, if undertaken and details of the public hearing.

The assessment shall be completed within a period of ninety days from receipt of the requisite documents and data from the project authorities and completion of public hearing and decision conveyed within thirty days thereafter.

The clearance granted shall be valid for a period of five years for commencement of the construction or operation of the project.

- IV. In order to enable the Impact Assessment Agency to monitor effectively the implementation of the recommendations and conditions subject to which the environmental clearance has been given, the project authorities concerned shall submit a half yearly report to the Impact Assessment Agency. Subject to the public interest, the Impact Assessment Agency shall make compliance reports publicly available.
- V. If no comments from the Impact Assessment Agency are received within the time limit, the project would be deemed to have been approved as proposed by project authorities.

3) Nothing contained in this Notification shall apply to:

- a. any item falling under entry Nos. 3, 18 and 20 of the Schedule-I to be located or proposed to be located in the areas covered by the Notifications S.O. No.102 (E) dated 1st February, 1989, S.O. 114 (E)

dated 20th February, 1991; S.O. No. 416 (E) dated 20th June, 1991 and S.O. No.319 (E) dated 7th May, 1992.

- b. any item falling under entry no.1,2,3,4,5,7,9,10,13,14,16,17,19,21,25,27 of Schedule-I if the investment is less than Rs.100 crores for new projects and less than Rs. 50 crores for expansion / modernization projects.
- c. any item reserved for Small Scale Industrial Sector with investment less than Rs. 1 crore.
- d. defence related road construction projects in border areas.
- e. any item falling under entry no. 8 of Schedule-I, if that product is covered by the notification G.S.R. 1037(E) dated 5th December 1989.
- f. Modernization projects in irrigation sector if additional command area is less than 10,000 hectares or project cost is less than Rs. 100 crores.

- 4) Concealing factual data or submission of false, misleading data/reports, decisions or recommendations would lead to the project being rejected. Approval, if granted earlier on the basis of false data, would also be revoked. Misleading and wrong information will cover the following:

- False information
- False data
- Engineered reports
- Concealing of factual data
- False recommendations or decisions

SCHEDULE-I**(See paras 1 and 2)****LIST OF PROJECTS REQUIRING ENVIRONMENTAL CLEARANCE FROM
THE CENTRAL GOVERNMENT**

1. Nuclear Power and related projects such as Heavy Water Plants, nuclear fuel complex, Rare Earths.
2. River Valley projects including hydel power, major Irrigation and their combination including flood control.
3. Ports, Harbours, Airports (except minor ports and harbours).
4. Petroleum Refineries including crude and product pipelines.
5. Chemical Fertilizers (Nitrogenous and Phosphatic other than single superphosphate).
6. Pesticides (Technical).
7. Petrochemical complexes (Both Olefinic and Aromatic) and Petrochemical intermediates such as DMT, Caprolactam, LAB etc. and production of basic plastics such as LLDPE, HDPE, PP, PVC.
8. Bulk drugs and pharmaceuticals.
9. Exploration for oil and gas and their production, transportation and storage.
10. Synthetic Rubber.
11. Asbestos and Asbestos products.
12. Hydrocyanic acid and its derivatives.
- 13 (a) Primary metallurgical industries (such as production of Iron and Steel, Aluminium, Copper, Zinc, Lead and Ferro Alloys).
(b) Electric arc furnaces (Mini Steel Plants).
14. Chlor alkali industry.
15. Integrated paint complex including manufacture of resins and basic raw materials required in the manufacture of paints.

16. Viscose Staple fibre and filament yarn.
17. Storage batteries integrated with manufacture of oxides of lead and lead antimony alloys.
18. All tourism projects between 200m—500 metres of High Water Line and at locations with an elevation of more than 1000 metres with investment of more than Rs.5 crores.
19. Thermal Power Plants.
20. Mining projects (major minerals) with leases more than 5 hectares.
21. Highway Projects except projects relating to improvement work including widening and strengthening of roads with marginal land acquisition along the existing alignments provided it does not pass through ecologically sensitive areas such as National Parks, Sanctuaries, Tiger Reserves, Reserve Forests
22. Tarred Roads in the Himalayas and or Forest areas.
23. Distilleries.
24. Raw Skins and Hides
25. Pulp, paper and newsprint.
26. Dyes.
27. Cement.
28. Foundries (individual)
29. Electroplating
30. Meta amino phenol

SCHEDULE-II**[See Sub-para I (a) of para 2]****Procedure for seeking environment clearance of projects.**

1. (1) Any persons who desires to establish a thermal power plant of any category mentioned n Schedule-I, shall submit an application to the Department of the State Government dealing with the subject of environment.

(2) The application shall be made in the Form 'A' specified in Schedule-II annexed to this notification and shall be accompanied by a detailed project report which shall, inter alia, include an Environmental Impact Assessment Report and an Environment Management plant prepared n accordance with the guidelines issued by the State Department of Environment from time to time.

(3) Cases rejected due to submission of insufficient or inadequate data and Action Plans may be reviewed as and when submitted with complete data and Action Plans. Submission of incomplete data for the second time would itself be a sufficient reason for the State Government to reject the case summarily.

5) In case of the pit-head thermal power plants, the applicant shall intimate the location of the project site to the State Government while initiating any investigation and surveys. The State Government will convey a decision regarding suitability or otherwise of the proposed site within a maximum period of thirty days. The said site clearance will be granted for a sanctioned capacity and it will be valid for a period of five years for commencing the construction or operation of the project.

3. (1) The applicant shall obtain No Objection Certificate from the concerned Pollution Control Board. The State Pollution Control Board shall issue No Objection Certificate to establish only after completing public hearing as specified in Schedule-IV annexed to this notification.

(2) The reports submitted with the application and No Objection Certificate from the State Pollution Control Board shall be evaluated and assessed by the State Government, in consultation with a Committee of experts which shall be constituted by the State Government as specified in Schedule-III appended to this notification.

(3) The said Committee of experts shall have full right of entry and inspection of the site or, as the case may be, factory premises at any time prior to, during or after the commencement of the preparations relating to the plant.

(4) The State Government Department dealing with the subject of Environment shall prepare a set of recommendations based on technical assessment of documents and data furnished by the applicant supplemented by data collected during visits to sites, if undertaken and interaction with affected population and environment groups, if necessary.

(5) The assessment shall be completed within a period of ninety days from receipt of the requisite documents and data from the applicant and decision conveyed within thirty days thereafter.

(6) the environmental clearance granted shall be valid for a period of five years from commencement of the construction or operation of the project.

4. Concealing factual data or submission of false, misleading data reports, decisions or recommendations would lead to the project being rejected. Approval, if granted, earlier on the basis of false data, can also be revoked.

(FORM A)

APPLICATION FORM

1. (a) Name and Address of the project proposed :

(b) Location of the project:

Name of the Place:

District, Tehsil:

Latitude/Longitude:

Nearest Airport/Railway Station :

(c) Alternate sites examined and the reasons for selecting the proposed site:

(d) Does the site conform to stipulated land use as per local land use plan:

2. Objectives of the project:

3. (a) Land Requirement:

Agriculture Land:

Forest land and Density of vegetation.

Other (specify):

(b) (i) Land use in the Catchment within 10 kms radius of the proposed site:

(ii) Topography of the area indicating gradient, aspects and altitude:

(iii) Erodibility classification of the proposed land:

(c) Pollution sources existing in 10 km radius and their impact on quality of air, water and land:

(d) Distance of the nearest National Park/Sanctuary/Biosphere Reserve/Monuments/heritage site/Reserve Forest:

(e) Rehabilitation plan for quarries/borrow areas:

(f) Green belt plan:

(g) Compensatory afforestation plan:

4. Climate and Air Quality:

(a) Windrose at site:

(b) Max/Min/Mean annual temperature:

(c) Frequency of inversion:

(d) Frequency of cyclones/tornadoes/cloud burst:

(e) Ambient air quality data:

(f) Nature & concentration of emission of SPM, Gas (CO, CO₂, NO_x, CH_n etc.) from the project:

5. Water balance:

(a) Water balance at site:

(b) Lean season water availability;

Water Requirement:

(c) Source to be tapped with competing users (River, Lake, Ground, Public supply):

(d) Water quality:

(e) Changes observed in quality and quantity of groundwater in the last years and present charging and extraction details:

- (f) (i) Quantum of waste water to be released with treatment details:
- (ii) Quantum of quality of water in the receiving body before and after disposal of solid wastes:
- (iii) Quantum of waste water to be released on land and type of land:

- (g) (i) Details of reservoir water quality with necessary Catchment Treatment Plan:
- (ii) Command Area Development Plan:

- 6. Solid wastes:
 - (a) Nature and quantity of solid wastes generated
 - (b) Solid waste disposal method:

- 7. Noise and Vibrations:
 - a. Sources of Noise and Vibrations:
 - b. Ambient noise level:
 - c. Noise and Vibration control measures proposed:
 - d. Subsidence problem, if any, with control measures:

- 8. Power requirement indicating source of supply: Complete environmental details to be furnished separately, if captive power unit proposed:
- 9. Peak labour force to be deployed giving details of:
 - o Endemic health problems in the area due to waste water/air/soil borne diseases:
 - o Health care system existing and proposed:
- 10. (a) Number of villages and population to be displaced:
- (b) Rehabilitation Master Plan:
- 11. Risk Assessment Report and Disaster Management Plan:
- 12. (a) Environmental Impact Assessment
- (b) Environment Management Plan:
- (c) Detailed Feasibility Report:
- (d) Duly filled in questionnaire

Report prepared as per guidelines issued by the Central Government in the MOEF from time to time:

- 13. Details of Environmental Management Cell:

I hereby give an undertaking that the data and information given above are due to the best of my knowledge and belief and I am aware that if any part of the data/information submitted is found to be false or misleading at any stage, the

project be rejected and the clearance given, if any, to the project is likely to be revoked at our risk and cost.

Signature of the applicant
With name and full address

Given under the seal of
Organisation
on behalf of Whom the applicant is
signing.

Date:

Place:

In respect to item for which data are not required or is not available as per the declaration of project proponent, the project would be considered on that basis.

SCHEDULE-III

[See Sub. Para(2), Para 3 of Schedule- II]

COMPOSITION OF THE EXPERT COMMITTEES FOR ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

1. The Committees will consist of experts in the following disciplines:

- i. Eco-system Management
- ii. Air/Water Pollution Control
- iii. Water Resource Management
- iv. Flora/Fauna conservation and management
- v. Land Use Planning
- vi. Social Sciences/Rehabilitation
- vii. Project Appraisal
- viii. Ecology

- ix. Environmental Health
 - x. Subject Area Specialists
 - xi. Representatives of NGOs/persons concerned with environmental issues.
2. The Chairman will be an outstanding and experienced ecologist or environmentalist or technical professional with wide managerial experience in the relevant development sector.
 3. The representative of Impact Assessment Agency will act as a Member-Secretary.
 4. Chairman and Members will serve in their individual capacities except those specifically nominated as representatives.
 5. The Membership of a Committee shall not exceed 15.

SCHEDULE IV

(See para 3, subparagraph (2) of Schedule- II)

PROCEDURE FOR PUBLIC HEARING

(1) Process of Public Hearing: - Whoever apply for environmental clearance of projects, shall submit to the concerned State Pollution Control Board twenty sets of the following documents namely: -

- i. An executive summary containing the salient features of the project both in English as well as the local language along with Environmental Impact Assessment (EIA). However, for pipeline project, Environmental Impact Assessment report will not be required. But Environmental Management Plan including risk mitigation measures is required.
- ii. Form XIII prescribed under Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975 where discharge of sewage, trade effluents, treatment of water in any form, is required.
- iii. Form I prescribed under Air (Prevention and Control of Pollution) Union Territory Rules, 1983 where discharge of emissions are involved in any process, operation or industry.

- iv. Any other information or document which is necessary in the opinion of the Board for their final disposal of the application.

(2) Notice of Publics Hearing: -(i) The State Pollution Control Board shall cause a notice for environmental public hearing which shall be published in at least two newspapers widely circulated in the region around the project, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned. State Pollution Control Board shall mention the date, time and place of public hearing. Suggestions, views, comments and objections of the public shall be invited within thirty days from the date of publication of the notification.

- (ii) All persons including bona fide residents, environmental groups and others located at the project site/sites of displacement/sites likely to be affected can participate in the public hearing. They can also make oral/written suggestions to the State Pollution Control Board.

Explanation: - For the purpose of the paragraph person means: -

- a. any person who is likely to be affected by the grant of environmental clearance;
- b. any person who owns or has control over the project with respect to which an application has been submitted for environmental clearance;
- c. any association of persons whether incorporated or not like to be affected by the project and/or functioning in the filed of environment;
- d. any local authority within any part of whose local limits is within the neighbourhood wherein the project is proposed to be located.

(3) Composition of public hearing panel: - The composition of Public Hearing Panel may consist of the following, namely: -

- (i) Representative of State Pollution Control Board;
- (ii) District Collector or his nominee;
- (iii) Representative of State Government dealing with the subject;
- (iv) Representative of Department of the State Government dealing with Environment;
- (v) Not more than three representatives of the local bodies such as Municipalities or panchayats;
- (vi) Not more than three senior citizens of the area nominated by the District Collector.

(4) Access to the Executive Summary and Environmental Impact Assessment report:- The concerned persons shall be provided access to the

Executive Summary and Environmental Impact Assessment report of the project at the following places, namely:-

- (i) District Collector Office;
- (ii) District Industry Centre;
- (iii) In the Office of the Chief Executive Officers of Zila Praishad or Commissioner of the Municipal Corporation/Local body as the case may be;
- (iv) In the head office of the concerned State Pollution Control Board and its concerned Regional Office;
- (v) In the concerned Department of the State Government dealing with the subject of environment.

5. Time period for completion of public hearing:

The public hearing shall be completed within a period of 60 days from the date of receipt of complete documents as required under paragraph 1.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

20

संदर्भ संख्या 100861 / सी-६/एन०ओ०सी०/

दिनांक 11-9-06

सेवा में

मे० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,
(पूर्व में प्रतापपुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज)
इटई, मैद्य, उतरीला,
बलरामपुर।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/ कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में
विस्तार /संयंत्रों के त्रिवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.03.06 का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :-

(क) स्थल गांव संख्या (आवेदन के पृष्ठ-३ के अंश संख्या २.२ में दी गयी) सूचानुसार,
ग्राम- इटई, मैद्य, तहसील- उतरीला, जनपद- बलरामपुर।

(ख) उत्पादन गन्ने की क्रसिंग क्षमता १२००० टन/दिन

२- को जनरेशन पावर प्लान्ट ३३ मेगावाट

(ग) मुख्य कच्चे माल : गन्ना १२००० टन/दिन

21

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : १२०० किलो/दिन

(ड) प्रयुक्त ईंधन : गन्ने की खेई २२५० टन/दिन का प्रयोग ९० टन/घंटा के तीन ब्वायलर में

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हारित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।
3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ७० कि०ली० प्रति दिन से अधिक नहीं होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक तीन माह तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।
- ७- औद्योगिक उत्प्रवाह की अधिकतम निस्तारण मात्रा ०.१ कि०ली०/टन केन क्रसिंग अधिकतम १२०० कि०ली०/दिन से अधिक नहीं हो तथा प्रत्येक दश में चार्टर में प्राविधानित प्राविधानों का अनुपालन किया जाये। औद्योगिक उत्प्रवाह का निस्तारण किसी भी दश में सरिता, नदी व नाले में नहीं किया जाये।
- ८- औद्योगिक उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु राज्य बोर्ड को प्रेषित प्रस्ताव के अनुरूप समुचित क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र व्यवस्था जैसे- बारस्क्रीन, आयल एण्ड ग्रीस ट्रेप, इक्वालाइजेशन टैंक, न्यूट्रलाइजेशन टैंक, कैमिकल मिक्सिंग टैंक, प्राइमरी क्लेयरीफायर(मैकेनिकल), ऐरेशन टैंक, डिफ्यूज्ड ऐरेशन सहित ५० अश्व शक्ति के दो कम्प्रेसर, सेकण्डरी क्लेयरीफायर, स्लज डाइंग वेड्स स्थापित किये जायें तथा कार्बन फिल्टर व सैण्ड फिल्टर के माध्यम से कलर रिमूवल सुनिश्चित कर ७५ प्रतिशत भ्रग पुनः प्रयोग में लिया जाये तथा शेष २५ प्रतिशत भ्रग सिंचाई हेतु प्रयोग में लिया जाये। विस्तृत प्रस्ताव आख्या दो माह में प्रेषित किया जाये।
- ९- १० टन/घंटा के तीन ब्वायलर में अधिकतम गन्ने की खेई का उपयोग २२५० टन/दिन से जनित वायु उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु चार्टर के प्राविधानों के अनुरूप अलग-अलग वेन्चुरीस्क्रबर/इ.यस.पी. अदि तथा ६५ मी० ऊँची दो चिमनी इस प्रकार से स्थापित किये जायें कि वायु उत्सर्जन में पार्टिकुलेट की मात्रा १५० एम०जी०/घन मीटर से कम रहे। विस्तृत एवं संशोधित स्पष्ट प्रस्ताव दो माह में आवश्यक रूप से प्रेषित किया जाये। चिमनी पर समुचित मानिटरींग व्यवस्था भी किया जाये।
- १०- उद्योग के लाइसेन्स की प्रति १० दिन में प्रेषित किया जाये।
- ११- परिसर के कुल क्षेत्रफल का ३३ प्रतिशत भ्रग हरित पट्टिका/ वृक्ष रोपड़ हेतु प्रयोग किया जाना अनिवार्य है।
- १२- उद्योग के ट्वावल उत्पादन के पूर्व राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सख्त कि प्राप्त किना जाना अनिवार्य है।
- १३- रेनवाटर हारवेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था सहित पीजे मीटर की स्थापना किया जाना अनिवार्य है।
- १४- इवर्ई में सम्भविता दुर्घटना की रोकथाम हेतु एड् दुर्घटनाओं से निपटने हेतु डिजास्टर मैनेजमेन्ट प्लान का त्त्रिभाग के अनुमोदित करकर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- १५- उद्योग से जनित होने वाले ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व स्थापित किया जाये।
- १६- प्रस्तावित स्थल का भू-प्रयोग प्रमाण पत्र औद्योगिक प्रयोग हेतु सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- १७- ३८० क०वी०ए० के ६ संख्या क डीजल जनरेटर सेटों को एकास्टिक इनक्लोजर सहित अलग-अलग भ्रग छत से कम से कम ४ मीटर ऊँची रखी जाये।
- १८- उपरोक्त शर्त संख्या ८, ९, ११, १२, १३ के अनुपालन हेतु रुपये ५.० लाख की बैंक गारन्टी पत्र प्राप्ति के दो माह में प्रेषित करें।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन करने पर बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनुपालन की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एवं सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में द्वािंत्रांरु रीन माद तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव 9/06

पृष्ठांकन सं. / एन. ओ. सी.

तद दिनांक

प्रतिलिपि

1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फैजाबाद
- 4.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त- ६)

(Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, and Section 3, Sub-section (ii)
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi 14th September, 2006

Notification

S.O. 1533 Whereas, a draft notification **under sub-rule (3) of Rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for imposing** certain restrictions and prohibitions on new projects or activities, or on the expansion or modernization of existing projects or activities based on their potential environmental impacts as indicated in the Schedule to the notification, being undertaken in any part of India¹, unless prior environmental clearance has been accorded in accordance with the objectives of National Environment Policy **as approved by the Union Cabinet on 18th May, 2006** and the procedure specified in the notification, by the Central Government or the State or Union territory Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), to be constituted by the Central Government in consultation with the State Government or the Union territory Administration concerned under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for the purpose of this notification, was published in the Gazette of India ,Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1324 (E) dated the 15th September ,2005 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15th September, 2005;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification number S.O. 60 (E) dated the 27th January, 1994, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that on and from the date of its publication the required construction of new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification entailing capacity addition with change in process and or technology shall be undertaken in any part of India only after the prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified hereinafter in this notification.

¹Includes the territorial waters

2. Requirements of prior Environmental Clearance (EC):- The following projects or activities shall require prior environmental clearance from the concerned regulatory authority, which shall hereinafter referred to be as the Central Government in the Ministry of Environment and Forests for matters falling under Category 'A' in the Schedule and at State level the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) for matters falling under Category 'B' in the said Schedule, before any construction work, or preparation of land by the project management except for securing the land, is started on the project or activity:

- (i) All new projects or activities listed in the Schedule to this notification;
- (ii) Expansion and modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to this notification with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector, that is, projects or activities which cross the threshold limits given in the Schedule, after expansion or modernization;
- (iii) Any change in product - mix in an existing manufacturing unit included in Schedule beyond the specified range.

3. State Level Environment Impact Assessment Authority:- (1) A State Level Environment Impact Assessment Authority hereinafter referred to as the SEIAA shall be constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of three Members including a Chairman and a Member – Secretary to be nominated by the State Government or the Union territory Administration concerned.

- (2) The Member-Secretary shall be a serving officer of the concerned State Government or Union territory administration familiar with environmental laws.
- (3) The other two Members shall be either a professional or expert fulfilling the eligibility criteria given in Appendix VI to this notification.
- (4) One of the specified Members in sub-paragraph (3) above who is an expert in the Environmental Impact Assessment process shall be the Chairman of the SEIAA.
- (5) The State Government or Union territory Administration shall forward the names of the Members and the Chairman referred in sub- paragraph 3 to 4 above to the Central Government and the Central Government shall constitute the SEIAA as an authority for the purposes of this notification within thirty days of the date of receipt of the names.
- (6) The non-official Member and the Chairman shall have a fixed term of three years (from the date of the publication of the notification by the Central Government constituting the authority).
- (7) All decisions of the SEIAA shall be unanimous and taken in a meeting.

4. Categorization of projects and activities:-

- (i) All projects and activities are broadly categorized in to two categories - Category A and Category B, based on the spatial extent of potential impacts and potential impacts on human health and natural and man made resources.

(ii) All projects or activities included as Category 'A' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities and change in product mix, shall require prior environmental clearance from the Central Government in the Ministry of Environment and Forests (MoEF) on the recommendations of an Expert Appraisal Committee (EAC) to be constituted by the Central Government for the purposes of this notification;

(iii) All projects or activities included as Category 'B' in the Schedule, including expansion and modernization of existing projects or activities as specified in sub paragraph (ii) of paragraph 2, or change in product mix as specified in sub paragraph (iii) of paragraph 2, but excluding those which fulfill the General Conditions (GC) stipulated in the Schedule, *will* require prior environmental clearance from the State/Union territory Environment Impact Assessment Authority (SEIAA). The SEIAA shall base its decision on the recommendations of a State or Union territory level Expert Appraisal Committee (SEAC) as to be constituted for in this notification. In the absence of a duly constituted SEIAA or SEAC, a Category 'B' project shall be treated as a Category 'A' project;

5. Screening, Scoping and Appraisal Committees:-

The same Expert Appraisal Committees (EACs) at the Central Government and SEACs (hereinafter referred to as the (EAC) and (SEAC) at the State or the Union territory level shall screen, scope and appraise projects or activities in Category 'A' and Category 'B' respectively. EAC and SEAC's shall meet at least once every month.

(a) The composition of the EAC shall be as given in Appendix VI. The SEAC at the State or the Union territory level shall be constituted by the Central Government in consultation with the concerned State Government or the Union territory Administration with identical composition;

(b) The Central Government may, with the prior concurrence of the concerned State Governments or the Union territory Administrations, constitutes one SEAC for more than one State or Union territory for reasons of administrative convenience and cost;

(c) The EAC and SEAC shall be reconstituted after every three years;

(d) The authorised members of the EAC and SEAC, concerned, may inspect any site(s) connected with the project or activity in respect of which the prior environmental clearance is sought, for the purposes of screening or scoping or appraisal, with prior notice of at least seven days to the applicant, who shall provide necessary facilities for the inspection;

(e) The EAC and SEACs shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

6. Application for Prior Environmental Clearance (EC):-

An application seeking prior environmental clearance in all cases shall be made in the prescribed Form 1 annexed herewith and Supplementary Form 1A, if applicable, as given in Appendix II, after the identification of prospective site(s) for the project and/or activities to which the application relates, before commencing any construction activity, or preparation of land, at the site by the applicant. The applicant shall furnish, along with the application, a copy of the pre-feasibility project report except that, in case of construction projects or activities (item 8 of the Schedule) in addition to Form 1 and the Supplementary Form 1A, a copy of the conceptual plan shall be provided, instead of the pre-feasibility report.

7. Stages in the Prior Environmental Clearance (EC) Process for New Projects:-

7(i) The environmental clearance process for new projects will comprise of a maximum of four stages, all of which may not apply to particular cases as set forth below in this notification. These four stages in sequential order are:-

- Stage (1) Screening (Only for Category ‘B’ projects and activities)
- Stage (2) Scoping
- Stage (3) Public Consultation
- Stage (4) Appraisal

I. Stage (1) - Screening:

In case of Category ‘B’ projects or activities, this stage will entail the scrutiny of an application seeking prior environmental clearance made in Form 1 by the concerned State level Expert Appraisal Committee (SEAC) for determining whether or not the project or activity requires further environmental studies for preparation of an Environmental Impact Assessment (EIA) for its appraisal prior to the grant of environmental clearance depending up on the nature and location specificity of the project . The projects requiring an Environmental Impact Assessment report shall be termed Category ‘B1’ and remaining projects shall be termed Category ‘B2’ and will not require an Environment Impact Assessment report. For categorization of projects into B1 or B2 except item 8 (b), the Ministry of Environment and Forests shall issue appropriate guidelines from time to time.

II. Stage (2) - Scoping:

(i) “Scoping”: refers to the process by which the Expert Appraisal Committee in the case of Category ‘A’ projects or activities, and State level Expert Appraisal Committee in the case of Category ‘B1’ projects or activities, including applications for expansion and/or modernization and/or change in product mix of existing projects or activities, determine detailed and comprehensive Terms Of Reference (TOR) addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an Environment Impact Assessment (EIA) Report in respect of the project or activity for which prior environmental clearance is sought. The Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned shall determine the Terms of Reference on the basis of the information furnished in the prescribed application Form1/Form 1A including Terms of Reference proposed by the applicant, a site visit by a sub- group of Expert Appraisal Committee or State level Expert Appraisal Committee concerned only if considered necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, Terms of Reference suggested by the applicant if furnished and other information that may be available with the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. All projects and activities listed as Category ‘B’ in Item 8 of the Schedule (Construction/Township/Commercial Complexes /Housing) shall not require Scoping and will be appraised on the basis of Form 1/ Form 1A and the conceptual plan.

(ii) The Terms of Reference (TOR) shall be conveyed to the applicant by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as concerned within sixty days of the receipt of Form 1. In the case of Category A Hydroelectric projects Item 1(c) (i) of the Schedule the Terms of Reference shall be conveyed along with the clearance for pre-construction activities .If the Terms of Reference are not finalized and conveyed to the applicant within sixty days of the receipt of Form 1, the Terms of Reference suggested by the applicant shall be deemed as the final Terms of Reference approved for the EIA studies. The approved Terms of

Reference shall be displayed on the website of the Ministry of Environment and Forests and the concerned State Level Environment Impact Assessment Authority.

(iii) Applications for prior environmental clearance may be rejected by the regulatory authority concerned on the recommendation of the EAC or SEAC concerned at this stage itself. In case of such rejection, the decision together with reasons for the same shall be communicated to the applicant in writing within sixty days of the receipt of the application.

III. Stage (3) - Public Consultation:

(i) "Public Consultation" refers to the process by which the concerns of local affected persons and others who have plausible stake in the environmental impacts of the project or activity are ascertained with a view to taking into account all the material concerns in the project or activity design as appropriate. All Category 'A' and Category B1 projects or activities shall undertake Public Consultation, except the following:-

- (a) modernization of irrigation projects (item 1(c) (ii) of the Schedule).
- (b) all projects or activities located within industrial estates or parks (item 7(c) of the Schedule) approved by the concerned authorities, and which are not disallowed in such approvals.
- (c) expansion of Roads and Highways (item 7 (f) of the Schedule) which do not involve any further acquisition of land.
- (d) all Building /Construction projects/Area Development projects and Townships (item 8).
- (e) all Category 'B2' projects and activities.
- (f) all projects or activities concerning national defence and security or involving other strategic considerations as determined by the Central Government.

(ii) The Public Consultation shall ordinarily have two components comprising of:-

(a) a public hearing at the site or in its close proximity- district wise, to be carried out in the manner prescribed in Appendix IV, for ascertaining concerns of local affected persons;

(b) obtain responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity.

(iii) the public hearing at, or in close proximity to, the site(s) in all cases shall be conducted by the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) concerned in the specified manner and forward the proceedings to the regulatory authority concerned within 45(forty five) of a request to the effect from the applicant.

(iv) in case the State Pollution Control Board or the Union territory Pollution Control Committee concerned does not undertake and complete the public hearing within the specified period, and/or does not convey the proceedings of the public hearing within the prescribed period

directly to the regulatory authority concerned as above, the regulatory authority shall engage another public agency or authority which is not subordinate to the regulatory authority, to complete the process within a further period of forty five days,.

(v) If the public agency or authority nominated under the sub paragraph (iii) above reports to the regulatory authority concerned that owing to the local situation, it is not possible to conduct the public hearing in a manner which will enable the views of the concerned local persons to be freely expressed, it shall report the facts in detail to the concerned regulatory authority, which may, after due consideration of the report and other reliable information that it may have, decide that the public consultation in the case need not include the public hearing.

(vi) For obtaining responses in writing from other concerned persons having a plausible stake in the environmental aspects of the project or activity, the concerned regulatory authority and the State Pollution Control Board (SPCB) or the Union territory Pollution Control Committee (UTPCC) shall invite responses from such concerned persons by placing on their website the Summary EIA report prepared in the format given in Appendix IIIA by the applicant along with a copy of the application in the prescribed form , within seven days of the receipt of a written request for arranging the public hearing . Confidential information including non-disclosable or legally privileged information involving Intellectual Property Right, source specified in the application shall not be placed on the web site. The regulatory authority concerned may also use other appropriate media for ensuring wide publicity about the project or activity. The regulatory authority shall, however, make available on a written request from any concerned person the Draft EIA report for inspection at a notified place during normal office hours till the date of the public hearing. All the responses received as part of this public consultation process shall be forwarded to the applicant through the quickest available means.

(vii) After completion of the public consultation, the applicant shall address all the material environmental concerns expressed during this process, and make appropriate changes in the draft EIA and EMP. The final EIA report, so prepared, shall be submitted by the applicant to the concerned regulatory authority for appraisal. The applicant may alternatively submit a supplementary report to draft EIA and EMP addressing all the concerns expressed during the public consultation.

IV. Stage (4) - Appraisal:

(i) Appraisal means the detailed scrutiny by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee of the application and other documents like the Final EIA report, outcome of the public consultations including public hearing proceedings, submitted by the applicant to the regulatory authority concerned for grant of environmental clearance. This appraisal shall be made by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned in a transparent manner in a proceeding to which the applicant shall be invited for furnishing necessary clarifications in person or through an authorized representative. On conclusion of this proceeding, the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall make categorical recommendations to the regulatory authority concerned either for grant of prior environmental clearance on stipulated terms and conditions, or rejection of the application for prior environmental clearance, together with reasons for the same.

(ii) The appraisal of all projects or activities which are not required to undergo public consultation, or submit an Environment Impact Assessment report, shall be carried out on the basis of the prescribed application Form 1 and Form 1A as applicable, any other relevant

validated information available and the site visit wherever the same is considered as necessary by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iii) The appraisal of an application shall be completed by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within sixty days of the receipt of the final Environment Impact Assessment report and other documents or the receipt of Form 1 and Form 1 A, where public consultation is not necessary and the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee shall be placed before the competent authority for a final decision within the next fifteen days. The prescribed procedure for appraisal is given in Appendix V ;

7(ii). Prior Environmental Clearance (EC) process for Expansion or Modernization or Change of product mix in existing projects:

All applications seeking prior environmental clearance for expansion with increase in the production capacity beyond the capacity for which prior environmental clearance has been granted under this notification or with increase in either lease area or production capacity in the case of mining projects or for the modernization of an existing unit with increase in the total production capacity beyond the threshold limit prescribed in the Schedule to this notification through change in process and or technology or involving a change in the product –mix shall be made in Form I and they shall be considered by the concerned Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee within sixty days, who will decide on the due diligence necessary including preparation of EIA and public consultations and the application shall be appraised accordingly for grant of environmental clearance.

8. Grant or Rejection of Prior Environmental Clearance (EC):

(i) The regulatory authority shall consider the recommendations of the EAC or SEAC concerned and convey its decision to the applicant within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned or in other words within one hundred and five days of the receipt of the final Environment Impact Assessment Report, and where Environment Impact Assessment is not required, within one hundred and five days of the receipt of the complete application with requisite documents, except as provided below.

(ii) The regulatory authority shall normally accept the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned. In cases where it disagrees with the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, the regulatory authority shall request reconsideration by the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned within forty five days of the receipt of the recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned while stating the reasons for the disagreement. An intimation of this decision shall be simultaneously conveyed to the applicant. The Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned, in turn, shall consider the observations of the regulatory authority and furnish its views on the same within a further period of sixty days. The decision of the regulatory authority after considering the views of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be final and conveyed to the applicant by the regulatory authority concerned within the next thirty days.

(iii) In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the

applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned.

(iv) On expiry of the period specified for decision by the regulatory authority under paragraph (i) and (ii) above, as applicable, the decision of the regulatory authority, and the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned shall be public documents.

(v) Clearances from other regulatory bodies or authorities shall not be required prior to receipt of applications for prior environmental clearance of projects or activities, or screening, or scoping, or appraisal, or decision by the regulatory authority concerned, unless any of these is sequentially dependent on such clearance either due to a requirement of law, or for necessary technical reasons.

(vi) Deliberate concealment and/or submission of false or misleading information or data which is material to screening or scoping or appraisal or decision on the application shall make the application liable for rejection, and cancellation of prior environmental clearance granted on that basis. Rejection of an application or cancellation of a prior environmental clearance already granted, on such ground, shall be decided by the regulatory authority, after giving a personal hearing to the applicant, and following the principles of natural justice.

9. Validity of Environmental Clearance (EC):

The “Validity of Environmental Clearance” is meant the period from which a prior environmental clearance is granted by the regulatory authority, or may be presumed by the applicant to have been granted under sub paragraph (iv) of paragraph 7 above, to the start of production operations by the project or activity, or completion of all construction operations in case of construction projects (item 8 of the Schedule), to which the application for prior environmental clearance refers. The prior environmental clearance granted for a project or activity shall be valid for a period of ten years in the case of River Valley projects (item 1(c) of the Schedule), project life as estimated by Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee subject to a maximum of thirty years for mining projects and five years in the case of all other projects and activities. However, in the case of Area Development projects and Townships [item 8(b)], the validity period shall be limited only to such activities as may be the responsibility of the applicant as a developer. This period of validity may be extended by the regulatory authority concerned by a maximum period of five years provided an application is made to the regulatory authority by the applicant within the validity period, together with an updated Form 1, and Supplementary Form 1A, for Construction projects or activities (item 8 of the Schedule). In this regard the regulatory authority may also consult the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee as the case may be.

10. Post Environmental Clearance Monitoring:

(i) It shall be mandatory for the project management to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copies to the regulatory authority concerned, on 1st June and 1st December of each calendar year.

(ii) All such compliance reports submitted by the project management shall be public documents. Copies of the same shall be given to any person on application to the concerned regulatory authority. The latest such compliance report shall also be displayed on the web site of the concerned regulatory authority.

11. Transferability of Environmental Clearance (EC):

A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written “no objection” by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.

12. Operation of EIA Notification, 1994, till disposal of pending cases:

From the date of final publication of this notification the Environment Impact Assessment (EIA) notification number S.O.60 (E) dated 27th January, 1994 is hereby superseded, except in suppression of the things done or omitted to be done before such suppression to the extent that in case of all or some types of applications made for prior environmental clearance and pending on the date of final publication of this notification, the Central Government may relax any one or all provisions of this notification except the list of the projects or activities requiring prior environmental clearance in Schedule I , or continue operation of some or all provisions of the said notification, for a period not exceeding one year from the date of issue of this notification.

[No. J-11013/56/2004-IA-II (I)]

(R.CHANDRAMOHAN)
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

SCHEDULE

(See paragraph 2 and 7)

LIST OF PROJECTS OR ACTIVITIES REQUIRING PRIOR ENVIRONMENTAL CLEARANCE

Project or Activity		Category with threshold limit		Conditions if any
		A	B	
1		Mining, extraction of natural resources and power generation (for a specified production capacity)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(a)	Mining of minerals	<p>≥ 50 ha. of mining lease area</p> <p>Asbestos mining irrespective of mining area</p>	<p><50 ha</p> <p>≥ 5 ha .of mining lease area.</p>	<p>General Condition shall apply</p> <p><u>Note</u> Mineral prospecting (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey</p>
1(b)	Offshore and onshore oil and gas exploration, development & production	All projects		<p><u>Note</u> Exploration Surveys (not involving drilling) are exempted provided the concession areas have got previous clearance for physical survey</p>
1(c)	River Valley projects	<p>(i) ≥ 50 MW hydroelectric power generation;</p> <p>(ii) ≥ 10,000 ha. of culturable command area</p>	<p>(i) < 50 MW ≥ 25 MW hydroelectric power generation;</p> <p>(ii) < 10,000 ha. of culturable command area</p>	General Condition shall apply
1(d)	Thermal Power Plants	<p>≥ 500 MW (coal/lignite/naphtha & gas based);</p> <p>≥ 50 MW (Pet coke diesel and all other fuels -)</p>	<p>< 500 MW (coal/lignite/naphtha & gas based);</p> <p><50 MW</p> <p>≥ 5MW (Pet coke ,diesel and all other fuels)</p>	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(e)	Nuclear power projects and processing of nuclear fuel	All projects	-	
2		Primary Processing		
2(a)	Coal washeries	≥ 1 million ton/annum throughput of coal	<1million ton/annum throughput of coal	General Condition shall apply (If located within mining area the proposal shall be appraised together with the mining proposal)
2 (b)	Mineral beneficiation	≥ 0.1million ton/annum mineral throughput	< 0.1million ton/annum mineral throughput	General Condition shall apply (Mining proposal with Mineral beneficiation shall be appraised together for grant of clearance)

3	Materials Production			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3(a)	Metallurgical industries (ferrous & non ferrous)	a)Primary metallurgical industry All projects b) Sponge iron manufacturing ≥ 200 TPD c)Secondary metallurgical processing industry All toxic and heavy metal producing units $\geq 20,000$ tonnes /annum -	Sponge iron manufacturing <200 TPD Secondary metallurgical processing industry i.)All toxic and heavy metal producing units $<20,000$ tonnes /annum ii.)All other non –toxic secondary metallurgical processing industries >5000 tonnes/annum	General Condition shall apply for Sponge iron manufacturing
3(b)	Cement plants	≥ 1.0 million tonnes/annum production capacity	<1.0 million tonnes/annum production capacity. All Stand alone grinding units	General Condition shall apply

4	Materials Processing			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4(a)	Petroleum refining industry	All projects	-	-
4(b)	Coke oven plants	≥2,50,000 tonnes/annum -	<2,50,000 & ≥25,000 tonnes/annum	-
4(c)	Asbestos milling and asbestos based products	All projects	-	-
4(d)	Chlor-alkali industry	≥300 TPD production capacity or a unit located outside the notified industrial area/estate	<300 TPD production capacity and located within a notified industrial area/estate	Specific Condition shall apply No new Mercury Cell based plants will be permitted and existing units converting to membrane cell technology are exempted from this Notification
4(e)	Soda ash Industry	All projects	-	-
4(f)	Leather/skin/hide processing industry	New projects outside the industrial area or expansion of existing units outside the industrial area	All new or expansion of projects located within a notified industrial area/estate	Specific condition shall apply
5	Manufacturing/Fabrication			
5(a)	Chemical fertilizers	All projects	-	-
5(b)	Pesticides industry and pesticide specific intermediates (excluding formulations)	All units producing technical grade pesticides	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(c)	Petro-chemical complexes (industries based on processing of petroleum fractions & natural gas and/or reforming to aromatics)	All projects -	-	-
5(d)	Manmade fibres manufacturing	Rayon	Others	General Condition shall apply
5(e)	Petrochemical based processing (processes other than cracking & reformation and not covered under the complexes)	Located out side the notified industrial area/ estate -	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(f)	Synthetic organic chemicals industry (dyes & dye intermediates; bulk drugs and intermediates excluding drug formulations; synthetic rubbers; basic organic chemicals, other synthetic organic chemicals and chemical intermediates)	Located out side the notified industrial area/ estate	Located in a notified industrial area/ estate	Specific Condition shall apply
5(g)	Distilleries	(i) All Molasses based distilleries (ii) All Cane juice/ non-molasses based distilleries ≥ 30 KLD	All Cane juice/non-molasses based distilleries - <30 KLD	General Condition shall apply
5(h)	Integrated paint industry	-	All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5(i)	Pulp & paper industry excluding manufacturing of paper from waste paper and manufacture of paper from ready pulp with out bleaching	Pulp manufacturing and Pulp& Paper manufacturing industry -	Paper manufacturing industry without pulp manufacturing	General Condition shall apply
5(j)	Sugar Industry	- -	≥ 5000 tcd cane crushing capacity	General Condition shall apply
5(k)	Induction/arc furnaces/cupola furnaces 5TPH or more	- -	All projects	General Condition shall apply
6		Service Sectors		
6(a)	Oil & gas transportation pipe line (crude and refinery/ petrochemical products), passing through national parks /sanctuaries/coral reefs /ecologically sensitive areas including LNG Terminal	All projects -		-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6(b)	Isolated storage & handling of hazardous chemicals (As per threshold planning quantity indicated in column 3 of schedule 2 & 3 of MSIHC Rules 1989 amended 2000)	-	All projects	General Condition shall apply
7		Physical Infrastructure including Environmental Services		
7(a)	Air ports	All projects	-	-
7(b)	All ship breaking yards including ship breaking units	All projects	-	-
7(c)	Industrial estates/ parks/ complexes/ areas, export processing Zones (EPZs), Special Economic Zones (SEZs), Biotech Parks, Leather Complexes.	If at least one industry in the proposed industrial estate falls under the Category A, entire industrial area shall be treated as Category A, irrespective of the area. Industrial estates with area greater than 500 ha. and housing at least one Category B industry.	-Industrial estates housing at least one Category B industry and area <500 ha. Industrial estates of area > 500 ha. and not housing any industry belonging to Category A or B.	Special condition shall apply Note: Industrial Estate of area below 500 ha. and not housing any industry of category A or B does not require clearance.
7(d)	Common hazardous waste treatment, storage and disposal facilities (TSDFs)	All integrated facilities having incineration & landfill or incineration alone	All facilities having land fill only	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7(e)	Ports, Harbours	≥ 5 million TPA of cargo handling capacity (excluding fishing harbours)	< 5 million TPA of cargo handling capacity and/or ports/ harbours ≥10,000 TPA of fish handling capacity	General Condition shall apply
7(f)	Highways	i) New National High ways; and ii) Expansion of National High ways greater than 30 KM, involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition and passing through more than one State.	i) New State High ways; and ii) Expansion of National / State Highways greater than 30 km involving additional right of way greater than 20m involving land acquisition.	General Condition shall apply
7(g)	Aerial ropeways		All projects	General Condition shall apply
7(h)	Common Effluent Treatment Plants (CETPs)		All projects	General Condition shall apply
7(i)	Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF)		All projects	General Condition shall apply

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		Building /Construction projects/Area Development projects and Townships		
8(a)	Building and Construction projects		≥20000 sq.mtrs and <1,50,000 sq.mtrs. of built-up area#	#(built up area for covered construction; in the case of facilities open to the sky, it will be the activity area)
8(b)	Townships and Area Development projects.		Covering an area ≥ 50 ha and or built up area ≥1,50,000 sq .mtrs ++	++All projects under Item 8(b) shall be appraised as Category B1

Note:-**General Condition (GC):**

Any project or activity specified in Category 'B' will be treated as Category A, if located in whole or in part within 10 km from the boundary of: (i) Protected Areas notified under the Wild Life (Protection) Act, 1972, (ii) Critically Polluted areas as notified by the Central Pollution Control Board from time to time, (iii) Notified Eco-sensitive areas, (iv) inter-State boundaries and international boundaries.

Specific Condition (SC):

If any Industrial Estate/Complex / Export processing Zones /Special Economic Zones/Biotech Parks / Leather Complex with homogeneous type of industries such as Items 4(d), 4(f), 5(e), 5(f), or those Industrial estates with pre –defined set of activities (not necessarily homogeneous, obtains prior environmental clearance, individual industries including proposed industrial housing within such estates /complexes will not be required to take prior environmental clearance, so long as the Terms and Conditions for the industrial estate/complex are complied with (Such estates/complexes must have a clearly identified management with the legal responsibility of ensuring adherence to the Terms and Conditions of prior environmental clearance, who may be held responsible for violation of the same throughout the life of the complex/estate).

APPENDIX I

(See paragraph – 6)

FORM 1

(I) Basic Information

Name of the Project:

Location / site alternatives under consideration:

Size of the Project: *

Expected cost of the project:

Contact Information:

Screening Category:

- *Capacity corresponding to sectoral activity (such as production capacity for manufacturing, mining lease area and production capacity for mineral production, area for mineral exploration, length for linear transport infrastructure, generation capacity for power generation etc.,)*

(II) Activity

- 1. Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, etc.)**

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
1.1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan)		
1.2	Clearance of existing land, vegetation and buildings?		
1.3	Creation of new land uses?		
1.4	Pre-construction investigations e.g. bore houses, soil testing?		
1.5	Construction works?		

1.6	Demolition works?		
1.7	Temporary sites used for construction works or housing of construction workers?		
1.8	Above ground buildings, structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations		
1.9	Underground works including mining or tunneling?		
1.10	Reclamation works?		
1.11	Dredging?		
1.12	Offshore structures?		
1.13	Production and manufacturing processes?		
1.14	Facilities for storage of goods or materials?		
1.15	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents?		
1.16	Facilities for long term housing of operational workers?		
1.17	New road, rail or sea traffic during construction or operation?		
1.18	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc?		
1.19	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?		
1.20	New or diverted transmission lines or pipelines?		
1.21	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of watercourses or aquifers?		
1.22	Stream crossings?		
1.23	Abstraction or transfers of water form ground or surface waters?		
1.24	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?		

1.25	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?		
1.26	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works?		
1.27	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?		
1.28	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?		
1.29	Introduction of alien species?		
1.30	Loss of native species or genetic diversity?		
1.31	Any other actions?		

2. **Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):**

S.No.	Information/checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
2.1	Land especially undeveloped or agricultural land (ha)		
2.2	Water (expected source & competing users) unit: KLD		
2.3	Minerals (MT)		
2.4	Construction material – stone, aggregates, and / soil (expected source – MT)		
2.5	Forests and timber (source – MT)		
2.6	Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit: fuel (MT), energy (MW)		
2.7	Any other natural resources (use appropriate standard units)		

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
3.1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
3.2	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)		
3.3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
3.4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.,		
3.5	Any other causes		

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
4.1	Spoil, overburden or mine wastes		
4.2	Municipal waste (domestic and or commercial wastes)		
4.3	Hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules)		

4.4	Other industrial process wastes		
4.5	Surplus product		
4.6	Sewage sludge or other sludge from effluent treatment		
4.7	Construction or demolition wastes		
4.8	Redundant machinery or equipment		
4.9	Contaminated soils or other materials		
4.10	Agricultural wastes		
4.11	Other solid wastes		

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
5.1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
5.2	Emissions from production processes		
5.3	Emissions from materials handling including storage or transport		
5.4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5.5	Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste		

5.6	Emissions from incineration of waste		
5.7	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)		
5.8	Emissions from any other sources		

6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data with source of information data
6.1	From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers		
6.2	From industrial or similar processes		
6.3	From construction or demolition		
6.4	From blasting or piling		
6.5	From construction or operational traffic		
6.6	From lighting or cooling systems		
6.7	From any other sources		

7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
7.1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
7.2	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge)		
7.3	By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water		
7.4	From any other sources		
7.5	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		

8. Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment

S.No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
8.1	From explosions, spillages, fires etc from storage, handling, use or production of hazardous substances		
8.2	From any other causes		
8.3	Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g. floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)?		

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
9.1	<p>Lead to development of supporting, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.) • housing development • extractive industries • supply industries • other 		
9.2	Lead to after-use of the site, which could have an impact on the environment		
9.3	Set a precedent for later developments		
9.4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		

(III) Environmental Sensitivity

S.No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value		

2	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests		
3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration		
4	Inland, coastal, marine or underground waters		
5	State, National boundaries		
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas		
7	Defence installations		
8	Densely populated or built-up area		
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses (<i>hospitals, schools, places of worship, community facilities</i>)		
10	Areas containing important, high quality or scarce resources (<i>ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals</i>)		
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (<i>those where existing legal environmental standards are exceeded</i>)		
12	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (<i>earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions</i>)		

(IV). Proposed Terms of Reference for EIA studies

APPENDIX II

(See paragraph 6)

FORM-1 A (only for construction projects listed under item 8 of the Schedule)**CHECK LIST OF ENVIRONMENTAL IMPACTS****(Project proponents are required to provide full information and wherever necessary attach explanatory notes with the Form and submit along with proposed environmental management plan & monitoring programme)****1. LAND ENVIRONMENT****(Attach panoramic view of the project site and the vicinity)**

1.1. Will the existing landuse get significantly altered from the project that is not consistent with the surroundings? (Proposed landuse must conform to the approved Master Plan / Development Plan of the area. Change of landuse if any and the statutory approval from the competent authority be submitted). Attach Maps of (i) site location, (ii) surrounding features of the proposed site (within 500 meters) and (iii) the site (indicating levels & contours) to appropriate scales. If not available attach only conceptual plans.

1.2. List out all the major project requirements in terms of the land area, built up area, water consumption, power requirement, connectivity, community facilities, parking needs etc.

1.3. What are the likely impacts of the proposed activity on the existing facilities adjacent to the proposed site? (Such as open spaces, community facilities, details of the existing landuse, disturbance to the local ecology).

1.4. Will there be any significant land disturbance resulting in erosion, subsidence & instability? (Details of soil type, slope analysis, vulnerability to subsidence, seismicity etc may be given).

1.5. Will the proposal involve alteration of natural drainage systems? (Give details on a contour map showing the natural drainage near the proposed project site)

1.6. What are the quantities of earthwork involved in the construction activity-cutting, filling, reclamation etc. (Give details of the quantities of earthwork involved, transport of fill materials from outside the site etc.)

1.7. Give details regarding water supply, waste handling etc during the construction period.

1.8. Will the low lying areas & wetlands get altered? (Provide details of how low lying and wetlands are getting modified from the proposed activity)

1.9. Whether construction debris & waste during construction cause health hazard? (Give quantities of various types of wastes generated during construction including the construction labour and the means of disposal)

2. WATER ENVIRONMENT

2.1. Give the total quantity of water requirement for the proposed project with the breakup of requirements for various uses. How will the water requirement met? State the sources & quantities and furnish a water balance statement.

- 2.2. What is the capacity (dependable flow or yield) of the proposed source of water?
- 2.3. What is the quality of water required, in case, the supply is not from a municipal source? (Provide physical, chemical, biological characteristics with class of water quality)
- 2.4. How much of the water requirement can be met from the recycling of treated wastewater? (Give the details of quantities, sources and usage)
- 2.5. Will there be diversion of water from other users? (Please assess the impacts of the project on other existing uses and quantities of consumption)
- 2.6. What is the incremental pollution load from wastewater generated from the proposed activity? (Give details of the quantities and composition of wastewater generated from the proposed activity)
- 2.7. Give details of the water requirements met from water harvesting? Furnish details of the facilities created.
- 2.8. What would be the impact of the land use changes occurring due to the proposed project on the runoff characteristics (quantitative as well as qualitative) of the area in the post construction phase on a long term basis? Would it aggravate the problems of flooding or water logging in any way?
- 2.9. What are the impacts of the proposal on the ground water? (Will there be tapping of ground water; give the details of ground water table, recharging capacity, and approvals obtained from competent authority, if any)
- 2.10. What precautions/measures are taken to prevent the run-off from construction activities polluting land & aquifers? (Give details of quantities and the measures taken to avoid the adverse impacts)
- 2.11. How is the storm water from within the site managed?(State the provisions made to avoid flooding of the area, details of the drainage facilities provided along with a site layout indication contour levels)
- 2.12. Will the deployment of construction labourers particularly in the peak period lead to unsanitary conditions around the project site (Justify with proper explanation)
- 2.13. What on-site facilities are provided for the collection, treatment & safe disposal of sewage? (Give details of the quantities of wastewater generation, treatment capacities with technology & facilities for recycling and disposal)
- 2.14. Give details of dual plumbing system if treated waste used is used for flushing of toilets or any other use.

3. VEGETATION

- 3.1. Is there any threat of the project to the biodiversity? (Give a description of the local ecosystem with it's unique features, if any)

3.2. Will the construction involve extensive clearing or modification of vegetation? (Provide a detailed account of the trees & vegetation affected by the project)

3.3. What are the measures proposed to be taken to minimize the likely impacts on important site features (Give details of proposal for tree plantation, landscaping, creation of water bodies etc along with a layout plan to an appropriate scale)

4. FAUNA

4.1. Is there likely to be any displacement of fauna- both terrestrial and aquatic or creation of barriers for their movement? Provide the details.

4.2. Any direct or indirect impacts on the avifauna of the area? Provide details.

4.3. Prescribe measures such as corridors, fish ladders etc to mitigate adverse impacts on fauna

5. AIR ENVIRONMENT

5.1. Will the project increase atmospheric concentration of gases & result in heat islands? (Give details of background air quality levels with predicted values based on dispersion models taking into account the increased traffic generation as a result of the proposed constructions)

5.2. What are the impacts on generation of dust, smoke, odorous fumes or other hazardous gases? Give details in relation to all the meteorological parameters.

5.3. Will the proposal create shortage of parking space for vehicles? Furnish details of the present level of transport infrastructure and measures proposed for improvement including the traffic management at the entry & exit to the project site.

5.4. Provide details of the movement patterns with internal roads, bicycle tracks, pedestrian pathways, footpaths etc., with areas under each category.

5.5. Will there be significant increase in traffic noise & vibrations? Give details of the sources and the measures proposed for mitigation of the above.

5.6. What will be the impact of DG sets & other equipment on noise levels & vibration in & ambient air quality around the project site? Provide details.

6. AESTHETICS

6.1. Will the proposed constructions in any way result in the obstruction of a view, scenic amenity or landscapes? Are these considerations taken into account by the proponents?

6.2. Will there be any adverse impacts from new constructions on the existing structures? What are the considerations taken into account?

6.3. Whether there are any local considerations of urban form & urban design influencing the design criteria? They may be explicitly spelt out.

6.4. Are there any anthropological or archaeological sites or artefacts nearby? State if any other significant features in the vicinity of the proposed site have been considered.

7. SOCIO-ECONOMIC ASPECTS

7.1. Will the proposal result in any changes to the demographic structure of local population? Provide the details.

- 7.2. Give details of the existing social infrastructure around the proposed project.
- 7.3. Will the project cause adverse effects on local communities, disturbance to sacred sites or other cultural values? What are the safeguards proposed?

8. BUILDING MATERIALS

- 8.1. May involve the use of building materials with high-embodied energy. Are the construction materials produced with energy efficient processes? (Give details of energy conservation measures in the selection of building materials and their energy efficiency)
- 8.2. Transport and handling of materials during construction may result in pollution, noise & public nuisance. What measures are taken to minimize the impacts?
- 8.3. Are recycled materials used in roads and structures? State the extent of savings achieved?
- 8.4. Give details of the methods of collection, segregation & disposal of the garbage generated during the operation phases of the project.

9. ENERGY CONSERVATION

- 9.1. Give details of the power requirements, source of supply, backup source etc. What is the energy consumption assumed per square foot of built-up area? How have you tried to minimize energy consumption?
- 9.2. What type of, and capacity of, power back-up to you plan to provide?
- 9.3. What are the characteristics of the glass you plan to use? Provide specifications of its characteristics related to both short wave and long wave radiation?
- 9.4. What passive solar architectural features are being used in the building? Illustrate the applications made in the proposed project.
- 9.5. Does the layout of streets & buildings maximise the potential for solar energy devices? Have you considered the use of street lighting, emergency lighting and solar hot water systems for use in the building complex? Substantiate with details.
- 9.6. Is shading effectively used to reduce cooling/heating loads? What principles have been used to maximize the shading of Walls on the East and the West and the Roof? How much energy saving has been effected?
- 9.7. Do the structures use energy-efficient space conditioning, lighting and mechanical systems? Provide technical details. Provide details of the transformers and motor efficiencies, lighting intensity and air-conditioning load assumptions? Are you using CFC and HCFC free chillers? Provide specifications.
- 9.8. What are the likely effects of the building activity in altering the micro-climates? Provide a self assessment on the likely impacts of the proposed construction on creation of heat island & inversion effects?

9.9. What are the thermal characteristics of the building envelope? (a) roof; (b) external walls; and (c) fenestration? Give details of the material used and the U-values or the R values of the individual components.

9.10. What precautions & safety measures are proposed against fire hazards? Furnish details of emergency plans.

9.11. If you are using glass as wall material provides details and specifications including emissivity and thermal characteristics.

9.12. What is the rate of air infiltration into the building? Provide details of how you are mitigating the effects of infiltration.

9.13. To what extent the non-conventional energy technologies are utilised in the overall energy consumption? Provide details of the renewable energy technologies used.

10. Environment Management Plan

The Environment Management Plan would consist of all mitigation measures for each item wise activity to be undertaken during the construction, operation and the entire life cycle to minimize adverse environmental impacts as a result of the activities of the project. It would also delineate the environmental monitoring plan for compliance of various environmental regulations. It will state the steps to be taken in case of emergency such as accidents at the site including fire.

APPENDIX III

(See paragraph 7

GENERIC STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESMENT DOCUMENT

S.NO	EIA STRUCTURE	CONTENTS
1.	Introduction	<ul style="list-style-type: none"> • Purpose of the report • Identification of project & project proponent • Brief description of nature, size, location of the project and its importance to the country, region • Scope of the study – details of regulatory scoping carried out (As per Terms of Reference)
2.	Project Description	<ul style="list-style-type: none"> • Condensed description of those aspects of the project (based on project feasibility study), likely to cause environmental effects. Details should be provided to give clear picture of the following: <ul style="list-style-type: none"> • Type of project • Need for the project • Location (maps showing general location, specific location, project boundary & project site layout) • Size or magnitude of operation (incl. Associated activities required by or for the project) • Proposed schedule for approval and implementation • Technology and process description • Project description. Including drawings showing project layout, components of project etc. Schematic representations of the feasibility drawings which give information important for EIA purpose • Description of mitigation measures incorporated into the project to meet environmental standards, environmental operating conditions, or other EIA requirements (as required by the scope) • Assessment of New & untested technology for the risk of technological failure

3.	Description of the Environment	<ul style="list-style-type: none"> • Study area, period, components & methodology • Establishment of baseline for valued environmental components, as identified in the scope • Base maps of all environmental components
4.	Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures	<ul style="list-style-type: none"> • Details of Investigated Environmental impacts due to project location, possible accidents, project design, project construction, regular operations, final decommissioning or rehabilitation of a completed project • Measures for minimizing and / or offsetting adverse impacts identified • Irreversible and Irretrievable commitments of environmental components • Assessment of significance of impacts (Criteria for determining significance, Assigning significance) • Mitigation measures
5.	Analysis of Alternatives (Technology & Site)	<ul style="list-style-type: none"> • In case, the scoping exercise results in need for alternatives: • Description of each alternative • Summary of adverse impacts of each alternative • Mitigation measures proposed for each alternative and • Selection of alternative
6.	Environmental Monitoring Program	<ul style="list-style-type: none"> • Technical aspects of monitoring the effectiveness of mitigation measures (incl. Measurement methodologies, frequency, location, data analysis, reporting schedules, emergency procedures, detailed budget & procurement schedules)
7.	Additional Studies	<ul style="list-style-type: none"> • Public Consultation • Risk assessment • Social Impact Assessment. R&R Action Plans
8.	Project Benefits	<ul style="list-style-type: none"> • Improvements in the physical infrastructure • Improvements in the social infrastructure • Employment potential –skilled; semi-skilled and unskilled • Other tangible benefits

9.	Environmental Cost Benefit Analysis	If recommended at the Scoping stage
10.	EMP	<ul style="list-style-type: none"> • Description of the administrative aspects of ensuring that mitigative measures are implemented and their effectiveness monitored, after approval of the EIA
11	Summary & Conclusion (This will constitute the summary of the EIA Report)	<ul style="list-style-type: none"> • Overall justification for implementation of the project • Explanation of how, adverse effects have been mitigated
12.	Disclosure of Consultants engaged	<ul style="list-style-type: none"> • The names of the Consultants engaged with their brief resume and nature of Consultancy rendered

**APPENDIX III A
(See paragraph 7)**

CONTENTS OF SUMMARY ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT

The Summary EIA shall be a summary of the full EIA Report condensed to ten A-4 size pages at the maximum. It should necessarily cover in brief the following Chapters of the full EIA Report: -

1. Project Description
2. Description of the Environment
3. Anticipated Environmental impacts and mitigation measures
4. Environmental Monitoring Programme
5. Additional Studies
6. Project Benefits
7. Environment Management Plan

APPENDIX IV
(See paragraph 7)

PROCEDURE FOR CONDUCT OF PUBLIC HEARING

1.0 The Public Hearing shall be arranged in a systematic, time bound and transparent manner ensuring widest possible public participation at the project site(s) or in its close proximity District -wise, by the concerned State Pollution Control Board (SPCB) or the Union Territory Pollution Control Committee (UTPCC).

2.0 The Process:

2.1 The Applicant shall make a request through a simple letter to the Member Secretary of the SPCB or Union Territory Pollution Control Committee, in whose jurisdiction the project is located, to arrange the public hearing within the prescribed statutory period. In case the project site is extending beyond a State or Union Territory, the public hearing is mandated in each State or Union Territory in which the project is sited and the Applicant shall make separate requests to each concerned SPCB or UTPCC for holding the public hearing as per this procedure.

2.2 The Applicant shall enclose with the letter of request, at least 10 hard copies and an equivalent number of soft (electronic) copies of the draft EIA Report with the generic structure given in Appendix III including the Summary Environment Impact Assessment report in English and in the local language, prepared strictly in accordance with the Terms of Reference communicated after Scoping (Stage-2). Simultaneously the applicant shall arrange to forward copies, one hard and one soft, of the above draft EIA Report along with the Summary EIA report to the Ministry of Environment and Forests and to the following authorities or offices, within whose jurisdiction the project will be located:

- (a) District Magistrate/s
- (b) Zila Parishad or Municipal Corporation
- (c) District Industries Office
- (d) Concerned Regional Office of the Ministry of Environment and Forests

2.3 On receiving the draft Environmental Impact Assessment report, the above-mentioned authorities except the MoEF, shall arrange to widely publicize it within their respective jurisdictions requesting the interested persons to send their comments to the concerned regulatory authorities. They shall also make available the draft EIA Report for inspection electronically or otherwise to the public during normal office hours till the Public Hearing is over. The Ministry of Environment and Forests shall promptly display the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report on its website, and also make the full draft EIA available for reference at a notified place during normal office hours in the Ministry at Delhi.

2.4 The SPCB or UTPCC concerned shall also make similar arrangements for giving publicity about the project within the State/Union Territory and make available the Summary of the draft Environmental Impact Assessment report (Appendix III A) for inspection in select offices or public libraries or panchayats etc. They shall also additionally

make available a copy of the draft Environmental Impact Assessment report to the above five authorities/offices viz, Ministry of Environment and Forests, District Magistrate etc.

3.0 Notice of Public Hearing:

3.1 The Member-Secretary of the concerned SPCB or UTPCC shall finalize the date, time and exact venue for the conduct of public hearing within 7(seven) days of the date of receipt of the draft Environmental Impact Assessment report from the project proponent, and advertise the same in one major National Daily and one Regional vernacular Daily. A minimum notice period of 30(thirty) days shall be provided to the public for furnishing their responses;

3.2 The advertisement shall also inform the public about the places or offices where the public could access the draft Environmental Impact Assessment report and the Summary Environmental Impact Assessment report before the public hearing.

3.3 No postponement of the date, time, venue of the public hearing shall be undertaken, unless some untoward emergency situation occurs and only on the recommendation of the concerned District Magistrate the postponement shall be notified to the public through the same National and Regional vernacular dailies and also prominently displayed at all the identified offices by the concerned SPCB or Union Territory Pollution Control Committee;

3.4 In the above exceptional circumstances fresh date, time and venue for the public consultation shall be decided by the Member –Secretary of the concerned SPCB or UTPCC only in consultation with the District Magistrate and notified afresh as per procedure under 3.1 above.

4.0 The Panel

4.1 The District Magistrate or his or her representative not below the rank of an Additional District Magistrate assisted by a representative of SPCB or UTPCC, shall supervise and preside over the entire public hearing process.

5.0 Videography

5.1 The SPCB or UTPCC shall arrange to video film the entire proceedings. A copy of the videotape or a CD shall be enclosed with the public hearing proceedings while forwarding it to the Regulatory Authority concerned.

6.0 Proceedings

6.1 The attendance of all those who are present at the venue shall be noted and annexed with the final proceedings.

6.2 There shall be no quorum required for attendance for starting the proceedings.

6.3 A representative of the applicant shall initiate the proceedings with a presentation on the project and the Summary EIA report.

6.4 Every person present at the venue shall be granted the opportunity to seek information or clarifications on the project from the Applicant. The summary of the public

hearing proceedings accurately reflecting all the views and concerns expressed shall be recorded by the representative of the SPCB or UTPCC and read over to the audience at the end of the proceedings explaining the contents in the vernacular language and the agreed minutes shall be signed by the District Magistrate or his or her representative on the same day and forwarded to the SPCB/UTPCC concerned.

6.5 A Statement of the issues raised by the public and the comments of the Applicant shall also be prepared in the local language and in English and annexed to the proceedings:

6.6 The proceedings of the public hearing shall be conspicuously displayed at the office of the Panchyats within whose jurisdiction the project is located, office of the concerned Zila Parishad, District Magistrate ,and the SPCB or UTPCC . The SPCB or UTPCC shall also display the proceedings on its website for general information. Comments, if any, on the proceedings which may be sent directly to the concerned regulatory authorities and the Applicant concerned.

7.0 **Time period for completion of public hearing**

7.1 The public hearing shall be completed within a period of 45 (forty five) days from date of receipt of the request letter from the Applicant. Therefore the SPCB or UTPCC concerned shall sent the public hearing proceedings to the concerned regulatory authority within 8(eight) days of the completion of the public hearing .The applicant may also directly forward a copy of the approved public hearing proceedings to the regulatory authority concerned along with the final Environmental Impact Assessment report or supplementary report to the draft EIA report prepared after the public hearing and public consultations.

7.2 If the SPCB or UTPCC fails to hold the public hearing within the stipulated 45(forty five) days, the Central Government in Ministry of Environment and Forests for Category 'A' project or activity and the State Government or Union Territory Administration for Category 'B' project or activity at the request of the SEIAA, shall engage any other agency or authority to complete the process, as per procedure laid down in this notification.

APPENDIX –V
(See paragraph 7)

PROCEDURE PRESCRIBED FOR APPRAISAL

1. The applicant shall apply to the concerned regulatory authority through a simple communication enclosing the following documents where public consultations are mandatory: -

- Final Environment Impact Assessment Report [20(twenty) hard copies and 1 (one) soft copy)]
- A copy of the video tape or CD of the public hearing proceedings
- A copy of final layout plan (20 copies)
- A copy of the project feasibility report (1 copy)

2. The Final EIA Report and the other relevant documents submitted by the applicant shall be scrutinized in office within 30 days from the date of its receipt by the concerned Regulatory Authority strictly with reference to the TOR and the inadequacies noted shall be communicated electronically or otherwise in a single set to the Members of the EAC /SEAC enclosing a copy each of the Final EIA Report including the public hearing proceedings and other public responses received along with a copy of Form -1or Form 1A and scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the proposal .

3. Where a public consultation is not mandatory and therefore a formal EIA study is not required, the appraisal shall be made on the basis of the prescribed application Form 1 and a pre-feasibility report in the case of all projects and activities other than Item 8 of the Schedule .In the case of Item 8 of the Schedule, considering its unique project cycle , the EAC or SEAC concerned shall appraise all Category B projects or activities on the basis of Form 1, Form 1A and the conceptual plan and stipulate the conditions for environmental clearance . As and when the applicant submits the approved scheme /building plans complying with the stipulated environmental clearance conditions with all other necessary statutory approvals, the EAC /SEAC shall recommend the grant of environmental clearance to the competent authority.

4. Every application shall be placed before the EAC /SEAC and its appraisal completed within 60 days of its receipt with requisite documents / details in the prescribed manner.

5. The applicant shall be informed at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the EAC /SEAC meeting for considering the project proposal.

6. The minutes of the EAC /SEAC meeting shall be finalised within 5 working days of the meeting and displayed on the website of the concerned regulatory authority. In case the project or activity is recommended for grant of EC, then the minutes shall clearly list out the specific environmental safeguards and conditions. In case the recommendations are for rejection, the reasons for the same shall also be explicitly stated.

APPENDIX VI

(See paragraph 5)

COMPOSITION OF THE SECTOR/ PROJECT SPECIFIC EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) FOR CATEGORY A PROJECTS AND THE STATE/UT LEVEL EXPERT APPRAISAL COMMITTEES (SEACs) FOR CATEGORY B PROJECTS TO BE CONSTITUTED BY THE CENTRAL GOVERNMENT`

1. The Expert Appraisal Committees (EAC(s) and the State/UT Level Expert Appraisal Committees (SEACs) shall consist of only professionals and experts fulfilling the following eligibility criteria:

Professional: The person should have at least (i) 5 years of formal University training in the concerned discipline leading to a MA/MSc Degree, or (ii) in case of Engineering /Technology/Architecture disciplines, 4 years formal training in a professional training course together with prescribed practical training in the field leading to a B.Tech/B.E./B.Arch. Degree, or (iii) Other professional degree (e.g. Law) involving a total of 5 years of formal University training and prescribed practical training, or (iv) Prescribed apprenticeship/article ship and pass examinations conducted by the concerned professional association (e.g. Chartered Accountancy),or (v) a University degree , followed by 2 years of formal training in a University or Service Academy (e.g. MBA/IAS/IFS). In selecting the individual professionals, experience gained by them in their respective fields will be taken note of.

Expert: A professional fulfilling the above eligibility criteria with at least 15 years of relevant experience in the field, or with an advanced degree (e.g. Ph.D.) in a concerned field and at least 10 years of relevant experience.

Age: Below 70 years. However, in the event of the non-availability of /paucity of experts in a given field, the maximum age of a member of the Expert Appraisal Committee may be allowed up to 75 years

2. The Members of the EAC shall be Experts with the requisite expertise and experience in the following fields /disciplines. In the event that persons fulfilling the criteria of “Experts” are not available, Professionals in the same field with sufficient experience may be considered:

- **Environment Quality Experts:** Experts in measurement/monitoring, analysis and interpretation of data in relation to environmental quality
- **Sectoral Experts in Project Management:** Experts in Project Management or Management of Process/Operations/Facilities in the relevant sectors.
- **Environmental Impact Assessment Process Experts:** Experts in conducting and carrying out Environmental Impact Assessments (EIAs) and preparation of Environmental Management Plans (EMPs) and other Management plans and who have wide expertise and knowledge of predictive techniques and tools used in the EIA process
- **Risk Assessment Experts**
- **Life Science Experts in floral and faunal management**
- **Forestry and Wildlife Experts**

- **Environmental Economics Expert with experience in project appraisal**
3. The Membership of the EAC shall not exceed 15 (fifteen) regular Members. However the Chairperson may co-opt an expert as a Member in a relevant field for a particular meeting of the Committee.
 4. The Chairperson shall be an outstanding and experienced environmental policy expert or expert in management or public administration with wide experience in the relevant development sector.
 5. The Chairperson shall nominate one of the Members as the Vice Chairperson who shall preside over the EAC in the absence of the Chairman /Chairperson.
 6. A representative of the Ministry of Environment and Forests shall assist the Committee as its Secretary.
 7. The maximum tenure of a Member, including Chairperson, shall be for 2 (two) terms of 3 (three) years each.
 8. The Chairman / Members may not be removed prior to expiry of the tenure without cause and proper enquiry.

F.No.J-11013/41/2006-IA-II (I)
Government of India
Ministry of Environment and Forest
IA Division

Paryavaran Bhawan, CGO Complex
Lodi Road, New Delhi-110 003

Dated the November 21, 2006

CIRCULAR


Subject: EIA Notification dated 14th September, 2006 - Interim Operational Guidelines till 13th September, 2007 in respect of Categories of Projects which were not in EIA Notification, 1994.

Pursuant to the new Environment Impact Assessment Notification of 14th September 2006 (EIA 2006) replacing the EIA Notification of 27th January 1994 and its various amendments (EIA 1994) and in terms of the provisions of Para 12 of EIA 2006, the Ministry had earlier issued Interim Operational Guidelines on 13th October 2006. Further to these guidelines, the following guidelines are issued for the Categories of Projects, which did not require EIA Clearance under EIA Notification, 1994 and now require the same under EIA Notification, 2006:

- i. No NOC from the State Government/SPCB is required for Environmental Clearance Process. Consent to Establish (NOC) and prior Environmental Clearance are separate legal requirements, any project proponent has to fulfill. NOCs required under Water and Air Acts are mandatory requirement under those Acts and will have to be taken as required and do not require to be linked to environmental clearance.
- ii. Such projects for which NOCs issued before 14th September, 2006 will not be required to take Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006.

Contd....

- iii. Applications received for NOC by the State Pollution Control Boards before 14th September 2006 may be considered as per provisions of the said Acts. However, they will have to obtain the environmental clearance from the relevant Authority by 30th June 2007, if the category requires EIA Clearance as per the new Notification. In such cases, the unit can meanwhile carry on with the commencement of their project activities. Projects not seeking clearance under EIA Notification, 2006 by 30th June 2007 will be treated as violation cases under Section 15 of Environment (Protection) Act, 1986.
- iv. Applications received for NOC after 14th September 2006 will have to obtain EIA Clearance from the relevant Authority before starting the project activities. Application for EC (TORs / Scoping) may be submitted simultaneously to the relevant Authority/ies.



(Sanchita Jindal)
Additional Director

To:

1. All State Environment Departments
2. All State Pollution Control Boards
3. All Officers of IA Division, MoEF
4. UT Administrations

Copy to:

1. PPS to Secretary (E&F)
2. PPS to AS (CC)
3. PPS to JS (CC-II)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'मिक्प भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F26381 / सी-6 / वायु प्रदूषण / 54/फैजबाद

पंजीकृत

सेवा में

दिनांक 04-10-8

मो. बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०

(पूर्व में प्रतापपुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०)

इटि मेन, उत्तरखाला,

बलरामपुर।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।
(द्वयल संचालन हेतु)

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.10.2007 का अवलोकन

करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका शर्त सहमति आदेश संख्या.....

सहमति (वायु) आदेश/ 137/2007 दिनांक 28.12.07 को संलग्न किया जा रहा है।

आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1 से 5, 6, 9, 11 से 15 जी नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- 3.60 x 6 के बी. ए. क्षमता के डी. जी. शेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से प्रत्येक 4.0 मी. ऊँचाई किया जाय।
द्वयल संचालन दिनांक से एक
- 3- फ्लू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या 3.60 x 6 माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे चांदर के अनुरूप का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

- 9- आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 10- ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
- 11- आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 12- उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- १३- रुपये ५० हजार की बैंक गारन्टी जिसकी वैधता मार्च, २००९ तक की हो पत्र निर्गमन दिनांक से १५ दिन में प्रेषित करें।
- १४- पूर्व में बोर्ड में जमा किये गये रुपये ५.० लाख की बैंक गारन्टी की वैधता अवधि मार्च, २००९ तक बढ़वाकर १० दिन में प्रेषित करें।
- १५- ब्याजलर पर निर्मोषाधीन प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना तत्काल पूर्ण कर सूचित किया जाये।
- १६- अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन अगस्त एक माह में प्रेषित किया जाये।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ० सी०एस० भट्ट)

सदस्य सचिव

संदर्भ सं०..... / वायु प्रदूषण..... तद दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सूत २६.....)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

70

सहमति आदेश पत्र

संख्या ५५ / सहमति (वायु) आदेश / 137/07 लखनऊ, दिनांक 28.12.07

विषय :- सहमति मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डो लि०, इटई मैन्, उत्तरीला, बलरामपुर को
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ :- आवेदन संख्या १८.१०.०७ दिनांक

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डो लि०, इटई मैन्, उत्तरीला, बलरामपुर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक द्वारा संघटन दिनांक से ०३ माह हेतु मात्र की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति शर्तों)


सदस्य सचिव

लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या / सहमति (वायु) आदेश /

दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये विधिनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये।

[i]	सम्बद्ध विमनी
[ii]	१० टन/घंटा ध्वावलर
[iii]	—
[iv]	—
[v]	—

2. वायु मंडल में विभिन्न विधिनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।

[i]	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर	१५०	मिलीग्राम प्रतिनार्मल मी ³
	(एस.पी.एम.)		व्यूथिक मीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)		—
[iii]	हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड गिस्ट		—
[iv]	सल्फर डाई आक्साइड		(पी.सी.एम.)
[v]	कार्बन मोनो आक्साइड		—
[vi]	हाइड्रोकार्बन		—
[vii]	अमोनिया		—
[viii]	फ्लोरोन		—
[ix]	मरकैप्टेन		—
[x]			—

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।
6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी भासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1993 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा शर्तों में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश / निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त हार्गिल समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, चार्टरर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

74

संदर्भ संख्या F26380 /सी-६/बल/५५/फैजाबाद

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 04-1-08

मै० बज्जज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डो लि०,
(पूर्व में प्रतापपुर शुगर एण्ड इण्डो लि०)
इटई मैय, इतयेला,
बलरामपुर।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।
(जल संचालन हेतु मान्य है)

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक शून्य दिनांक १८.१०.२००७

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा संशर्त सहमति आदेश पत्रांक 155/2007 दिनांक 28.12.07 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व डी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, डी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष २००७-०८ की बैलेंसशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल-वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। उत्प्रवाह को पूर्वतया रिसाइलिंग व्यवस्था के माध्यम से पुनः उपयोग में लाया जाये।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

10. आपको उपरकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- ११- रुपये ५० हजार की बैंक गारन्टी जिसकी वैधता मार्च, २००९ तक की हो पत्र निर्गमन दिनांक से १५ दिन में प्रेषित करें।
- १२- बोर्ड में पूर्व में जमा किये गये रुपये ५.० लाख की बैंक गारन्टी की वैधता अवधि अग्रिम मार्च, २००९ तक बढ़वाकर १५ दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
- १३- यह सहमति पूर्वतय रिजर्विलिंग फ़ंड पर अश्वरित उत्प्लावक का पुनः उपयोग किये जाने हेतु ही मान्य है।
- १४- राज्य बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उचित शर्तों की विन्दुवार अनुपालन आख्य एक माह में प्रेषित किये जाये।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ० सी०एस० भट्ट)
सदस्य सचिव

पू० सं०.....

तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फ़ैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(घृत्त-६)



पिकप सवन तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या ५५ /सहमति/जल आदेश/155/67 लखनऊ दिनांक 28.12.71

विषय से० बलराम हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडिस्ट्रिज (पूर्व में मै० प्रतापपुर शुगर एंड इंडिस्ट्रिज) को
इंडिस्ट्रिज, इटइमैदा, उत्तरखाला, बलरामपुर।
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण
निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या दिनांक 2.10.69

जल-राशि या सीवरों या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त
आवेदन पत्र को निर्देश है कि बलराम हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडिस्ट्रिज को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू
नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुये में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए
अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक से तीन माह तक मात्र
द्वारा संशोधित दिनांक से
दिनांक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा
27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो
उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड अक्षरशः रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी
ओर से।

सदस्य सचिव

संलग्नक : अनुलग्नक

सहमति आदेश संख्या.....सहमति/

दिनांक.....का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्स्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्स्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्स्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³
---------------------	--	---

(i) घरेलू

७० कि०ली०/दिन

(ii) औद्योगिक

१२०० कि०ली०/दिन

(अ) प्रक्रिया जल

(केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के अनुरूप

ब्लीड-घोने के

युक्त उपयोग में लाया जाये।)

जल सहित

(ब) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्स्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्स्रवाह मापन तथा उत्स्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्स्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के ड्राउन स्ट्रीम पर शीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्स्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्स्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्स्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्स्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्स्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20⁰ से. पर 5 दिन की बी.ओ.डी.

30 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।

कुल निलम्बित ठोस

100 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्स्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्स्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्स्रवाह सहित औद्योगिक उत्स्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्स्रवाह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्स्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाय के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम Mx15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेम्बर होने चाहिये। टर्मिनल, मेनहोल में उत्स्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिये।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्स्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्स्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्स्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्स्रवाह शर्त संख्या 8 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु में पक्के ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।
पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार दिखाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्स्रवाह शुद्धिकरण, उत्स्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्स्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि गरोव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
(ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाय। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप विस्तारित उत्स्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीफोनिकली तथा आँचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करें। सभी पाइप, बाल्व, सीवर और ड्रेन

रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की छुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धीकृत धरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना, किसी भी सासान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रवालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिये गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
23. उपरोक्त शर्तों जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेंगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक, सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुरितका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फेक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फेक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फेक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एतारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाय।
28. निदेशक (निदेशको), साझेदार (साझेदारी), प्रोपराइटर (प्रोपराइटर) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

80

'पिकप भवन' तृतीय तल, वी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

F 34328 / से-६ / वायु प्रदूषण / ५५/कैज०

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक

12-6-88

ने० बकस हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्ड० लि०,

ग्राम- इटमीय, तह०- उत्तरैला,

जिला- बलसामपुर।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक १५.३.२००८ का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका शर्तों सहमति आदेश संख्या 55 सहमति (वायु) आदेश/ 221/2.00.8 दिनांक 11.6.88 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमोंक संख्या १ से ६, ८, ९, ११ से संबंधित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- ३.८० x ६ के वी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से सलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से प्रत्येक ४.० मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- पलू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता को अनुभवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे चार्ज के अनुरूप का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करे, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

- 9- आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेंस शीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 10- ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
- 11- आपको तपकर अधिनियम, 1977 में बांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 12- उद्योग का पर्यावरणीय दूषितव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- १३- अनापत्ति प्रमाण पत्रों के वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आखिर एक माह में प्रेषित किया जाये।
- १४- चार्टर के प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- १५- ब्याचलर से निकलने वाली राख का अचित निस्तारण इस प्रकार करें कि जनमानस एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- १६- ब्याचलर पर स्थापित गैस स्क़ेजर का संभालन इस प्रकार करें कि उत्सर्जन बोर्ड मानक के अनुरूप ही उत्सर्जित हो।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ० सी०एन० भट्ट)

अदरक सचिव

संदर्भ सं०..... / वायु प्रदूषण..... तद दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जेजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(मुत्त. - ६.....)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

275

82

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या ५५ / सहमति (वायु) आदेश / २२१ / ०८ लखनऊ, दिनांक ११.६.०८

विषय :- सहमति नै० बजाज हिन्दुस्तान शहर एंड इण्डो लि०, इटसीए, उत्तरखेला, बलरामपुर को
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (यथा संशोधित) की धारा २१/२२ के अन्तर्गत।

संदर्भ :- आवेदन संख्या दिनांक १५.३.०८

1. वायु अधिनियम, १९८१ के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र नै० बजाज हिन्दुस्तान शहर एंड इण्डो लि०, इटसीए, उत्तरखेला, बलरामपुर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक से ३१.३.२००८ की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा २१ (६) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, १९८७ के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति शर्तों)

सदस्य सचिव

लखनऊ

सलगनक आदेश संख्या /सहमति (वायु) आदेश/.....

दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये विधियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये।

[i]	समग्र विधियाँ	
[ii]	-	२० टन /घंटा ब्यायलर
[iii]	-	
[iv]	-	
[v]	-	

2. वायु मंडल में विभिन्न विधियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।

[i]	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.)	१५०	मिमीग्राम प्रतिवार्मल मी ^३ क्यूबिक पीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)		-
[iii]	हाइड्रोजन, सल्फर डाई आक्साइड सल्फेट मिस्ट		-
[iv]	सल्फर डाई आक्साइड		(पी.सी.एम.)
[v]	कार्बन मोनो आक्साइड		-
[vi]	हाइड्रोकार्बन		-
[vii]	अमोनिया		-
[viii]	फ्लोरीन		-
[ix]	मरकैप्टेन		-
[x]			-

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिरथापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर धिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के एक.....माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, धिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश /निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F46603 / सी-६/५५/फैजा / वायु प्रदूषण /

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक

24-3-09

मे०..... ब्रजराज हिन्दुस्तान शुगर एंड ईं. लि०.....

ग्राम- इटईमैदा, तह०-उत्तरौला,

जिला- बलरामपुर।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक १५.११.०८ का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या..... सहमति (वायु) आदेश/ 35/2009 दिनांक 9.13.09 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या २-३-६, ६, ९, ११, ११-सेक्टरों के वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- ३, ६, ९, ११ के. बी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से..... मी. ऊँचाई किया जाय।
प्रत्येक ४.०
- 3- पलू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुभ्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के..... माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे..... का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

- 9- आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेड द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 10- ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
- 11- आपको उपकर अधिनियम, 1977 में याँचित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 12- उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
१३. अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या एक माह में प्रेषित किया जाये।
१४. चार्टर के प्राविधनों का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
१५. ब्यायलर से निकलने वाली राख का उचित निस्तारण इस प्रकार करें कि जनमानस एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
१६. ब्यायलर पर स्थापित वेट स्कबर का संचालन इस प्रकार करें कि उत्सर्जन बोर्ड मानक के अनुरूप ही उत्सर्जित हो।
१७. उ०प्र०सरकार की अधिसूचना दि०-८.९.०८ के अनुसार यदि शुल्क देय है तो उसे जमा करना होगा।
१८. पूर्ण में प्रेषित बैंक गारंटी सं०-४४०८ आईएलजी०००७०८ दि०-१७.९.०८ रू०-५०,०००/- जिसकी वैधता तिथि ३१.३.०९ है, को पत्र निर्गमन दिनांक से १५ दिन के अन्दर दो वर्ष हेतु बढ़वाकर प्रेषित करें।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डा० सी०एस०भट्ट)

सदस्य सचिव

संदर्भ सं०..... / वायु प्रदूषण..... तद दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

फैजवादा

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(यू०.....)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या ५५ / सहमति (वायु) आदेश / ३५/०९ लखनऊ, दिनांक १३-०९

विषय :- सहमति मै० बजाज हिन्दुस्तान शगर एण्ड इण्डो लि०, इटईमैद, उत्तरीला, बलरामपुर को
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ (यथा संशोधित) की धारा २१/२२ के अन्तर्गत।

संदर्भ :- आवेदन संख्या: दिनांक १५.११.०८

1. वायु अधिनियम, १९८१ के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै० बजाज हिन्दुस्तान शगर एण्ड इण्डो लि०, इटईमैद, उत्तरीला, बलरामपुर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक ०१.०१.२००९ से ३१.१२.२००९ की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ की धारा २१ (६) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, १९८७ के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति शर्तों)

सदस्य सचिव

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति केएक.....माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश /निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हों, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F62213 / सी-६/५५/पैअ० / वायु प्रदूषण/

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 25-2-10

मे०.....
ग्राम- इटईमैदा, उत्तरैला,
बलरामपुर।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 23.10.09 का अयलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या..... सहमति (वायु) आदेश/ 16/2010 दिनांक 19.2.10 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या १ से ११ से १८ जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- के. बी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- पलू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे के अनुरूप का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

- 9- आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 10- ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
- 11- आपको उपर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 12- उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
१३. अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों की विन्दुवार अनुपालन आखिरी एक माह में प्रेषित किया जाये।
१४. चार्टर के प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
१५. ब्याचलर से निकलने वाली राश्व का उचित निस्तारण इस प्रकार करें कि जनमानस एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
१६. ब्याचलर पर स्थापित वेट स्क्रबर का संचालन इस प्रकार करें कि उत्सर्जन बोर्ड मानक के अनुरूप ही उत्सर्जित हो।
१७. उ०प्र० सरकार की अधिसूचना दिनांक-८.९.०८ के अनुसार यदि शुल्क देय है तो उसे जमा करना होगा।
१८. बैंक गारंटी रु० ५०,०००/- की वैधता अग्रिम दो वर्ष तक बढ़ाकर प्रेषित करें।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डा० सी०एस०एन्ट)

सदस्य सचिव

संदर्भ सं०..... / वायु प्रदूषण..... तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त.....)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या/सहमति (वायु) आदेश/161/10.....लखनऊ, दिनांक 19.2.10

विषय :- सहमति मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इं.लि०, इटईमैदा, उत्तरौला, बलरामपुर को

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ :- आवेदन संख्या दिनांक 23.10.09

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इं.लि० इटईमैदा, उत्तरौला, बलरामपुर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 1.1.2010 से 31.12.2010 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति शर्त)

सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या/सहमति (वायु) आदेश/.....

दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये धिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये।

[i]	सम्बद्ध धिमनी
[ii]	९० टन/घंटा ब्याल्सर (हीन)
[iii]	-
[iv]	-
[v]	-

2. वायु मंडल में विभिन्न धिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।

[i]	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.)	१५०	मिलीग्राम प्रतिनार्मल मी ³ व्युबिक मीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	-	-
[iii]	हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेट मिस्ट	-	-
[iv]	सल्फर डाई आक्साइड	-	(पी.सी.एम.)
[v]	कार्बन मोनो आक्साइड	-	-
[vi]	हाइड्रोकार्बन	-	-
[vii]	अमोनिया	-	-
[viii]	फ्लोरीन	-	-
[ix]	मरकैप्टेन	-	-
[x]		-	-

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिसर में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति केप्रक्र.....माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदन कर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश /निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित धिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनार्यें जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

सदस्य-सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

F83360
संदर्भ संख्या

/सी-६

/वायु प्रदूषण/५५/फैजाबाद

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 1-4-11

मे० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि०,
ग्राम इटईमैद, उत्तरपैला,
बलरामपुर।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक १३-११-१० का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या सहमति (वायु) आदेश/ 286/2011 दिनांक 17-3-11 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या १.३.४.६ से १.११ से १.५ तक नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- के. बी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से..... मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- फ्लू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक..... माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे क्रेट-स्कबर..... का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सनिश्चित करें।

- 9- आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीन लेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 10- ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
- 11- आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 12- उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- १३- अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिये गये शर्तों का पूर्णतया अनुपालन कर आख्या एक माह में प्रेषित करें।
- १४- चार्टर के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन करें।
- १५- ब्यायलर से निकलने वाले गंध का निस्तारण इस प्रकार वसे करें कि आस-पास के क्षेत्रों एवं पर्यावरण पर कुप्रभाव न पड़े।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(~~डॉ० सी० रस० भूट~~)
सदस्य सचिव

संदर्भ सं०..... / वायु प्रदूषण..... तद दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैजाबाद..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त.....)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

100

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या/सहमति (वायु) आदेश/286/11 लखनऊ, दिनांक 17.7.11

विषय :- सहमति मै० मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंड्रिज, इटईमैद, उत्तरगैला, बलरामपुरको
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ :- आवेदन संख्या दिनांक १३-११-१०

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै० मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंड्रिज, बलरामपुरको अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक ०१-१२-२०११से ३१-१२-२०११की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति शर्तें)

सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या / सहमति (वायु) आदेश /

दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. फलू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये।

[i]	ब्वायलर	सम्बद्ध चिमनी
[ii]		-
[iii]		-
[iv]		-
[v]		-

2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।

[i]	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.)	मिलीग्राम प्रतिनार्मल मी ³ क्यूबिक मीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	-
[iii]	हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड मिस्ट	-
[iv]	सल्फर डाई आक्साइड	(पी.सी.एम.)
[v]	कार्बन मोनो आक्साइड	-
[vi]	हाइड्रोकार्बन	-
[vii]	अमोनिया	-
[viii]	फ्लोरीन	-
[ix]	मरकैप्टेन	-

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति केमाह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश /निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।


सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या FO 7738 / सी-6 / वायु प्रदूषण / 55 / 1301.

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 18-7-12

मे०..... मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर इंड इंड० लि०,
इस्ट मैच, उत्तरैला,
बलरामपुर

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक..... 8-4-12..... का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या..... 55..... सहमति (वायु) आदेश / 378/2012 दिनांक 18-7-12 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान क्रमांक संख्या..... जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- के. बी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से..... मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- फ्लू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के..... माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे..... का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।


यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

- 9- आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 10- ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
- 11- आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 12- उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 13- उद्योग में स्थापित ब्यायलर से जनित राख के समुचित निस्तारण हेतु उचित व्यवस्था हो जिससे आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण पर कुप्रभाव न पड़े।
- 14- अनापत्ति प्रमाण पत्र में दिये गये शर्तों का पूर्णतया अनुपालन कर आख्य एक माह में प्रेषित करें।
- 15- चार्टर के प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन करें।
- 16- उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन किया जाये।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय


सदस्य सचिव

संदर्भ सं०..... / वायु प्रदूषण..... तद दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैजाबाद..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त.....)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या ५५ / सहमति (वायु) आदेश / 378/2012 लखनऊ, दिनांक 18-7-12

विषय :- सहमति मै० बजज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डो लि०, इटझैद, उत्तरैला, बलरामपुर को

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21/22 के अन्तर्गत।


संदर्भ :- आवेदन संख्या - दिनांक ०४.५.१२

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै० बजज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डो लि०, इटझैद, उत्तरैला, बलरामपुर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक ०४.५.२०१२ से ३१.१२.२०१२ की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति शर्तें)


सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या / सहमति (वायु) आदेश /

दिनांक

सहमति शर्तें

1. फ्लू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये।

[i]	ब्वायलर से	सम्बद्ध चिमनी
[ii]		-
[iii]		-
[iv]		-
[v]		-

2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।

[i]	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.)	१५०	मिलीग्राम प्रतिनार्मल मी ³ क्यूबिक मीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)		-
[iii]	हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड मिस्ट		-
[iv]	सल्फर डाई आक्साइड		(पी.सी.एम.)
[v]	कार्बन मोनो आक्साइड		-
[vi]	हाइड्रोकार्बन		-
[vii]	अमोनिया		-
[viii]	फ्लोरीन		-
[ix]	मरकैप्टेन		-
[x]			-

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालको की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि संक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।
6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति केएक.....माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित हैं, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित धिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।


 सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

F22029

~~444~~

1/सी-6/वायु प्रदूषण/55/1301

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक

10-4-13

मे०

वर्कज बिन्दुप्लान लि०(इ०पि०),

इस्ट गेट उत्तरकाशी,

बलरामपुर

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक 8-2-12 का अवलोकन

करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या 422/

सहमति (वायु) आदेश/ 55/1301/13 दिनांक 10-4-13 को संलग्न किया जा रहा है।

आपका ध्यान क्रमांक संख्या 1, 3, 4, 5 से 1, 11-12 तक जो नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- के. बी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- फ्लू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे-दस्कर का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य हैं।

- 9- आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेड द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 10- ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
- 11- आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 12- उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- १३-उद्योग से उचित फलई ऐश एवं जस्टम ऐश का निम्नरूप इस प्रकार से करें कि आयुष्म के पर्यावरण पर कुप्रभाव न पड़े।
- १४-बोर्ड द्वारा दिनांक १९-९-९३ को दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करें।
- १५-केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन करें।
- १६-बोर्ड द्वारा जारी अनगणित प्रमाण पत्र की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन करें।
- १७-वर्तमान सहमति वर्तमान उत्पाद क्षमता १२००० टीसीडी एवं ३० मेगावॉट लोडनरेशन हेतु मान्य होगी।
- १८-उद्योग में स्थित वायु प्रदूषण नियंत्रण का समुचित संचालन करें।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने लिए जो उचित हों, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय


सदस्य सचिव

संदर्भ सं०..... / वायु प्रदूषण..... तद दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ~~को~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त नं०.....)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या 422 / सहमति (वायु) आदेश / 55/320/13 लखनऊ, दिनांक 10-4-13

विषय :- सहमति मै० को
मै० बज्ज बन्दुस्तान लि० (जु० डि०), उत्तरखण्ड, लखनऊ

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ :- आवेदन संख्या दिनांक 8-12-13

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै० बज्ज बन्दुस्तान लि०, उत्तरखण्ड, लखनऊ को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 1-1-2013 से 31-12-2013 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति शर्तें)

सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या / सहमति (वायु) आदेश /

दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. फलू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये।

[i]	सम्बद्ध चिमनी
[ii]	ब्याफ्लर -
[iii]	-
[iv]	-
[v]	-

2. वायु मंडल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।

[i]	सस्पैन्डेड पार्टिकुलेट मैटर (एस.पी.एम.)	150 मिलीग्राम प्रतिनार्मल मी ³ क्यूबिक मीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	-
[iii]	हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड मिस्ट	-
[iv]	सल्फर डाई आक्साइड	(पी.सी.एम.)
[v]	कार्बन मोनो आक्साइड	-
[vi]	हाइड्रोकार्बन	-
[vii]	अमोनिया	-
[viii]	फ्लोरीन	-
[ix]	मरकैप्टेन	-
[x]		-

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के १४ माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
- (ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश /निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनार्ये जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।


सदस्य सचिव



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी.सी./12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या..... F-39/06 /सी-6/वायु प्रदूषण/55/2014

पंजीकृत
दिनांक 7-3-14

सेवा में,

मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०, (शुगर डिवीजन)
इटई मैदा, उत्तरौला,
बलरामपुर।

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र प्राप्त दिनांक 25-10-13 का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपको सशर्त सहमति आदेश संख्या 09 /सी-6/सहमति (वायु) आदेश/18/14 दिनांक 07-3-14 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान कर्मांक संख्या 1, 3, 4, 6 से 9, 10-20 तक जो नीचे वर्णित है की ओर किया जाता है :-

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2.के 0वी० ए० क्षमता के डी० जी० सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से मी० ऊँचा किया जाय।
3. फ्लू गैस, प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे वेटस्कबर का प्राविधान, संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे
7. उचित मात्रा से वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
8. यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
9. आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति वर्तमान + सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियों) का सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।
10. ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।

11. आपको उपकर अधिनियम, 1997 में वॉछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रति भेजने को सलाह दी जाती है ।
12. उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
13. चार्टर के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन करें।
14. बोर्ड द्वारा दिनांक 13-9-13 को दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करें।
15. यह सहमति 12000 टीसीडी क्षमता हेतु मान्य होगी एंवम 33 मेगावाट कोजनरेशन के उत्पादन हेतु मान्य होगी।
16. उद्योग में ब्वायलर से जनित राख का उचित निस्तारण करें।
17. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन करें।
18. बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन करें।
19. उद्योग से जनित फलाई ऐश एवं बाटम एंश का निस्तारण किसी भी दशा में मुख्य मार्गों एवं आसपास के मार्गों के पास न किया जाय।
20. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण का समुचित संचालन करें।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

 (डा० पी०सी०शर्मा)
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 (वृत्त-6)

संदर्भ संख्या.....वायु प्रदूषण.....तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी,, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 (वृत्त-6)



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी.सी./12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या०९...../सी-6/सहमति (वायु) आदेश/55/14 लखनऊ दिनांक- ०२-३-१५

विषय: सहमति मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०.(शु०डि०) इटई मैदा, उत्तरौला, बलरामपुर को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ : आवेदन संख्या : शून्य

दिनांक 25-10-13

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै० बजाज हिन्दुस्तान लि०.(शु०डि०) बलरामपुर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 31.12.2015 तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त-6)

अनुलग्नक संलग्नक

(सहमति शर्तें)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

लखनऊ

संलग्नक सहमति आदेश संख्या..... /सहमति (वायु) आदेश/.....

दिनांक.....

सहमति शर्तें


1. फलू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये।

(i)	ब्वायलर से सम्बद्ध चिमनी	
(ii)	—	
(iii)	—	
(iv)	—	
(v)	—	
2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा निम्न मानकों के अनुरूप हो।

(i)	सस्पैन्डेड पार्टिकुलर मैटर (एस० पी० एम०)	150	मिलीग्राम प्रतिनार्मल मी ³ क्यूबिक मीटर
(ii)	मेटल इस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	—	—
(iii)	हाइड्रोजन, सल्फरट्राई आक्साइड, सल्फेटमिन्ट	—	—
(iv)	सल्फर डाई आक्साइड	—	(पी.सी.एम.)
(v)	कार्बन मोनो आक्साइड	—	—
(vi)	हाइड्रोकार्बन	—	—
(vii)	अमोनिया	—	—
(viii)	फ्लोरीन	—	—
(ix)	मरकैप्टन	—	—
(x)			
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापना उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हों।
5. बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापना (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।

6. बिन्दु 4,5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों के कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाय।
7. इकाई परिक्षेत्र प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाय।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनोंक के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाये।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई के द्वारा सुनिश्चित किया जाय एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के दो माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तों व अनुपालन बोर्ड के संस्तुति के अनुसार कर लिया जाये।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण से निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो या बोर्ड एवं अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित हैं, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक से किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाये।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार इकाई से सुनिश्चित किया जाये कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैक के अतिरिक्त अन्य बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड कर्मचारियों अथवा बोर्ड मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु का नमूना एकत्रित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाये।
14. इकाई से आबादी कृषक उपज उत्पादों को कोई नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाये तथा हटाने की सूचना को तत्काल बोर्ड को दी जाये।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगा

16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम के धारा 21(6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन-पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाय। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति पत्र आदेश को वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी का कार्यन्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित उत्सर्जन की तिथि 10 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाय।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण अधिस्थापना अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण में सम्बन्धित हो उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर के अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, प्रोपराइटर्स का पता दूरभाष संख्या की लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस आदेश में अंकित सूचना तथा शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधन अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित हैं।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी० सी० 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या सी-6/वायु सहमति/55/2016

दिनांक- 1-4-16

सेवा में,

मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि०,
इटई मैदा, उत्तरौला, जिला-बलरामपुर

विषय: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सहमति आवेदन पत्र दिनांक- 19-10-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या.....117/55/सहमति (वायु) आदेश/बलरामपुर/2016 दिनांक- 21-3-16 को संलग्न किया जा रहा है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अंदर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का संचालन एवं रखरखाव इस प्रकार किया जाये जिसमें प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
3. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायुमण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
4. उद्योग द्वारा प्रचलित समस्त पर्यावरण विधियों व अंतर्गत प्रतिपादित नियमों आदि का पूर्णतया ससमय अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
5. उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश एवं बाटम ऐश का निस्तारण इस प्रकार किया जाये कि आसपास के पर्यावरण पर इसका कोई प्रतिकूल पभाव न पड़े।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संचालन में खपत विद्युत की माप हेतु पृथक विद्युत मीटर की स्थापना की जाये तथा लागबुक बनाया जाये।
7. उत्सर्जन की अनुश्रवण आख्या बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर 15 दिन में प्रेषित करें।
8. यह सहमति 12000 टन/दिन शुगर केन कसिंग तथा 33 मेगावाट को-जनरेशन विद्युत हेतु विधि मान्य है।
9. उद्योग में ब्यायलर से जनित राख का उचित निस्तारण किया जाये।
10. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करें।


-2-

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

यह सहमति सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।


(डा० राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)

संदर्भ संख्या-

/वायु प्रदूषण/

तद दिनांक-

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

/
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी० सी० 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या 117 / सी-6 / सहमति (वायु) आदेश / 55/2016 दिनांक- 21-3-16

विषय : मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि०, इटई मैदा, उत्तरौला, जिला-बलरामपुर को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

संदर्भ : सहमति वायु आवेदन पत्र दिनांक 19-10-2015

- 1- वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि०, इटई मैदा, उत्तरौला, जिला-बलरामपुर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक- 01-01-2016 से दिनांक- 31-12-2017 की अवधि के लिए मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत ।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

(डा० राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)

अनुलग्नक : संलग्नक ।
(सहमति शर्तें)

-2-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या-.....117/सहमति(वायु)/आदेश/55/927/16 दिनांक 21-3-16

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।

सम्बद्ध चिमनी

1. 90 टन/घंटा क्षमता के 3 ब्वायलर से

भूतल से 65 मी0

2. वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।
 - (i) सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर 150 मिलीग्राम प्रतिनार्मल घनमीटर (एस0पी0एम0)
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
6. बिन्दु-4 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
8. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।

9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के चार माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों से अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
12. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।
14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाये तथा इसकी सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से चार माह अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।

19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)



(डा० राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)



संदर्भ संख्या H/14/75 सी-6/वायु प्रदूषण/वायु-55/17/बस्ती

दिनांक-
27.12.17

सेवा में,

मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि०,
इटईमैदा, उत्तरौला,
बलरामपुर।

विषय-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र जो कि कार्यालय में दिनांक-30.10.17 को प्राप्त है, का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित शर्तों के आधीन आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या-232 सहमति (वायु) आदेश/55/2017/बस्ती दिनांक-27.12.17 को संलग्न किया जा रहा है। निम्नलिखित सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवम् नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आकर्षित किया जाता है।
2. यह सहमति 12000 टन/दिन केन क्वेशिंग द्वारा चीनी तथा 33 मेगावाट के को-जनरेभान के उत्पादन हेतु विधि मान्य है।
3. उद्योग द्वारा फलाई ऐभा तथा बॉटम ऐभा के निस्तारण इस प्रकार किया जाये कि आप-पास के पर्यावरण पर इस का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
4. प्लू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
5. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे ई०एस०पी० का संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
6. आन लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के आंकड़े नियमित रूप से प्रेषित किए जायें।
7. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
8. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
9. आपके उद्योग की आडिट हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति-वर्तमान देनदारियों) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
11. उद्योग द्वारा ब्यायलर से जनित राख का निस्तारण स्वयं की भूमि पर इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाये कि आस-पास के पर्यावरण पर जल/वायु/मृदा प्रदूषण की सम्भावना नगण्य रहे एवं इस संबंध में प्रस्ताव व योजना एक माह में प्रस्तुत करें।

12. उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
13. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये कि आस-पास के पर्यावरण एवं जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
14. उद्योग की पर्यावरणीय वक्तव्य आख्या निर्धारित अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
15. परिसर में जल छिड़काव आदि की व्यवस्था एवं संचालन द्वारा डस्ट नियंत्रित किया जाये एवं स्वच्छ हाउस कीपिंग रखी जाये।
16. उद्योग द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का समुचित अनुपालन किया जाये।
17. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 12.10.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संचालन हेतु इकाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है, तो उक्त उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति बन्दी आदेश की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तों के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जायेगी।
18. पेट-कोक एवं फर्नेश आयल का ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के प्रसंग में रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 13029/1986 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

भवदीय,



(प्रमोद मिश्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

संदर्भ संख्या-

/वायु प्रदूषण/

तददिनांक-

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6



पिकप भवन, बी ब्लॉक, तृतीय तल, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 292

सी-6/वायु प्रदूषण/वायु-55/17/बस्ती

दिनांक- 27/12/2017

विषय : सहमति मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इटईमैदा, उत्तरौला, बलरामपुर को वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथासंशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ : आवेदन संख्या-

दिनांक 30.10.17

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इटईमैदा, उत्तरौला, बलरामपुर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक- 01.01.2018 से 31.12.2019 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21, 6द्ध में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6

अनुलग्नक : संलग्नक ।

लखनऊ

संलग्नक आदेश संख्या- 292 / सहमति(वायु)-65 / आदेश / सी-6 / बस्ती-17

दिनांक 27/11/17

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।
(1) 90 टन/घंटा क्षमता के 03 ब्यायलर से सम्बद्ध चिमनी-भूतल से 65 मी0 ऊँची संयुक्त चिमनी।
वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।
एस0पी0एम0 - 150 मिग्रा0 प्रतिनार्मल घनमीटर
2. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बिन्दु-4ए 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
6. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
7. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रह उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
8. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
9. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
10. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
11. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
12. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।
13. इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
14. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कंड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन सतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
15. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेंगी।

16. आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
17. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
18. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
19. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।


 मुख्य पर्यावरण अधिकारी

वृत्त-6



संदर्भ संख्या H/14/75 सी-6/वायु प्रदूषण/वायु-55/17/बस्ती

दिनांक-
27.12.17

सेवा में,

मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि०,
इटईमैदा, उत्तरौला,
बलरामपुर।

विषय-वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के संबंध में।

महोदय,


उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र जो कि कार्यालय में दिनांक-30.10.17 को प्राप्त है, का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और निम्नलिखित शर्तों के आधीन आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या-292 सहमति (वायु) आदेश/55/2017/बस्ती दिनांक- 27.12.17 को संलग्न किया जा रहा है। निम्नलिखित सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

1. सहमति में दिये गये शर्तों एवम् नीचे दिये गये विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आकर्षित किया जाता है।
2. यह सहमति 12000 टन/दिन केन क्वेशिंग द्वारा चीनी तथा 33 मेगावाट के को-जनरेभान के उत्पादन हेतु विधि मान्य है।
3. उद्योग द्वारा फलाई ऐभा तथा बॉटम ऐभा के निस्तारण इस प्रकार किया जाये कि आप-पास के पर्यावरण पर इस का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
4. प्लू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर इस पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
5. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे ई०एस०पी० का संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
6. आन लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के आंकड़े नियमित रूप से प्रेषित किए जायें।
7. आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
8. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
9. आपके उद्योग की आडिट हुई नवीनतम बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति+वर्तमान सम्पत्ति-वर्तमान देनदारियों) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस संबंध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
11. उद्योग द्वारा ब्यायलर से जनित राख का निस्तारण स्वयं की भूमि पर इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाये कि आस-पास के पर्यावरण पर जल/वायु/मृदा प्रदूषण की सम्भावना नगण्य रहे एवं इस संबंध में प्रस्ताव व योजना एक माह में प्रस्तुत करें।

12. उद्योग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।
13. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाये कि आस-पास के पर्यावरण एवं जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
14. उद्योग की पर्यावरणीय वक्तव्य आख्या निर्धारित अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
15. परिसर में जल छिड़काव आदि की व्यवस्था एवं संचालन द्वारा डस्ट नियंत्रित किया जाये एवं स्वच्छ हाउस कीपिंग रखी जाये।
16. उद्योग द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का समुचित अनुपालन किया जाये।
17. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 12.10.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संचालन हेतु इकाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है, तो उक्त उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति बन्दी आदेश की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तों के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जायेगी।
18. पेट-कोक एवं फर्नेश आयल का ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के प्रसंग में रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 13029/1986 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस सहमति आदेश के अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

भवदीय,



(प्रमोद मिश्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

संदर्भ संख्या-

/वायु प्रदूषण/

तददिनांक-

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6



पिकप भवन, बी ब्लॉक, तृतीय तल, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 292

सी-6/वायु प्रदूषण/वायु-55/17/बस्ती

दिनांक- 27/12/2017

विषय : सहमति मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इटईमैदा, उत्तरौला, बलरामपुर को वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथासंशोधित) की धारा-21/22 के अन्तर्गत ।

संदर्भ : आवेदन संख्या-

दिनांक 30.10.17

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इटईमैदा, उत्तरौला, बलरामपुर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक- 01.01.2018 से 31.12.2019 की अवधि तक मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21, 6द्ध में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6

अनुलग्नक : संलग्नक ।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

लखनऊ


संलग्नक आदेश संख्या- 292 / सहमति(वायु)-65/आदेश/सी-6/बस्ती-17

दिनांक 27/11/17

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघण्टा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए।
(1) 90 टन/घंटा क्षमता के 03 ब्यायलर से सम्बद्ध चिमनी-भूतल से 65 मी0 ऊँची संयुक्त चिमनी।
वायु मण्डल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।
एस0पी0एम0 - 150 मिग्रा0 प्रतिनार्मल घनमीटर
2. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवम् अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता है।
3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।
4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवम् अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बिन्दु-4ए 5 एवम् 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाये।
6. इकाई परिसर में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाये।
7. सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रह उत्सर्जन के अनुश्रवण किये जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाये। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवम् इसकी मासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
8. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस संबंध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जाये।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
9. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 के अधिक होता है या होने की संभावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा-29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1983 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
10. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाए।
11. इकाई का रख-रखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
12. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किये जाने से संबंध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।
13. इकाई से आबादी, कृषक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
14. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कंड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन सतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
15. उपरोक्त इंगित समस्त शर्तें अधिनियम की धारा-21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किये जाने तक वैध रहेंगी।

16. आवेदन कर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवम् प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
17. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
18. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवम् प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित हो, उपलब्ध करानी होगी।
19. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, पार्टनर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।


 मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 वृत्त-6

**CONSENT ORDER**

Ref No. - 75910/UPPCB/Basti(UPPCBRO)/CTO/air/BALRAMPUR/2019

Dated : 28/12/2019

To ,

Shri AVDESH KUMAR GUPTA
M/s BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA
Village itaimaida, post shriduttganj, tehsil utraula, distt.- Balrampur,BALRAMPUR,271607
BALRAMPUR

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended) to M/s. BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA

Reference Application No. 6675023

Dated : 28/12/2019

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
2. This consent is valid for the period from 01/01/2020 to 31/12/2021 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Chief Environment Officer, Circle-6

**Enclosed : As above
(condition of consent):**

Copy to: Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Basti for information and necessary action.

Chief Environment Officer, Circle-6

Dated : 28/12/2019

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid for the approved production capacity of cane crushing sugar capacity 12000 TCD sugar cane crushing .
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
- 3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.

- 3(b) . Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	Air Polution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	90 TPH 03 Boilers	Baggasse	1	Particulate Matter	65 meter

- 3(c) . The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	Stack No	Parameter	Standard
1	1	Particulate Matter	150 mg/NM3

- 4 . The industry should be operated in such a manner that it does not adversely affect the environment and the solid waste generated such as ash etc. is disposed in eco friendly manner .
- 5 . Any source of emission other than that mentioned in the Air consent seeking application will not be permitted by the Board .
- 6 . The industry should ensure the operation of the air pollution control system (APCS) in such a manner that the air emission confirms with the standards prescribed under the E.P Act 1986 as amended.
- 7 . The industry shall submit Environmental Statement in prescribed format as per rule no.14 as per E.P Rules 1986 .
- 8 . The industry shall abide by orders / directions issued by Hon'ble Supreme court Hon'ble High Court, Hon'ble National Green tribunal, Central Pollution Control Board and U.P Pollution Control Board for protection and safe guard of environment from time to time .
- 9 . Industry shall submit monthly monitoring reports of all stacks and ambient air quality from a certified / approved laboratory under E.P. Act 1986 .
- 10 . The industry shall comply with various provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended, Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and all other applicable rules notified under E.P. Act 1986.
- 11 . The industry will ensure the continuous and uninterrupted data supply from the OCEEMS to the CPCB and SPCB .
- 12 . The unit shall submit audited balance sheet for the current year and the details of fees deposited during last three years within a month failing which consent would be deemed void.
- 13 . The use of Pet coke and Furnace oil as a fuel in the factory is restricted in compliance of the Hon'ble Supreme court order .
- 14 . The Industry will use minimum 20% Bio Briquette as fuel in the Boiler depending upon its availability .
- 15 . The industry shall obtain prior consents in the event of any addition of new emission generation sources such as- Boiler/ Furnace/ Heaters/ D.G. Sets or alteration of existing emission sources in accordance with section- 21/22 of air Act 1981 (as amended respectively).

- 16 . Minimum 33% of the land on which industry is established will be covered and properly maintained by the plantation of tall trees of suitable species as per the guidelines set up by the Board vide its Office Order no.H-16405/220/2018/02 dt. 16/02/2018. The copy of this guideline is available at URL http://www.uppcb.com/pdf/Green-Belt-Guidle_160218.pdf .
- 17 . If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order .
- 18 . Industry shall abide by the directions given by Hon'ble Court, Central Pollution Control Board and UPPCB for protection and safe guard of environment from time to time .

Specific Conditions:

1. This consent is valid for the production of sugar capacity 12000 TCD sugar cane crushing.
2. To ensure and submit the report related to process flue gas emission and ambient air quality, compliance should be send to board by authorized laboratory within one month.
3. The industry should ensure the operation and maintenance of the air pollution control system (APCS) of wet scrubber in such a manner that the air emission confirms with the standards prescribed under the E.P Act 1986 as amended.
4. The industry shall submit the stack monitoring report by NABL lab within 01 month.
5. The industry shall submit Ash Management Plan within 01 month.
6. The industry should ensure comply with the provisions of charter on Sugar industry and industry shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
7. It is instructed to submit the certified copy of the latest balance sheet (Year 2018-19) and full investment (fixed assets + current assets-current liabilities) by the chartered accountant so as to enquire the consent fee payable by you.
8. The operation of industry should be in such a manner that no any adverse impact on the environment and public in surrounding.
9. The industry shall develop green belt as per the protocol attached with the board's office order no. H16405/220/2018/02 dated 16-02-2018 which is available on board's website.
10. Effective operation & maintenance of all installed air pollution control equipment should be done so that emission meets the norms/standards of CPCB and Industry shall be operated in such a manner that ambient air quality should not be adversely affected.
11. The industry shall comply with the directions given by the CPCB u/s 5 of E(P)A dated 06.09.2018.
12. Fly Ash content should be used for low lying industry own land filling in a scientific manner so that the problem of air/water/soil pollution do not create.
13. The industry is directed to arrange the water sprinkling at bagasse storage area to mitigate the fugitive emission/ it could not fly in the atmosphere.
14. The industry should follow the directions issued by the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Delhi vide Notification no. GSR 35(E) dated 14/01/2016.
15. Any source of emission other than that mentioned in the Air consent seeking application will not be permitted by the Board. The unit shall obtain prior consents in the event of any addition of new emission generation sources such as- Boiler/ Furnace/ Heaters/ D.G. Sets or alteration of existing emission sources in accordance with section- 21/22 of air Act 1981 (as amended respectively).
16. The industry shall comply with the provisions of Environment (Protection) Act 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended, Plastic Waste Management Rules 2016, E- Waste (Management) Rules 2016, Solid Waste Management Rules 2016 & Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 (Whichever is applicable) .
17. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against any defaulting unit, then CTO issued earlier will suspended during the pendency of the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will be deemed to be restore subject to the effective date of revocation of the closure order, with imposed conditions thereof.

Issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Chief Environment Officer, Circle-6

**336****ANNEXURE-R-17****143****UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010**Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com****CONSENT ORDER****Ref No. - 139063/UPPCB/Basti(UPPCBRO)/CTO/air/BALRAMPUR/2021****Dated : 14/02/2022****To ,**

Shri HIMANSHU KUMAR MANGLAM
M/s BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA
Village itaimaida, post shriduttganj, tehsil utraula, distt.- Balrampur,BALRAMPUR,271607
BALRAMPUR

Sub : Consent under section 21/22 of the Air (Prevention and control of Pollution) Act, 1981 (as amended) to M/s. BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA

Reference Application No. 13737985

Dated : 14/02/2022

1. With reference to the application for consent for emission of air pollutants from the plant of M/s BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA. under Air Act 1981. It is being authorised for said emissions, as per the standards, in environment, by the Board as per enclosed conditions .
2. This consent is valid for the period from 01/01/2022 to 31/12/2023 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 21 (6) of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended.
This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board**Chief Environmental Officer, Circle-6****Enclosed : As above
(condition of consent):**

Copy to: Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Basti for information and necessary action.

Chief Environmental Officer, Circle-6

Dated : 14/02/2022

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid for the approved production capacity of cane crushing 12000 TCD Sugar Cane Crushed & 33 Megawatt Co-generation .
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
- 3(a) The maximum rate of emission of flue gas should not be more than the emission norms for the stacks.
- 3(b) . Air Pollution Source Details.

Air Pollution Source Details					
S.No	Air Polution Source	Type of Fuel	Stack No.	Parameters	Height
1	03 Boilers having Capacity 90 TPH each	Baggasse (115 TPH)	1	Particulate Matter	As per E(P)A Rules, 1986

- 3(c) . The emissions by various stacks into the environment should be as per the norms of the Board .

Emission Quality Details Detail			
S.No	Stack No	Parameter	Standard
1	1	Particulate Matter	As per E(P)A Rules, 1986

- 4 . The industry should be operated in such a manner that it does not adversely affect the environment and the solid waste generated such as ash etc. is disposed in eco friendly manner .
- 5 . Any source of emission other than that mentioned in the Air consent seeking application will not be permitted by the Board .
- 6 . The industry should ensure the operation of the air pollution control system (APCS) in such a manner that the air emission confirms with the standards prescribed under the E.P Act 1986 as amended.
- 7 . The industry shall submit Environmental Statement in prescribed format as per rule no.14 as per E.P Rules 1986 .
- 8 . The industry shall abide by orders / directions issued by Hon'ble Supreme court Hon'ble High Court, Hon'ble National Green tribunal, Central Pollution Control Board and U.P Pollution Control Board for protection and safe guard of environment from time to time .
- 9 . Industry shall submit monthly monitoring reports of all stacks and ambient air quality from a certified / approved laboratory under E.P. Act 1986 .
- 10 . The industry shall comply with various provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended, Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and all other applicable rules notified under E.P. Act 1986.
- 11 . The industry will ensure the continuous and uninterrupted data supply from the OCEEMS to the CPCB and SPCB .
- 12 . The unit shall submit audited balance sheet for the current year and the details of fees deposited during last three years within a month failing which consent would be deemed void.
- 13 . The use of Pet coke and Furnace oil as a fuel in the factory is restricted in compliance of the Hon'ble Supreme court order .
- 14 . The Industry will use minimum 20% Bio Briquette as fuel in the Boiler depending upon its availability .
- 15 . The industry shall obtain prior consents in the event of any addition of new emission generation sources such as- Boiler/ Furnace/ Heaters/ D.G. Sets or alteration of existing emission sources in accordance with section- 21/22 of air Act 1981 (as amended respectively).

16. Minimum 33% of the land on which industry is established will be covered and properly maintained by the plantation of tall trees of suitable species as per the guidelines set up by the Board vide its Office Order no.H-16405/220/2018/02 dt. 16/02/2018. The copy of this guideline is available at URL http://www.uppcb.com/pdf/Green-Belt-Guidle_160218.pdf.
17. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.
18. Industry shall abide by the directions given by Hon'ble Court, Central Pollution Control Board and UPPCB for protection and safe guard of environment from time to time.

The Unit will file the renewal application at least 2 months prior to the expiry of this Order.

Specific Conditions:

1. This consent is valid for the production of 12000 TCD Sugar Cane Crushed & 33 Megawatt Co-generation only.
2. The industry should follow the directions issued by the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Delhi vide Notification no. GSR 35(E) dated 14/01/2016.
3. The unit shall submit the point wise compliance report of the previous CTO issued by the Board for the year 2021 within a month failing which consent would be deemed void.
4. The overall noise levels in and around area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc, on all sources of noise generation. The ambient noise level shall conform to the standards under the Environment (Protection) Act 1986.
5. The Industry shall dispose the hazardous waste through authorized recyclers/TSDF and comply with the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Amendment Rules, 2016 and The Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended.
6. In compliance of the provisions of the Plastic Waste Management Rules 2016 as amended, the industry shall submit the Extended Producer Responsibility (EPR) for the disposal of Plastic waste generated within a month failing which consent would be deemed void.
7. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against any defaulting unit, then CTO issued earlier will suspended during the pendency of the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will be deemed to be restore subject to the effective date of revocation of the closure order, with imposed conditions thereof.
8. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this CTO and attract action under the provisions of Law.

Issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Chief Environmental Officer, Circle-6

**Uttar Pradesh Pollution Control Board**

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

196544/UPPCB/Basti(UPPCBRO)/CTO/both/BALRAMPUR/2023**Date: 28/12/2023****To,****M/s****BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA****Villeg itaimaida, post shriduttganj, tehsil utraula, distt.-
Balrampur,BALRAMPUR,271607****Application Id-
23514745**

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA** located at **Villeg itaimaida, post shriduttganj, tehsil utraula, distt.- Balrampur,BALRAMPUR,271607**. subject to the provisions of **the Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA **BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA** **granted for the period from 01/01/2024 to 31/12/2025** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Sugar Cane Crushing	12000	Metric Tonnes/Day
2	Power Co-generation	33	Megawatt

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	50 KLD	STP	
Industrial	2400 KLD	ETP	

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
1	pH	As per E(P)A Rules, 1986

2	BOD (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986
3	COD (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986
4	TSS (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986
5	Oil & Grease (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
1	pH	As per E(P)A Rules, 1986
2	BOD (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986
3	TSS (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986
4	Fecal Coliform (MPN/100ml)	As per E(P)A Rules, 1986

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	03 Boilers having Capacity 90 TPH each	Baggasse (40 TPH each)	1	Particulate Matter	As per E(P)A Rules, 1986
2	1500 KVA DG Set	Diesel Oil	2	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
3	1500 KVA DG Set	Diesel Oil	3	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
4	500 KVA DG Set	Diesel Oil	4	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1	1	Particulate Matter	As per E(P)A Rules, 1986
2	3	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
3	2	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986

4	4	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
---	---	-----------------	--------------------------

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.

2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.

3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.

4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.

5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

1. This consent is valid for the production of Sugar cane crushing (12000 TCD) using raw material as sugar cane & sulfur etc. and Power Cogeneration of 33 MW only.
2. The industry shall maintain strict supervision upon fluctuations in operating parameters with respect to each treatment unit of the Effluent treatment plant.
3. The E.T.P. unit operation line up Strengthening is to be maintained.
4. The industry shall ensure deployment of qualified to step up self monitoring mechanism on 24 ×7 Hours basis.
5. The industry should follow the directions issued by the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Delhi vide Notification no. GSR 35(E) dated 14/01/2016.
6. The E.I.A. studies shall include comprehensive study of water & waste water balance in Addition to the adequacy studies of E.T.P. relating to pollution load reduction impacts after implementation of treatment technology & discharge of treated effluent completely for irrigation purposes in place of discharge on surface water body.
7. The industry shall deploy self monitoring task force to strictly observe & monitor treated effluent discharge restriction on surface water body located in its proximity.
8. The industry shall also explore treated effluent re-cycle mechanism in furtherance to the application of treated effluent on land as a significant alternative mode of re-cycle. This step shall in turn reduce hydraulic loading of effluent discharge as well as shall eliminate extraneous treated effluent discharge possibility elsewhere.

9. The Unit shall submit the point wise compliance report of the conditions imposed in the CTO issued by the Board for year 2022 and the audited balance sheet for the current year and the details of fees deposited within a month failing which consent would be deemed void.

10. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/process/fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.

11. In compliance of the provisions of the Plastic Waste Management Rules 2016 as amended, the industry shall submit the Extended Producer Responsibility (EPR) for the disposal of Plastic waste generated within a month failing which consent would be deemed void.

12. The overall noise levels in and around area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc, on all sources of noise generation. The ambient noise level shall confirm to the standards under the Environment (Protection) Act 1986.

13. The Industry shall dispose the hazardous waste through authorized recyclers/TSDF and comply with the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Amendment Rules, 2016 and The Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended.

14. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against any defaulting unit, then CTO issued earlier will suspended during the pendency of the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will be deemed to be restore subject to the effective date of revocation of the closure order, with imposed conditions thereof.

15. The order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No 912 and 913 of 2022 in the matter of Manav Sewa Sansthan and Ors versus UoI shall prevail on this CTO.

16. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this CTO and attract action under the provisions of Law.

**RAM
KARAN** Digitally signed
by RAM KARAN
Date: 2024.01.17
12:20:42 +05'30'

Chief Environmental Officer, Circle-6

Copy to:

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Basti for information and necessary action.

Chief Environmental Officer, Circle-6
**RAM
KARAN** Digitally signed
by RAM KARAN
Date: 2024.01.17
12:20:57 +05'30'



मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेंकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेंकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइकिलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाक्रीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

345 ANNEXURE-R-19

152

'मिक्प भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F26381 / सी-6 / वायु प्रदूषण / 54/फैजबाद

पंजीकृत

सेवा में

दिनांक 04-10-8

मो. बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०

(पूर्व में प्रतापपुर शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०)

इटि मेन, उत्तरखेला,

बलरामपुर।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।
(द्वयल संचालन हेतु)

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कृपया आप अपने आवेदन पत्र दिनांक १८.१०.२००७ का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका सशर्त सहमति आदेश संख्या 137/2007 सहमति (वायु) आदेश / 137/2007 दिनांक 28.12.07 को संलग्न किया जा रहा है।
आपका ध्यान क्रमिक संख्या १ से ६,८,९,११ से १६ जी नीचे वर्णित है, आकर्षित किया जाता है।

- 1- सहमति में दिये गये शर्तों एवं नीचे दिए गए विभिन्न बिन्दुओं का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 2- ३८० x ६ के बी. ए. क्षमता के डी. जी. सेट से संलग्न चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से ४.० मी. ऊँचाई किया जाय।
- 3- पलू गैस प्रक्रिया उत्सर्जन तथा वायु गुणता की अनुश्रवण आख्या इस पर प्रतिक्रिया करें माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 4- वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे चादर के अनुरूप का प्राविधान, संचालन एवं रख रखाव इस प्रकार किया जाये, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
- 5- इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर समस्त प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की डिजाइन, कार्यक्षमता सम्बन्धी आख्या एवं अपने उद्योग का ले-आउट प्लान प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- 6- आपके उद्योग का संचालन इस प्रकार से हो, जिससे वायु मण्डल की गुणता मानकों के अनुरूप रहे।
- 7- उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें, जिससे वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- यह सहमति केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।

- 9- आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेंसशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
- 10- ईंधन का प्रयोग, उत्पादन प्रक्रिया अथवा अन्य प्रक्रिया हेतु नहीं किया जायेगा।
- 11- आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- 12- उद्योग का पर्यावरणीय वक्तव्य निर्धारित समय अवधि में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- १३- रुपये ५० हजार की बैंक गारन्टी जिसकी वैधता मार्च, २००९ तक की हो पत्र निर्गमन दिनांक से १५ दिन में प्रेषित करें।
- १४- पूर्व में बोर्ड में जमा किये गये रुपये ५.० लाख की बैंक गारन्टी की वैधता अवधि मार्च, २००९ तक बढ़ाकर १० दिन में प्रेषित करें।
- १५- ब्याजलर पर निर्मोषाधीन प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना तत्काल पूर्ण कर सूचित किया जाये।
- १६- अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन अगस्त एक माह में प्रेषित किया जाये।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ड० सी०एस० भट्ट)

सदस्य सचिव

संदर्भ सं०..... / वायु प्रदूषण..... तद दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(सूत २६.....)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

154

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

सहमति आदेश पत्र

संख्या ५५ / सहमति (वायु) आदेश / 137/07 लखनऊ, दिनांक 28/12/07

विषय :- सहमति मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डो लि०, इटई मैन्, उत्तरीला, बलरामपुर को
वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 21/22 के अन्तर्गत।

संदर्भ :- आवेदन संख्या १८.१०.०७ दिनांक

1. वायु अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमति आवेदन प्रपत्र मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डो लि०, इटई मैन्, उत्तरीला, बलरामपुर को अपने संयंत्रों से संलग्नक में वर्णित शर्तों के अनुरूप वायुमंडल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड द्वारा अधिकृत किया जाता है।
 2. यह सहमति दिनांक द्वारा संघटन दिनांक से ०३ माह हेतु मात्र की अवधि तक मान्य है।
 3. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है।
- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

अनुलग्नक : संलग्नक

(सहमति शर्तों)


सदस्य सचिव

संलग्नक आदेश संख्या / सहमति (वायु) आदेश /

दिनांक.....

सहमति शर्तें

1. प्लू गैस की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे दिये गये विधिनियों द्वारा उत्सर्जन मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिये।

[i]	सम्बद्ध विमनी
[ii]	१० टन/घंटा ध्वांसलर
[iii]	—
[iv]	—
[v]	—

2. वायु मंडल में विभिन्न विधिनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा बोर्ड मानकों के अनुरूप हो।

[i]	सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर	१५०	मिलीग्राम प्रतिनार्मल मी ³
	(एस.पी.एम.)		व्यूथिक मीटर
[ii]	मेटल डस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)		—
[iii]	हाइड्रोजन, सल्फर ट्राई आक्साइड सल्फेड गिस्ट		—
[iv]	सल्फर डाई आक्साइड		(पी.सी.एम.)
[v]	कार्बन मोनो आक्साइड		—
[vi]	हाइड्रोकार्बन		—
[vii]	अमोनिया		—
[viii]	फ्लोरोन		—
[ix]	मरकैप्टेन		—
[x]			—

3. समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

4. बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रों का अधिस्थापन उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हो।
5. बोर्ड के अनुरूप ही उद्योगों द्वारा कार्यरत प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों में संशोधन अथवा प्रतिस्थापन (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हों) किया जा सकता है।
6. बिन्दु 4, 5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रों को कार्यरत स्थिति में, इकाई में रखा जाये।
7. इकाई परिक्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी/स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाए।
8. सहमति आदेश निर्गत किए जाने की दिनांक के एक माह के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी भासिक आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
9. (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमति शर्तों का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई द्वारा सुनिश्चित किया जाये एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमति आदेश प्राप्ति के माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
(ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार न कर लिया जाए।
10. किसी दुर्घटना या किसी अपरिहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण में निर्धारित मानकों संदर्भित धारा-29 से अधिक होता है या होने की सम्भावना हो तो बोर्ड और अन्य संस्थानों जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) धारा, 1993 में वर्णित है, को सूचित करना चाहिए।
11. इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड की पूर्व अनुमति के न किया जाय।
12. इकाई का रखरखाव इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन, स्टैक के अतिरिक्त अन्य किसी बिन्दु से नहीं होना चाहिए।
13. इकाई द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों, मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा, चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु उत्सर्जन का नमूना एकत्रित किए जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाए।

14. इकाई से आबादी, कृषिक उपज इत्यादि को कोई भी नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाए तथा हटाने की सूचना तत्काल बोर्ड को दी जाए।
15. आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमति आदेश में तथा शर्तों में दिए जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाए। किसी भी समय पर दिए गए आदेश / निर्देश अथवा इस सहमति आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
16. उपरोक्त हार्गिल समस्त शर्तें अधिनियम की धारा 21 (6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
17. आवेदनकर्ता द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु सहमति आवेदन पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाए। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमति आदेश की वैधता समाप्त होने से 30 दिन अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी की कार्यान्वयन तिथि हो एवं प्रस्तावित नवीन उत्सर्जन की तिथि से 30 दिन पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाए।
18. बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करायी जाए।
19. आवेदक को निरीक्षणकर्ता/बोर्ड को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्रों के निर्माण, अधिस्थापन अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित हो, उपलब्ध करानी होगी।
20. इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, चार्टर्डर्स, प्रोपराइटर्स का पता, दूरभाष संख्या की एक लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
21. इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए, जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हेतु अथवा अधिकृत।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

351

158

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F26380 /सी-६/बल/५५/फैजाबाद

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 04-1-88

मै० बज्जज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डो लि०,
(पूर्व में प्रतापपुर शुगर एण्ड इण्डो लि०)
इटई मैय, इतयेला,
बलरामपुर।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।
(जल संचालन हेतु मान्य है)

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक शून्य दिनांक १८.१०.२००७

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा संशर्त सहमति आदेश पत्रांक 155/2007 दिनांक 28.12.07 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व डी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, डी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष २००७-०८ की बैलेंसशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल-वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। उत्प्रवाह को पूर्वतया रिसाइलिंग व्यवस्था के माध्यम से पुनः उपयोग में लाया जाये।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

10. आपको उपरकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- ११- रुपये ५० हजार की बैंक गारन्टी जिसकी वैधता मार्च, २००९ तक की हो पत्र निर्गमन दिनांक से १५ दिन में प्रेषित करें।
- १२- बोर्ड में पूर्व में जमा किये गये रुपये ५.० लाख की बैंक गारन्टी की वैधता अवधि अग्रिम मार्च, २००९ तक बढ़वाकर १५ दिन में आवश्यक रूप से प्रेषित करें।
- १३- यह सहमति पूर्वतय रिजर्विलिंग फ़ंड पर अश्वरित उत्प्लावक का पुनः उपयोग किये जाने हेतु ही मान्य है।
- १४- राज्य बोर्ड से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में उचित शर्तों की विन्दुवार अनुपालन आख्य एक माह में प्रेषित किये जाये।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डॉ० सी०एस० भट्ट)
सदस्य सचिव

पृ० सं०.....

तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फ़ैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(घृत्त-६)



पिकप सवन तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या ५५ /सहमति/जल आदेश/155/67 लखनऊ दिनांक 28.12.71

विषय से० बज्जल हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडि० (पूर्व में मै० प्रतापपुर शुगर एंड इंडि०) से० लि०, ई० लि०, इटइमैय, उत्तरखाला, बलरामपुर।
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या दिनांक 2.10.69

जल-राशि या सीवरों या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र को निर्देश में मै० बज्जल हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडि० को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुये में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक से तीन माह तक मात्र दिनांक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड अक्षरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

सदस्य सचिव

संलग्नक : अनुलग्नक

सहमति आदेश संख्या.....सहमति /

दिनांक.....का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्स्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्स्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्स्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³
---------------------	--	---

(i) घरेलू

७० कि०ली०/दिन

(ii) औद्योगिक

१२०० कि०ली०/दिन

(अ) प्रक्रिया जल

(केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के अनुरूप

ब्लीडिंग धोने के

युक्त उपयोग में लाया जाये।)

जल सहित

(ब) शीतलन जल

2. ब्लीडिंग जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्स्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्स्रवाह मापन तथा उत्स्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्स्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के ड्राइंग स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्स्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्स्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्स्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्स्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्स्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20⁰ से. पर 5 दिन की बी.ओ.डी.

30 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।

कुल निलम्बित ठोस

100 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्स्रवाह, ब्लीडिंग जल, शीतलन उत्स्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्स्रवाह सहित औद्योगिक उत्स्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्स्रवाह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्स्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाय के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेम्बर होने चाहिये। टर्मिनल, मेनहोल में उत्स्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिये।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्स्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्स्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्स्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्स्रवाह शर्त संख्या 8 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु में पक्के ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।
पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार दिखाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थले की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्स्रवाह शुद्धिकरण, उत्स्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्स्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि गरोव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
(ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विपैले पदार्थों का विपैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाय। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप विस्तारित उत्स्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीफोनिकली तथा आँचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करें। सभी पाइप, बाल्व, सीवर और ड्रेन

रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की छुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धीकृत धरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना, किसी भी सासान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रवालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिये गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
23. उपरोक्त शर्तों जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेंगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक, सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुरितका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फेक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फेक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फेक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एतारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाय।
28. निदेशक (निदेशको), साझेदार (साझेदारी), प्रोपराइटर (प्रोपराइटर) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ANNEXURE-R-20

164

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संख्या संख्या

F34329

/सी-६/जल/५५/फैज०

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 12-6-08

मै० बज्ज किन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्ड० लि०,
(पूर्व में प्रतापपुर शुगर एण्ड इण्ड० लि०)
इटमैच, उत्तरीला,
बलरामपुर।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निरस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक दिनांक १५.०३.२००६

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा संलग्न सहमति आदेश पत्रांक 232/2008 दिनांक 9.6.08 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० १, ३, ५, ७, ८ से ३३ पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सफाई स्त्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक गीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह गीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व टी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, टी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र को डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष २००७-०८ की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जांच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संभालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण सोडें द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
8. कृपया छोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्त्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीरारे महीने भेजें।

- 10 भागकों उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया मालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- ११- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन करें।
- १२- बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं आठवां एक माह में प्रेषित करें।
- १३- यह सहमति पूर्णतया रिसाइकिलिंग प्रदूषण पर आबर्तित उपग्रह का पुनः प्रयोग किये जाने हेतु ही मान्य है।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय
 (डॉ० ओ०एस० भट्ट)
 सचिव

पृ० सं०.....

तार दिनांक.....

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैजबाद को सूचनाार्थ
 एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

/
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 (पृष्ठ-६)



'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या ५५

/सहमति/जल आदेश/लखनऊ दिनांक 23/6/88

विषय वै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डो लि०, इटईमैद, उत्तरा, बलरामपुर को

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या.....

१५.३.०८
दिनांक

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश मेंको उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुयें में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 09-8-2002 से 31.12.2002

दिनांक.....की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

सदस्य सचिव

संलग्नक : अनुलग्नक

सहमति आदेश संख्या.....

सहमति/

दिनांक.....

का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्स्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्स्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्स्रवाह का प्रकार

अधिकतम दैनिक

अधिकतम प्रति घंटा

निस्तारण मी³निस्तारण मी³

(i) घरेलू

30 कि०ली०/दिन

(ii) औद्योगिक

1000 कि०ली०/दिन

(iii) प्रक्रिया जल

(केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के अनुरूप
युक्त उपयोग के साथ आये।)

ब्लीड होने के

जल सहित

(iv) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्स्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्स्रवाह मापन तथा उत्स्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्स्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्स्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्स्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्स्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्स्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्स्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20° से. पर 5 दिन की बी.ओ.डी.

30 मि.ग्रा./ली. से अधिक न हो।

कुल निलम्बित ठोस

100 मि.ग्रा./ली. से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्स्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्स्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्स्रवाह सहित औद्योगिक उत्स्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्स्रवाह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।


6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्स्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MIX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट व सीमेंट कंक्रीट के चेंबर होने चाहिये। टर्मिनल, मेनहोल में उत्स्रवाह मापन तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिये।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्स्रवाह गिलाकार (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्रतिबंधों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्स्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्स्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्स्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु बोर्ड के अनुरूप में बंधे, बड़े हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।
यकी ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार विद्यमान बाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें मुफसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल गेनहोल की भाँति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्स्रवाह शुद्धिकरण, उत्स्रवाह मालन, नगूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल गेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में त्रिस्तरीय प्रक. माह.....या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जठर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्स्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी लोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि बड़ भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
(ii) ज्वलनशील कर्दमिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
(iii) जैविक अव्यय पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विधेलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाय। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/सयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्स्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आँचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सक अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करे। सभी पाइप, वास्त, सीवर और ड्रेन

- विसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरशाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।
19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेंट्स के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
 20. शुद्धीकृत धरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद गुरस्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
 21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिये गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
 22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करें।
 23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेंगी।
 24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
 25. एक निरीक्षण पुरितकग खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फ़ैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
 26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फ़ैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करावें।
 27. फ़ैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोविक स्थितियां या भच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाय।
 28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
 29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हों, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।


सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

F 46604

सी-६/जल/५५/कैजा०

पंजीकृत

दिनांक

24-3-09

सेवा में

मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडस्ट्रीज लि०,
ग्राम- इटईमैदा, तह०-उत्तरौला,
जिला- बलरामपुर (यू०पी०)

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक दिनांक १५.११.०८

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 36/2009 दिनांक 9.3.09 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० १, २, ३, ५, ७, ८ से १५ पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष २००८-०९ की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
8. कृपया टोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

११. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन करें।

१२. बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं आख्या एक माह में प्रेषित करें।

१३. यह सहमति पूर्णतया रिसाइकिलिंग पद्धति पर आधारित उद्योग का पुनः प्रयोग किये जाने हेतु ही मान्य है।

१४. उ०प्र० सरकार की अधिसूचना दि०-८.९.०८ के अनुसार यदि शुल्क देय है तो उसे जमा करना होगा।

१५. पूर्व में प्रेषित बैंक गारंटी संख्या-४४०८ आईएलजी ०००८०८ दि०-१७.१.०८ रू०-५०,०००/- जिसकी वैधता तिथि -३१.३.२००९ है, को पत्र निर्गमन दिनांक से १५ दिन के अन्दर दो वर्ष हेतु बढ़वाकर प्रेषित करें।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हों, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डा० सी०एस०भट्ट)
सदस्य सचिव

पृ० सं०.....

तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त- ९)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या

१५ /सहमति/जल आदेश/३६/०९ लखनऊ दिनांक २२.०९

विषय मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डो लि०, इटईमैद, उतयौला, बलरामपुर को

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या.....

२५.११.०८
दिनांक

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में बजाज हिन्दुस्तान शुगर एण्ड इण्डो लि०, इटईमैद, उतयौला, बलरामपुर को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुयें में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक ०१.०१.२००९ से ३१.१२.२००९ दिनांक

की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

संलग्नक : अनुलग्नक

सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सहमति आदेश संख्या.....सहमति/

दिनांक.....का संलग्नक

सहमति शर्तें

- अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³
(i) घरेलू	७० कि०ली०/दिन	
(ii) औद्योगिक	१२०० कि०ली०/दिन	
(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड घोने के जल सहित	(केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के अनुरूप पुनः प्रयोग में लाया जाये।)	
(ब) शीतलन जल		
- ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
- घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20 ⁰ से पर 5 दिन की बी.ओ.डी.	30 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।
- सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
- अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हों उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।
- विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।
- शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेम्बर होने चाहिये। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिये।

3

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्स्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्स्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्स्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्स्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु चार्टर के अनुरूप में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।
- पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्स्रवाह शुद्धिकरण, उत्स्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिशानिर्देश एक माह या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्स्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइनें की अनुद्देश्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
- (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूविज्ञान जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
- (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
- (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाय। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्स्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा औचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करें। सभी पाइप, बाल्व, सीवर और ड्रेन

4

रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल भेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धीकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिये गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करे।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेंगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फेक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फेक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फेक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाय।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

F 62212

/सी-६/जल/५५/पंजा०

पंजीकृत

सेवा में,

मै० जजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इं० लि०
ग्रुप-इटईमैदा, उत्तरौला,
बलरामपुर।

दिनांक

25-2-10

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक

दिनांक ३.१०.०९

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा शर्त सहमति आदेश पत्रांक 166/2010 दिनांक 19.2.10 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ज़ेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष 2008-09 की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अद्यतन-वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

११. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें।
१२. बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें एवं अगला एक माह में प्रेषित करें।
१३. यह सहमति पूर्णतया रिसाइकिनिंग पद्धति पर आधारित उत्प्रवाह का पुनः प्रयोग किये जाने हेतु ही मान्य है।
१४. उ०प्र० सरकार की अधिसूचना दि०-८.९.०८ के अनुसार यदि शुल्क देय है तो उसे जमा करना होगा।
१५. ₹०५०,०००/- की बैंक गारंटी की वैधता अग्रिम दो वर्ष तक बढ़वाकर प्रेषित करें।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डा० सी० एस० भट्ट)
सम्बन्ध सचिव

पृ० सं०.....

तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त- ६)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विमूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या ५५ /सहमति/जल आदेश/(66/10 लखनऊ दिनांक 19.2.10

विषय मै० बजाज हिन्दुस्तान शगर एंड इं० लि०, इटईमैदा, उत्तरांचल, लखनऊ को

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/28 के अन्तर्गत उत्प्रेषण निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या.....

23.10.09
दिनांक

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै० बजाज हिन्दुस्तान शगर एंड इं० लि०, इटईमैदा, उत्तरांचल, लखनऊ को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुयों में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 1.10.2010 से 2.10.2010 दिनांक

की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उपरोक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

संलग्नक : अनुलग्नक

सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सहमति आदेश संख्या.....सहमति/

दिनांक.....का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³
(i) घरेलू	७० कि०ली०/दिन	
(ii) औद्योगिक	१२०० कि०ली०/दिन	
(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड धोने के जल सहित	(केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के अनुरूप पुनः प्रयोग में लाया जाये।)	
(ब) शीतलन जल		

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आदेश पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20° से. पर 5 दिन की बी.ओ.डी.	30 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।
4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।
7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।
8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से डके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेम्बर होने चाहिये। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिये।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु..... चार्टर के अनुसार.....में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।
पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक..... एक माह.....या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फँकट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
(i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
(ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
(iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाय। विषयुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फँकट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा औचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फँकट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करें। सभी पाइप, बाल्व, सीवर और ड्रेन

रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रावाह, उत्प्रावाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रावाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धीकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रावाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रयालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिये गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रावाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रावाह निस्तारण की दर, उत्प्रावाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करे।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रावाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रावाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाय।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।


सदस्य-सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

F8336

सी-६/जल/५५/फैजबाद

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक

1-4-11

मै० बज्ज हिन्दुस्तान शुगर एंड इं० लि०,
ग्राम-ईटइमैद, उत्तरौला,
बलरामपुर।

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक दिनांक १२-११-१०

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 296/2011 दिनांक 16.3.11 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।
१-५, ७-१५ तक

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष..... २००९-१०..... की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।

10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

११- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन करें।

१२- बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन करें एवं आख्य एक माह में प्रेषित करें।

१३- यह सहमति वर्तमान उत्पादन क्षमता १२००० टन प्रतिदिन केन कृशिंग हेतु मान्य होगी।

१४- पूर्व निर्गत सहमति में दिये गये निर्देशों के अनुसार बैंक गारंटी १५ दिन में जमा करें।

१५- उद्योग नियमित शुद्धिकृत उद्यवाह का पूर्णतया रिसाइकिल करें।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

(डा० सी० एस० भट्ट)

सदस्य सचिव

पृ० सं०.....

तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फेजबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

184

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या

/सहमति/जल आदेश/296/11

लखनऊ दिनांक 16.3.11

विषय

मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडि० लि०, इटइमैव, उत्तरौला, बलरामपुर को

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या.....

दिनांक 2-11-10.....

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडि० लि०, इटइमैव, उत्तरौला, बलरामपुर को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुयें में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक 1-12-11 से 31-12-2011 दिनांक

की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

संलग्नक : अनुलग्नक

सदस्य सचिव

सहमति आदेश संख्या.....सहमति/

दिनांक.....का संलग्नक

सहमति शर्तें

- अधिकतम दैनिक उत्प्रावाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रावाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रावाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³
----------------------	--	---

(i) घरेलू

(ii) औद्योगिक

चार्टर के प्राविधानों के अनुसार

(अ) प्रक्रिया जल

ब्लीड धोने के

जल सहित

(ब) शीतलन जल

- ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रावाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रावाह मापन तथा उत्प्रावाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रावाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रावाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रावाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रावाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
- घरेलू उत्प्रावाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रावाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20° से. पर 5 दिन की बी.ओ.डी.	30 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।
- सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रावाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रावाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रावाह सहित औद्योगिक उत्प्रावाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रावाह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
- अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
- घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रावाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।
- विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।
- शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेम्बर होने चाहिये। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रावाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिये।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु.....में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।
पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक.....या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फ़ैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाय। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फ़ैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आँचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फ़ैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करें। सभी पाइप, बाल्व, सीवर और ड्रेन

रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई, अंतिम उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धीकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिये गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करे।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाय।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या

सेवा में,

मै० बज्ज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंड० लि०,
इटीई मैद, उत्तरौला,
बलरामपुर

पंजीकृत

दिनांक

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक दिनांक १७-४-१२

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 393/2012 दिनांक 18.7.2012 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० १-५, ७-१४ तक पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष.....की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।
- ११- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चार्टर के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
- १२- यह सहमति वर्तमान उत्पादन क्षमता १२००० टन/दिन केन कृषि हेतु मान्य होगी।
- १३- बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन करें एवं आख्या एक माह में प्रेषित करें।
- १४- पूर्व निर्गत सहमति में दिये गये निर्देशों के अनुसार बैंक गारंटी १५ दिन में जमा करें।
- १५- उद्योग से जनित शुद्धिकृत उद्यमवाह का पूर्णतया रिसाइकिल करें।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

सदस्य सचिव

पृ० सं०.....

तद् दिनांक.....

प्रतिलिपि : क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त- ६)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फाम XV

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या ५५/सहमति/जल आदेश/393/12 लखनऊ दिनांक 18-7-12
विषय- मै० बज्ज हिन्दुस्तान जुगर एण्ड इण्डो लि०, इटईमैद, उत्तरीला, बलरामपुर के

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रवाह
निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या.....

१७.४.१२

दिनांक

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)
अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन
पत्र के निर्देश में मै० बज्ज हिन्दुस्तान जुगर एण्ड इण्डो लि०, इटईमैद, उत्तरीला, बलरामपुर को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर
पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुयें में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में
उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति दिनांक ०४.५.२०१२ से ३१.१२.२०१२ दिनांक
की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के
अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का
अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

सहमति आदेश संख्या.....सहमति/

दिनांक.....का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³
---------------------	--	---

- (i) घरेलू - 70 L/D → चार्टर के प्राविधानों के अनुसार
- (ii) औद्योगिक

- (अ) प्रक्रिया जल
ब्लीड घोने के
जल सहित
- (ब) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह रट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।

3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20° से. पर 5 दिन की बी.ओ.डी.	30 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा./ली. से अधिक न हो।

4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।

7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।

8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेम्बर होने चाहिये। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिये।


9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु.....में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।

पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भांति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।

11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बन्ध में दिनांक.....या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक गहीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भांति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फ़ैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भांति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करे या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर मुक्ति क्षेत्रों में मुहरबन्द सील ड्रम में रखा और दफनाना जाय। विषमयुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फ़ैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आँचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फ़ैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करे। सभी पाइप, बाल्व, सीवर और ड्रेन

रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धीकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिये गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करे।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेंगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुरितका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फैक्ट्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाय।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।


सदस्य सचिव



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F22039/श-6/01/55/Fgd.

पंजीकृत

सेवा में,

दिनांक 10-4-13

पै० बज्ज किन्दुस्तन लि०, (शु० डि०),
ईटह पैद, उत्तरप्रेश,
बलरामपुर

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक दिनांक 8-12-12

के साथ संलग्न सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया तथा सशर्त सहमति आदेश पत्रांक 46/2003/55/दिनांक 10-4-13 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दु सं० पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।

1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापक यंत्र लगवायें, वी-नाच की मापी गई सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तारण व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आउट प्लान) इस पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की आडिट की हुई वर्ष 2012-13 की बैलेंसशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल+वर्तमान-वर्तमान जिम्मेदारियों) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य है। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जाए।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

10. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रगति भेजने की सलाह दी जाती है।

११-बोर्ड द्वारा दिनांक १९-९-१३ को दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करें।

१२-केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चार्टर के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन करें।

१३-बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन करें।

१४-यह सहमति वर्तमान उत्प्रेदन क्षमता हेतु मान्य होगी।

१५-उद्योग की बैलेंसशीट प्रेषित करें बैलेंसशीट के अनुसार मुलक देय होगा जो उसे ज मा करना होगा।

१६-उद्योग में घरेलू उद्योगों के निस्तरण हेतु सीबिज टैटमेंट प्लॉट की स्थापना ६ माह के अंदर करना सुनिश्चित करें।

१७- उद्योग से जमित झुटिकृत उद्योगों का अधिकांश भाग पुनः प्रयोग करें एवं अवशेष भाग का निस्तरण इस प्रकार करें जिससे नदी/नाले की जल गुणवत्ता प्रभावित न हो।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी /सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

भवदीय

सचिव

सहाय्य सचिव

पृ० सं०

तद दिनांक

प्रतिलिपि :

क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

एवं

आवश्यक कार्यवाही हेतु, प्रेषित।

मुख्य प्रदूषण अधिकारी

(वृत्त)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

“पिकप भवन” तृतीय तल, बी-ब्लॉक, विमूक्ति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV

सहमति आदेश प्रपत्र

संख्या 441 / सहमति / जल आदेश / 55/2013 लखनऊ, दिनांक 10-4-13

विषय : मै० बज्जब हिन्दुस्तान लि०, यु० डि०, बलरामपुर को

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथा संशोधित) की धारा 25/26 के अन्तर्गत उत्प्रेषण निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या..... दिनांक..... 8-12-12

जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै० बज्जब हिन्दुस्तान लि०, यु० डि०, बलरामपुर को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगरपालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुयें में/भूमि पर निस्तारण करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।

2. यह सहमति वर्ष के मास दिनांक से अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

01-12-12

31-12-2012

3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत वर्णित किसी/सभी शर्तों पर पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर।

सदस्य सचिव

संलग्नक : अनुलग्नक

(2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सहमति आदेश सं..... सहमति/

दिनांक.....का संलग्नक

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घंटे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³
---------------------	---------------------------------------	--

- (i) घरेलू ७० केएलडी
- (ii) औद्योगिक चार्टर के प्राविधानों के अनुसार
- (अ) प्रक्रिया जल
- ब्लीड धोने के
- जल सहित
- (ब) शीतलन जल

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो।
3. घरेलू उत्प्रवाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 20° से. पर 5 दिन की बी.ओ.डी. | 30 मिग्रा./ली. से अधिक न हो। |
| कुल निलम्बित ठोस | 100 मिग्रा./ली. से अधिक न हो। |
4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा सं. 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किए जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिए।
7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।
8. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX 15 साइज

(3)

और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेंट कंक्रीट के चेम्बर होने चाहिये। टर्मिनल मेनहोल में उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिये।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।
10. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त संख्या 9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।

पचकी ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भांति बनाया जाये बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।

11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के सम्बंध में दिनांक 3.1.1.5.2003 या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखांचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अंतिम निस्तारण बिन्दु का रेखांचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात तूफान के जल को भली भांति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भांति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनाश्वत किया जाए कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाय।
16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर सम्भव हो सके तो दूर किया जाए अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबंद स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाय। विषमुक्त करने या मुहरबंद करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आँचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रखरखाव स्थापित करे। सभी पाइप, बाल्ब, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना

(4)

चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुलेस्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिए।

19. प्रार्थी को टर्मिनल, मेनहोल तथा अंतिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धीकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किए जाने वाले दिन तीन महीने में एक बार लिया जाए और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाए। सलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने केबाद तुरन्त/समय – समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किए इस सहमति आदेश में दिए गए निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करे और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति केबिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन न करे।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27 (2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहलेया प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुरतिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फौक्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने सम्बन्धी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से सम्बन्धित सूचना फौक्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फौक्री परिसर से अंतिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावर हो, को नहीं होने दिया जाय।
28. निदेशक (निदेशको), साझेदार (साझेदारी), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) केनाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाए।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिए गए सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।



सदस्य सचिव



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी.सी./12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या..... F39112 /सी-6/जल सहमति/55/2014

दिनांक..... 7-3-14 पंजीकृत

सेवा में,

मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडो लि०,
इटई मैदा, उत्तरौला
, बलरामपुर।

विषय: जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को धारा 25/26 और इसके संशोधित अधिनियम 1974 के अन्तर्गत घरेलू/प्रकिया जनित उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति ।

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक शून्य दिनांक 25-10-13 के साथ संलग्नक सहमति आवेदन पत्र का संदर्भ लें। आपके सहमति आवेदन पत्र परीक्षण किया गया सशर्त सहमति आदेश पत्रांक..... 09/ /सी-6/सहमति जल/55/2014 दिनांक..... 07-3-2014 संलग्नक हैं। आपका ध्यान निम्न बिन्दु संख्या 1-5 से 7-17 तक पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है :-


1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्त के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई श्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापन मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर की मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व वी-नाच या अन्य कोई मापन यंत्र लगवायें वी-नाच की मापी गयी सूचनायें तथा केलीब्रेशन चार्ट समय-समय पर प्रेषित करें।
4. घरेलू उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र के डिजाइन तथा विस्तृत विवरण और जल निस्तार व्यवस्था का रेखांकित मानचित्र (ले आऊट प्लान) इस पत्र प्राप्त के एक महीने के भीतर प्रेषित करें।
5. आपको उद्योग की ऑडिट की हुई वर्ष 2012-13 की बैलेन्सशीट की प्रतिलिपि या चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति - वर्तमान देनदारियाँ) का सत्यापित प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।
6. यह सहमति केवल घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु मान्य हैं। औद्योगिक उत्प्रवाह किसी भी स्थिति में निस्तारित न किया जायें।
7. कृपया स्थापित उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्चित करें, जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
8. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी श्रोत का जल प्रदूषित न हों।
9. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।

10. आपको उपकर अधिनियम 1977 में वांछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।
11. यह सहमति वर्तमान उत्पादन क्षमता हेतु मान्य होगी।
12. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा निर्धारित चार्टर के प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
13. उद्योग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह का अधिक से अधिक भाग पुनः प्रयोग किया जाये एवं अवशेष भाग का निस्तारण इस प्रकार करें जिससे नदी/नाले की जल गुणता प्रभावित न हो।
14. उ०प्र० सरकार की अधिसूचना दिनांक 8-9-08 के अनुसार यदि शुल्क देय होगा तो उसे जमा करना होगा।
15. उद्योग में घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना 6 माह के अंदर करना सुनिश्चित करें।
16. बोर्ड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का पूर्णतया अनुपालन करें।
17. उद्योग की बैलेंसशीट प्रेषित करें बैलेंसशीट के अनुसार शुल्क देय होगा तो उसे जमा करना होगा।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुये भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय



(डा० पी०सी० शर्मा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

वृत्त-6

पृ० सं०...../

तद दिनांक.....

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ~~लखनऊ~~ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त-6)

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी.सी./12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

फार्म XV सहमति आदेश पत्र

संख्या.....०१...../सी-6/सहमति जल/54/2013 लखनऊ, दिनांक : ०७-३-२०१५

विषय: मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडो लि०,ईटई मैदा उत्तरौला, बलरामपुर को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 के अंतर्गत उत्प्रवाह निस्तारण हेतु सहमति ।

संदर्भ : आवेदन पत्र सं०.....

दिनांक 25-10-13

1. जलराशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिये जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिये उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर एंड इंडो लि०, ईटई मैदा उत्तरौला, बलरामपुर को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/कुर्ये में/भूमि पर निस्तारण करने के लिये अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक 01-1-2014 से 31-12-2015 से दिनांक की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 और इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अंतर्गत वर्णित किसी भी/शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के अनुसार जो उचित हो का परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिये और उसकी ओर से।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

अनुलग्नक संलग्नक
(सहमति शर्तें)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संलग्नक आदेश सं०...../सहमति दिनांक..... का संलग्नक

सहमति शर्तें


- अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घन्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिये।

उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³
(i) घरेलू	70 केएलडी	
(ii) औद्योगिक	चार्टर के प्राविधानों के अनुसार	
(अ) प्रक्रिया जल ब्लीड/ धोने के जल सहित		
(ब) शीतलन जल		
- ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल घरेलू उत्प्रवाह को रोकने के लिये अलग-अलग बन्द जल प्रवाह के प्रक्रिया बनाई जायें। एकत्र करने की व्यवस्था के अंतिम छोर पर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिये। कोई भी उत्प्रवाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ट्रेन में निस्तारित न हो।
- घरेलू उत्प्रवाह टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

20° से 0 पर 5 दिन की बीओडी	30 मिग्रा./ली० से अधिक न हो
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा./ली० से अधिक न हो
- सभी प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकरण किया जाये कि उत्प्रवाह बोर्ड द्वारा संख्या 713/37/83/19/ए आर एन दिनांक 6-4-83 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिये।
- अन्य प्रचालक जिनके मानक में न दिये हों उनका मानक उद्योग में निर्माण प्रक्रिया प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होने चाहिये।
- घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होनी चाहिये।
- विश्लेषित करने के लिये नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिये।
- शर्त संख्या-2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्थायुक्त कम से कम 15×15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेण्ट चैम्बर होने चाहिये। टर्मिनल मेनहोल के उत्प्रवाह नापने तथा विश्लेषण के लिये नमूना लेने की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये।

9. शुद्धीकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या- 2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये । इस संयुक्त निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने की व्यवस्था होनी चाहिये ।
10. शुद्धीकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह शर्त सं0-9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अंतिम निस्तारण बिन्दुसोकपिट..... में पक्के, ढके हुये बंद पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये। पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिये जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे हानि न पहुंचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये। बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाया जायें।
11. इन शर्तों का विशेष रूप से उत्प्रवाह शुद्धिकरण, उत्प्रवाह मापन, नमूना एकत्र करने की व्यवस्था टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में दिनांक...31-5-2013..... या उससे पहले पूर्ण अनुपालन किया जायें।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेंजे ।
13. विस्तृत निर्माण स्थल रेखाचित्र उत्प्रवाह ले जाने वाले पाइप लाइन की अनुदैर्ध्य काट व प्लान तथा शर्त 8, 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का स्थल रेखाचित्र, इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेंजे ।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात/तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल व उत्पादन या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हों, खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अवशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिये इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जायें कि रिसाव पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाये।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्ज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग किया जाये।
16. विशेष पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबंद स्टील ड्रम में रखा जाये । विषमुक्त करने या मुहरबंद करने का कार्य बोर्ड में अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाये ।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रवाह की मात्रा बढ़ जाये/और या उपरोक्त पैरा 3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा आंचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुये सूचित किया जाये ।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अंदर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावविरोधी होने चाहिये। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रवाह, उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिये और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं जाने दिया जाना चाहिये।

19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिये उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिये।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिये विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिये गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करे तो वह कानूनन अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत विधिक कार्यवाही के लिये उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले न परिवर्तन करें।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27 (2) के अंतर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, जब तक लागू रहेंगी।
24. प्रार्थी को सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिये।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिये और उसे बोर्ड के अधिकारियों को फ़ैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
26. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र या संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फ़ैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध करायें।
27. फ़ैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिंचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाये। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियां या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाये।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पते व टेलीफोन की सूची दी जाये।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम 1978 की धारा 27 (2) के अंतर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती हैं।


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

टी० सी० 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

संदर्भ संख्या

/सी-6/सहमति जल/55/2016/बली

दिनांक-

सेवा में,

मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि०,
इटई मैदा, उत्तरौला, जिला-बलरामपुर

विषय : जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने सहमति आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक-19-10-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। सशर्त सहमति आदेश पत्रांक-122/सी-6/सहमति(जल)आदेश/55/बली/दिनांक-21-3-16 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जा रहा है।


1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग से प्रतिदिन निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह को मापने हेतु ड्रेन में अन्तिम निस्तारण बिन्दु से पूर्व मापक यंत्र लगाये एवं मापी गई सूचनायें समय-समय पर प्रेषित करें।
4. उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रख रखाव सुनिश्चित करें जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. कृपया ठोस अपशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
6. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
7. आपको उपकर अधिनियम, 1977 में वॉछित नियमों का पूर्णतया पालन करने और बोर्ड को इस सम्बन्ध में प्रति भेजने की सलाह दी जाती है।
8. उद्योग द्वारा प्रचलित समस्त पर्यावरण विधियों व अंतर्गत प्रतिपादित नियमों आदि का पूर्णतया ससमय अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
9. आन लाइन इफ्लूयेंट मानीटरिंग सिस्टम को राज्य बोर्ड तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से जोडा जाये।
10. उद्योग से जनित उत्प्रवाह को बोर्ड मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत करके प्रक्रिया में पुनः प्रयोग तथा सिंचाई हेतु प्रयुक्त किया जाये।
11. उत्प्रवाह को बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से विश्लेषण कराकर आख्या विलंबतम एक माह में प्रस्तुत करें।
12. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक्शन प्लान के निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करें।
13. उद्योग द्वारा घरेलू उत्प्रवाह के शोधन हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जाये।
14. यह सहमति शुगर केन कसिंग 12000 टन/दिन, धीनी के उत्पादन तथा 33 मेगावाट विद्युत के उत्पादन हेतु विधि मान्य है।

15. उद्योग द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित बैलेन्सशीट एक माह में प्रेषित किया जाए तदनसार
अवशेष शुल्क यदि वांछित है तो देय होगा।
16. उद्योग द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अक्षरशः
अनुपालन किया जाएगा।
17. उद्योग का संचालन इस प्रकार किया जाएगा कि आस-पास के पर्यावरण एवं जनमानस पर
प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा-27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।
यह सहमति सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत की जा रही है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,



(डा0 राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)

तद् दिनांक-

पृष्ठ संख्या-

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

/
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0 सी0 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ
केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म XV सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या /22/सी-6/जल सहमति आदेश/55/96/2016 लखनऊ, दिनांक-21-3-16

विषय:-मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इटई मैदा, उत्तरौला, जिला-बलरामपुर को जल (प्रदूषण निवारण नियंत्रण) 1974 (यथा संशोधित) के धारा 25/26 और अंतर्गत उत्प्रावाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ: सहमति जल आवेदन पत्र दिनांक 19-10-15

1. जल राशि या (ड्रेन) में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मैसर्स बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इटई मैदा, उत्तरौला, जिला-बलरामपुर को उसके परिसर से निकलने वाले उसके औद्योगिक बहिःश्राव को ई0 टी0 पी0 के माध्यम से सिंचाई/ड्रेन द्वारा सरिता/नदी में निस्तारित करने के लिए तथा घरेलू उत्प्रावाह को सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित करने हेतु अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति दिनांक- 01-1-2016 से दिनांक-31-12-2017 की अवधि के लिए मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथा संशोधित की धारा-27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

(डा0 राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)

अनुलग्नक : संलग्नक ।
(सहमति शर्तें)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ

सहमति आदेश संख्या—...../122/सहमति(जल)/आदेश/55/16 दिनांक 21/3 का संलग्नक सहमति शर्त

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रवाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रवाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए ।


उत्प्रवाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण	निस्तारण बिन्दु
---------------------	--------------------------	-----------------

 - (i) घरेलू— 100 किली०/दिन सोकपिट
 - (ii) औद्योगिक— 1200 किली०/दिन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दि० 14-1-2016 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधन क उपरांत मुख्यतः फर्टि एरीगेशन एवं रिसाइकिल हेतु प्रयुक्त किया जाये।
2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रवाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल/अन्तिम निस्तारण बिन्दु, उत्प्रवाह मापन तथा उत्प्रवाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रवाह अन्तिम निस्तारण बिन्दु/ मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रवाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रवाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रवाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो ।
3. औद्योगिक उत्प्रवाह को शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रवाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।

27° से० पर 3 दिन की बी०ओ०डी०	30 मिग्रा/ली० से अधिक न हो
कुल निलम्बित ठोस	100 मिग्रा०/ली० से अधिक न हो
4. सभी प्रक्रियाओं से जनित उत्प्रवाह, ब्लीड जल, शीतलन उत्प्रवाह, फर्श व उपकरणों की धुलाई से जनित उत्प्रवाह सहित औद्योगिक उत्प्रवाह निस्तारित होने से पूर्व इस प्रकार शुद्धिकृत किया जाये कि उत्प्रवाह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रवाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों /पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
7. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।
8. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रवाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या-2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रवाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रवाह मापने हेतु फ्लो मीटर वी-नाच की व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसकी लाग बुक मेन्टेन की जाये।

9. उत्प्रेषण शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन में प्रयुक्त विद्युत मीटर की माप हेतु पृथक से विद्युत मीटर स्थापित कर उसकी लागवुक मेन्टेन की जाये उत्प्रेषण शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन हेतु प्रशिक्षित कार्मिको की नियुक्ति की जाये।
10. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
11. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भौति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अपशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
12. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों (हैजार्डस अपशिष्ट को छोड़ कर भली भौति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।
 - (i) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।
 - (ii) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।
 - (iii) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।
13. हैजार्डस पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर स्टील ड्रम/पक्के टैंक में रखा जाये और फिर टी0 एस0 डी0 एफ में भेजा जाए।
14. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्रेषण की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो उत्प्रेषण का जनित होना तत्काल बन्द किया जाये तथा सुधार होने पर ही पुनः जनित कर ई0 टी0 पी0 के माध्यम से ट्रीट कर निस्तारित किया जाये।
15. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्रेषण, उत्प्रेषण एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नही दिया जाना चाहिए।
16. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्रेषण का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
17. शुद्धिकृत घरेलू व प्रकिया जनित उत्प्रेषण का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
18. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।

19. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्रवाह की गुणता व मात्रा, उत्प्रवाह निस्तारण की दर, उत्प्रवाह का तापमान न बदले या परिवर्तन करे।
20. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती हैं, तब तक लागू रहेगी।
21. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम चार माह पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
22. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फ़ैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
23. प्रार्थी उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फ़ैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
24. फ़ैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फ़ार्म, तक उत्प्रवाह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
25. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर(प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
26. सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।
(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)



(डा० राजीव उपाध्याय)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6)



405
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी.- 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226 010

212

संदर्भ संख्या H/14/25 / सी-6/जल प्रदूषण- 155/17/बस्ती

दिनांक

27.12.17

सेवा में,

मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि०,
इटईमैदा, उत्तरौला,
बलरामपुर।

विषय-जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रकिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र दिनांक-30.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। सशर्त सहमति आदेश पत्रांक-294 /जल-155/17/बस्ती दिनांक-27.12.17 संलग्न है। आपका ध्यान निम्न सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिलाया जा रहा है।


1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्चित करें, जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
4. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
5. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
6. उद्योग में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संचालन की लॉगबुक मेन्टेन रखी जायेगी।
7. उद्योग द्वारा प्रचलित समस्त पर्यावरण विधियों व अंतर्गत प्रतिपादित नियमों आदि का पूर्णतय ससमय अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
8. यह सहमति कच्चे माल के रूप में गन्ने का प्रयोग कर 12000 हजार टन/दिन तक गन्ने की कसिंग कर चीनी तथा 33 मेगावाट को-जनरे इन के उत्पादन हेतु विधिमान्य है।
9. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुगर मिलों हेतु निर्धारित चार्टर के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. उद्योग में स्थापित ई०टी०पी० का संचालन सुचारु ढंग से किया जाये।
11. उद्योग से जनित उत्प्रवाह किसी भी सरिता/नदी/नाले आदि में निस्तारित न किया जाये।
12. उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन में खपत विद्युत तथा कैमिकल्स का लागबुक बनाया जाये तथा उसकी प्रति प्रत्येक तीन माह में राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
13. उद्योग द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित चार्टर एवम् पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
14. उद्योग द्वारा उत्प्रवाह के सम्बन्ध में समय-समय पर पर्यावरण वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा दिये गये मानकों एवम् दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाये।

15. इकाई का संचालन इस प्रकार किया जाये कि आस-पास के जनमानस व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
16. उद्योग द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या सी0एस0आर0 35 ई दिनांक-14.1.2016 द्वारा चीनी उद्योगों के लिये निर्धारित किये गये संशोधित उत्प्रवाह के मानक एवम् उक्त नोटिफिकेशन में उपचारित बहिष्प्राव सिंचाई प्रोटोकॉल और अपशिष्ट जल संरक्षण य अपशिष्ट जल प्रबन्धन के सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. उद्योग के उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से कराकर विलम्बतम एक माह में प्रेषित की जाये।
18. उद्योग से जनित उत्प्रवाह को बोर्ड मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत करके सिंचाई, उद्योग परिसर में गार्डनिंग तथा ऐश क्वीचिंग आदि में किया जाये।
19. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 12.10.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संचालन हेतु इकाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है, तो उक्त उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति बन्दी आदेश की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तों के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जायेगी।
20. पेट-कोक एवं फर्नेश आयल का ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के प्रसंग में रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 13029/1986 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस सहमति आदेश के अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।
(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(प्रमोद मिश्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

वृत्त-6

तददिनांक-

पृष्ठ संख्या-

प्रतिलिपि-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

वृत्त-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.- 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226 010

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 294 /सी-6/सहमति जल-155/2017/फैजा0

दिनांक-27.12.17

विषय : मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इटईमैदा, उत्तरोला, बलरामपुर को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 अन्तर्गत उत्प्रावाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या-

दिनांक 30.10.17

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इटईमैदा, उत्तरोला, बलरामपुर को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुए में/भूमि पर निस्तारित करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति पत्र दि0-01.01.2018 से दिनांक- 31.12.2019 तक की अवधि के लिए मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25-26 में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।
(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6

अनुलग्नक : संलग्नक ।

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रावाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रावाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

	उत्प्रावाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³
(i)	घरेलू	15 किली/दिन	सेप्टिक टैंक/सोकपिट
(ii)	औद्योगिक	980	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के नोटिफिकेशन दि० 14.01.16 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधन के उपरान्त मुख्यतः फर्टीएरीगेशन एवं सी-सायकिल हेतु प्रयुक्त ।

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रावाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रावाह मापन तथा उत्प्रावाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रावाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रावाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रावाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रावाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो ।

3. घरेलू उत्प्रावाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रावाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।
- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 20 से० पर 5 दिन की बी०ओ०डी० न हो | 30 मिग्रा/ली० से अधिक |
| कुल निलम्बित ठोस से अधिक न हो | 100 मिग्रा०/ली० |

4. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रावाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।

6. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।

7. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कंक्रीट के चैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रावाह तथा विश्लेषित के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

8. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रावाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या-2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रावाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रावाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रावाह शर्त संख्या-9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।

10. पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये, बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्राह शुद्धिकरण, उत्प्राह-मापन नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्राह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8ए 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।


(iv) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।

(v) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।

(vi) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।

16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्राह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा ऑचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्राह, उत्प्राह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।
19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्राह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रकिया जनित उत्प्राह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्राह की गुणता व मात्रा, उत्प्राह निस्तारण की दर, उत्प्राह का तापमान न बदले या परिवर्तन करें।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेंगी।

24. प्रार्थी की सहमति की अबधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रावह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।
(सक्षम अधिकारों की अनुमति से निर्गत)


 मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 (वृत्त-6)



411 ANNEXURE-R-29
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
टी.सी.- 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226 010

218

संदर्भ संख्या **H/14/25 / सी-6 / जल प्रदूषण- 155 / 17 / बस्ती**

दिनांक

27.12.17

सेवा में,

मै० बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि०,
इटईमैदा, उत्तरौला,
बलरामपुर।

विषय-जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत घरेलू/प्रकिया जनित उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सहमति।

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र दिनांक-30.10.2017 का संदर्भ ग्रहण करें। आपके सहमति आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया। सशर्त सहमति आदेश पत्रांक-**294 / जल-155 / 17 / बस्ती दिनांक-27.12.17** संलग्न है। आपका ध्यान निम्न सहमति शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु दिलाया जा रहा है।


1. सहमति शर्तों तथा निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें तथा अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रेषित करें।
2. जल सप्लाई स्रोत के विभिन्न बिन्दुओं पर उत्प्रवाह मापक मीटर अवश्य लगवायें। उत्प्रवाह मीटर मापी गयी रीडिंग हर महीने समय से अवश्य भेजें।
3. उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का प्रभावी संचालन तथा रखरखाव सुनिश्चित करें, जिससे कि उत्प्रवाह का निस्तारण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।
4. कृपया ठोस अवशिष्ट पदार्थों को इस प्रकार से निस्तारित करना सुनिश्चित करें जिससे कि नदी, सरिता, भूमिगत जल या अन्य किसी स्रोत का जल प्रदूषित न हो।
5. उचित मात्रा में वृक्षारोपण करें जिससे कि वातावरण में सुधार हो तथा प्रगति आख्या हर तीसरे महीने भेजें।
6. उद्योग में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के संचालन की लॉगबुक मेन्टेन रखी जायेगी।
7. उद्योग द्वारा प्रचलित समस्त पर्यावरण विधियों व अंतर्गत प्रतिपादित नियमों आदि का पूर्णतय ससमय अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
8. यह सहमति कच्चे माल के रूप में गन्ने का प्रयोग कर 12000 हजार टन/दिन तक गन्ने की कसिंग कर चीनी तथा 33 मेगावाट को-जनरे इन के उत्पादन हेतु विधिमान्य है।
9. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा शुगर मिलों हेतु निर्धारित चार्टर के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
10. उद्योग में स्थापित ई०टी०पी० का संचालन सुचारु ढंग से किया जाये।
11. उद्योग से जनित उत्प्रवाह किसी भी सरिता/नदी/नाले आदि में निस्तारित न किया जाये।
12. उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के संचालन में खपत विद्युत तथा कैमिकल्स का लागबुक बनाया जाये तथा उसकी प्रति प्रत्येक तीन माह में राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
13. उद्योग द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित चार्टर एवम् पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
14. उद्योग द्वारा उत्प्रवाह के सम्बन्ध में समय-समय पर पर्यावरण वन एवम् जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा दिये गये मानकों एवम् दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाये।

15. इकाई का संचालन इस प्रकार किया जाये कि आस-पास के जनमानस व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
16. उद्योग द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या सी0एस0आर0 35 ई दिनांक-14.1.2016 द्वारा चीनी उद्योगों के लिये निर्धारित किये गये संशोधित उत्प्रवाह के मानक एवम् उक्त नोटिफिकेशन में उपचारित बहिष्प्राव सिंचाई प्रोटोकॉल और अपशिष्ट जल संरक्षण य अपशिष्ट जल प्रबन्धन के सम्बन्ध में निर्धारित मापदण्डों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
17. उद्योग के उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से कराकर विलम्बतम एक माह में प्रेषित की जाये।
18. उद्योग से जनित उत्प्रवाह को बोर्ड मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत करके सिंचाई, उद्योग परिसर में गार्डनिंग तथा ऐश क्वीचिंग आदि में किया जाये।
19. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 12.10.2017 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संचालन हेतु इकाई के विरुद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया जाता है, तो उक्त उद्योग के संचालन हेतु निर्गत सहमति बन्दी आदेश की अवधि में स्वतः निलम्बित रहेगी तथा उद्योग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किये जाने पर उद्योग के बन्दी निक्षेपण किये जाने के साथ ही बन्दी निक्षेपण की अतिरिक्त शर्तों के साथ उद्योग की संचालन सहमति स्वमेव प्रभावी हो जायेगी।
20. पेट-कोक एवं फर्नेश आयल का ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के प्रसंग में रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 13029/1986 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

इस सहमति आदेश के अंकित प्राविधान तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 और इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।
(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(प्रमोद मिश्रा)

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

वृत्त-6

तददिनांक-

पृष्ठ संख्या-

प्रतिलिपि-

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बस्ती को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

वृत्त-6



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.- 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ-226 010

केवल सरिता/भूमि में निस्तारण के लिए
वर्तमान/बदली हुई क्षमता के लिए

फार्म

सहमति आदेश पत्र

संदर्भ संख्या 294 /सी-6/सहमति जल-155/2017/फैजा0

दिनांक-27.12.17


विषय : मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इटईमैदा, उत्तरौला, बलरामपुर को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 अन्तर्गत उत्प्रावाह निस्तारण हेतु सहमति।

संदर्भ : आवेदन पत्र संख्या-

दिनांक 30.10.17

1. जल राशि या सीवर में या भूमि पर बहिःश्राव के निस्तारण के लिए जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जिससे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, के अधीन सहमति प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त आवेदन पत्र के निर्देश में मै0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इटईमैदा, उत्तरौला, बलरामपुर को उसके परिसर से निकलने वाले उसके घरेलू नगर पालिका/औद्योगिक बहिःश्राव के स्थानीय सरिता/नदी/कुए में/भूमि पर निस्तारित करने के लिए अनुलग्नक में उल्लिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अनुसार बोर्ड द्वारा प्राधिकार दिया जाता है।
2. यह सहमति पत्र दि0-01.01.2018 से दिनांक- 31.12.2019 तक की अवधि के लिए मान्य है।
3. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधानों तथा सहमति शर्तों के होते हुए भी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25-26 में तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा-27(2) के अन्तर्गत वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, का अधिकार व शक्ति बोर्ड आरक्षित रखती है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए और उसकी ओर से।

(सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत)


मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-6

अनुलग्नक : संलग्नक ।

सहमति शर्तें

1. अधिकतम दैनिक उत्प्रावाह और प्रति घण्टे में निस्तारित होने वाले उत्प्रावाह की दर निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

	उत्प्रावाह का प्रकार	अधिकतम दैनिक निस्तारण मी ³	अधिकतम प्रति घंटा निस्तारण मी ³
(i)	घरेलू	15 किली/दिन	सेप्टिक टैंक/सोकपिट
(ii)	औद्योगिक	980	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के नोटिफिकेशन दि० 14.01.16 द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधन के उपरान्त मुख्यतः फर्टीएरीगेशन एवं सी-सायकिल हेतु प्रयुक्त ।

2. ब्लीड जल सहित प्रक्रिया में प्रयुक्त जल तथा घरेलू उत्प्रावाह को एकत्र करने के लिए अलग-अलग बन्द जल प्रवाह की व्यवस्था बनाई जाये। एकत्र करने की व्यवस्था के अन्तिम छोर टर्मिनल मेनहोल, उत्प्रावाह मापन तथा उत्प्रावाह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी उत्प्रावाह टर्मिनल, मेनहोल के डाउन स्ट्रीम पर सीवर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सहमति आवेदन पत्र में सूचित उत्प्रावाह के अलावा अन्य कोई उत्प्रावाह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित करें कि घरेलू उत्प्रावाह स्ट्रीम वाटर ड्रेन में निस्तारित न हो ।

3. घरेलू उत्प्रावाह सेप्टिक टैंक या अन्य शुद्धिकरण संयंत्र में शुद्धिकृत किया जाये जिससे शुद्धिकृत उत्प्रावाह निम्न मानकों के अनुरूप हो।
20 से० पर 5 दिन की बीओडी० न हो
कुल निलम्बित ठोस से अधिक न हो
30 मिग्रा/ली० से अधिक
100 मिग्रा०/ली०

4. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले जल के मानकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

5. अन्य प्रचालक जिनके मान मानक में न दिये हो उनका मान उद्योग में निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त किये जाने वाले घरेलू तथा औद्योगिक उत्प्रावाह के नमूने एकत्र करने व विश्लेषित करने की विधि भारतीय मानक 4733 व 2488 और इसके बाद के संशोधनों के अनुरूप होना चाहिए।

6. विश्लेषित करने के लिए नमूना शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल से एकत्रित किया जाना चाहिए।

7. शर्त संख्या 2 में संदर्भित टर्मिनल मेनहोल ऊपर से ढके, ताले लगाने की व्यवस्था युक्त, कम से कम MX15 साइज और आवश्यक गहराई के ईट या सीमेन्ट कंक्रीट के चैम्बर होने चाहिए। टर्मिनल, मेनहोल में उत्प्रावाह तथा विश्लेषित के लिए नमूना लेने की व्यवस्था होनी चाहिए।

8. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रावाह मिलाकर (उपरोक्त शर्त संख्या-2 के प्राविधानों के अनुसार) एक ही निस्तारण बिन्दु से निस्तारित किया जाये। इस संयुक्त उत्प्रावाह निस्तारण बिन्दु पर उत्प्रावाह मापने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

9. शुद्धिकृत घरेलू व औद्योगिक उत्प्रावाह शर्त संख्या-9 में वर्णित संयुक्त निस्तारण बिन्दु से अन्तिम निस्तारण बिन्दु में पक्के, ढके हुए बन्द पाइप युक्त ड्रेन से होकर निस्तारित किया जाये।

10. पक्की ड्रेन या बन्द पाइप को इस प्रकार बिछाना चाहिए जिससे कि अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसमें नुकसान न पहुँचाया जाये। टर्मिनल निस्तारण बिन्दु को भी टर्मिनल मेनहोल की भाँति बनाया जाये, बन्द पाइपों में स्थल की आवश्यकता के अनुसार माध्यमिक निरीक्षण कक्ष बनाये जाये।
11. इस शर्तों का विशेष रूप से उत्प्राह शुद्धिकरण, उत्प्राह-मापन नमूना एकत्र करने की व्यवस्था, टर्मिनल मेनहोल व टर्मिनल निस्तारण बिन्दु के संबंध में पूर्ण अनुपालन किया जाये।
12. बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक महीने की दस तारीख तक मासिक प्रगति आख्या, सहमति शर्तों की अनुपालन आख्या के साथ जरूर भेजे।
13. विस्तृत निर्माण स्थल, रेखाचित्र उत्प्राह ले जाने वाली पाइप लाइन की अनुदैर्घ्य काट व प्लान तथा शर्त 8ए 9 व 10 में वर्णित अन्तिम निस्तारण बिन्दु का रेखाचित्र इस सहमति आदेश के जारी करने के एक माह के भीतर बोर्ड को भेजे।
14. परिसर में एकत्र होने वाले बरसात, तूफान के जल को भली भाँति रखा जाये और किसी भी बिन्दु पर घरेलू व औद्योगिक अवशिष्ट से मिलने न दिया जाये। कच्चे माल, उत्पाद या अन्य कोई पदार्थ जो तूफानी जल के साथ बहकर जा सकते हो, का खुले में ढेर न लगाया जाये।
15. फैक्ट्री परिसर में उत्पन्न होने वाले सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का भली भाँति वर्गीकरण व निम्न प्रकार से निस्तारण किया जाये।


(iv) अक्रिय पदार्थ होने पर उसका भूमि भराव के लिए इस प्रकार प्रयोग सुनिश्चित किया जाये कि रिसाव की स्थिति पैदा न हो जिससे कि वह भूमिगत जल में प्रवेश न करें या बरसाती, तूफानी जल के द्वारा बहा न दिया जाए।

(v) ज्वलनशील कार्बनिक पदार्थ होने पर नियंत्रित प्रज्वलन किया जाये।

(vi) जैविक अवघट्य पदार्थ होने पर कम्पोस्टिंग की जाये।

16. विषैले पदार्थों का विषैलापन अगर संभव हो सके तो दूर किया जाये अन्यथा उन्हें बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त कर सुरक्षित क्षेत्रों में मुहरबन्द स्टील ड्रम में रखा और दफनाया जाए। विषमुक्त करने या मुहरबन्द करने और दफनाने का कार्य बोर्ड के अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में ही अनुमति लेकर किया जाय।
17. यदि फैक्ट्री के किसी संयंत्र/संयंत्रों में कोई दोषपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जिसके फलस्वरूप निस्तारित उत्प्राह की मात्रा बढ़ जाए और/या उपरोक्त पैरा-3 व 4 में वर्णित मानकों का उल्लंघन हो तो बोर्ड को टेलीग्राफिकली तथा ऑचलिक स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्थिति बताते हुए सूचित किया जाए।
18. प्रार्थी फैक्ट्री के अन्दर व परिसर में अच्छा रख-रखाव स्थापित करें। सभी पाइप, वाल्व, सीवर और ड्रेन रिसावरोधी होने चाहिए। फर्श की धुलाई से जनित उत्प्राह, उत्प्राह एकत्र करने की व्यवस्था में प्रवेश करना चाहिए और शर्त के अनुसार किसी बरसाती/तूफानी जल की नाली या खुले स्थान पर नहीं दिया जाना चाहिए।
19. प्रार्थी को टर्मिनल मेनहोल तथा अन्तिम निस्तारण बिन्दु पर बोर्ड के स्टाफ या बोर्ड द्वारा अधिकृत एजेन्सी के लिए उत्प्राह का नमूना एकत्र करने की व्यवस्था करनी चाहिए।
20. शुद्धिकृत घरेलू व प्रकिया जनित उत्प्राह का नमूना किसी भी सामान्य उत्पादन कार्य किये जाने वाले दिन, तीन महीने में एक बार लिया जाये और उन्हें शर्त संख्या 3 व 4 में दी हुई सीमा के अनुसार सभी प्रचालकों के लिए विश्लेषित किया जाये। संलग्न प्रपत्र के अनुसार पूर्ण विश्लेषण करवाने के बाद तुरन्त/समय-समय पर विश्लेषण आख्या बोर्ड में जमा की जाए।
21. प्रार्थी/कम्पनी बिना लापरवाही किये इस सहमति आदेश में दिय गये निर्देशों तथा बाद में समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अनुपालन करें। प्रार्थी/कम्पनी अगर किसी समय निर्गत किसी आदेश/निर्देश का पालन न करें और/या इस सहमति आदेश की शर्तों का उल्लंघन करें तो वह कानून/अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगी।
22. प्रार्थी बोर्ड की पूर्व लिखित सहमति के बिना अन्तिम निस्तारण बिन्दु और उत्प्राह की गुणता व मात्रा, उत्प्राह निस्तारण की दर, उत्प्राह का तापमान न बदले या परिवर्तन करें।
23. उपरोक्त शर्तें जब तक अधिनियम/संशोधित अधिनियम की धारा 27(2) के अन्तर्गत समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक लागू रहेंगी।

24. प्रार्थी की सहमति की अवधि समाप्त होने के कम से कम 30 दिन पहले या प्रस्तावित नये या परिवर्तित निस्तारण बिन्दु के चालू होने और/या निस्तारण किये जाने के 30 दिन पूर्व, जो भी पहले हो, तक सहमति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना चाहिए।
25. एक निरीक्षण पुस्तिका खोली जानी चाहिए और बोर्ड के अधिकारियों को फैक्ट्री भ्रमण के समय उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
26. प्रार्थी उत्प्रावह शुद्धिकरण संयंत्र संस्थान के निर्माण, स्थापना या प्रयोग में लाने संबंधी कोई भी सूचना और जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण से संबंधित सूचना फैक्ट्री में बोर्ड से आये अधिकारी और/या बोर्ड को अवश्य उपलब्ध कराये।
27. फैक्ट्री परिसर से अन्तिम निस्तारण बिन्दु जैसे साल भर बहने वाली नदी या सिचाई योग्य फार्म, तक उत्प्रावह ले जाने वाली चैनल, सीवर, ड्रेन या नाले में पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। जल के भराव जिससे एनारोबिक स्थितियाँ या मच्छरों की पैदावार हो, को नहीं होने दिया जाए।
28. निदेशक (निदेशकों), साझेदार (साझेदारों), प्रोपराइटर (प्रोपराइटरों) के नाम, पदों व टेलीफोन की सूचना दी जाये।
29. इस सहमति आदेश में अंकित प्राविधान तथा दिये गये सहमति शर्तों के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1978 की धारा 27(2) के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी/सभी शर्तों में पुनः विचार करने या संशोधन के लिए, अधिनियम के अनुसार जो उचित हो, या अधिकार व शक्ति, बोर्ड आरक्षित रखती है।
(सक्षम अधिकारों की अनुमति से निर्गत)


 मुख्य पर्यावरण अधिकारी
 (वृत्त-6)

**CONSENT ORDER**

**Ref No. - 75911/UPPCB/Basti(UPPCBRO)/CTO/water/BA
LRAMPUR/2019**

Dated : 28/12/2019

To ,

Shri AVDESH KUMAR GUPTA
M/s BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA
Village itaimaida, post shriduttganj, tehsil utraula, distt.- Balrampur,BALRAMPUR,271607
BALRAMPUR

**Sub : Consent under Section 25/26 of The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974
(as amended) for discharge of effluent to M/s. BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED
UTRAULA**

Reference Application No :6675074

Dated :28/12/2019

1. For disposal of effluent into water body or drain or land under The Water (Prevention and control of Pollution) Act,1974 as amended (here in after referred as the act) M/s. BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA is hereby authorized by the board for discharge of their industrial effluent generated through ETP for irrigation/river through drain and disposal of domestic effluent through septic tank/soak pit subject to general and special conditions mentioned in the annexure ,in reference to their foresaid application .
2. This consent is valid for the period from 01/01/2020 to 31/12/2021 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 27(2) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended .

This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Chief Environment Officer, Circle-6

**Enclosed : As above
(condition of consent):**

Copy to: Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Basti for information and necessary action.

Chief Environment Officer, Circle-6

Annexure to Consent issued to M/s.BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA vide

Consent Order No. 6675074/ Water

Dated : 28/12/2019

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid for the approved production capacity of sugar capacity 12000 TCD sugar cane crushing .
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
3. The quantity of maximum daily effluent discharge should not be more than the following :

Effluent Discharge Details			
S.No	Kind of Effluent	Maximum daily discharge,KL/day	Treatment facility and discharge point
1	Domestic	20 KLD	STP
2	Industrial	1200	ETP

4. Arrangement should be made for collection of water used in process and domestic effluent separately in closed water supply system. The treated domestic and industrial effluent if discharged outside the premises, if meets at the end of final discharge point, arrangement should be made for measurement of effluent and for collecting its sample. Except the effluent informed in the application for consent no other effluent should enter in the said arrangements for collection of effluent. It should also be ensured that domestic effluent should not be discharged in storm water drain .
- 4(a) The domestic effluent should be treated in the treatment plant so that it should be in conformity with the norms of treated effluent as stipulated in E.P. Rules 1986 as amended.

Domestic Effluent		
S.No	Parameter	Standard

- 4(b) The industrial effluent should be treated in treatment plant so that the treated effluent should be in conformity with the standard lay down under the notification issued by MOEF&CC vide its GO no GSR 35 (E) dated 14/01/2016.

Industrial Effluent		
S.No	Parameter	Standard
1	Total Suspended Solids	30 mg/ltr
2	BOD	30 mg/ltr
3	COD	250 mg/ltr
4	Oil & Grease	10 mg/ltr

- 4(c) Loading Rates for different soil textures.

S.No	Soil Texture	Loading rate in m3/Ha/Day

5. Effluent generated in all the processes, bleed water, cooling effluent and the effluent generated from washing of floor and equipments etc should be treated before its disposal with treated industrial effluent so that it should be according to the norms prescribed under The Environment (Protection) Rules, 1986 or otherwise mandatory.
6. The method for collecting industrial and domestic effluent and its analysis should be as per legal Indian standards and its subsequent amendments/ standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986.
7. The industry shall establish the cooling arrangement and polishing tank for recycling the excess condensate water to process or utilities or allied units.
8. Effluent Treatment Plant to be stabilized one month prior to the start of the crushing season and continue to operate one month after the crushing season.

9. During no demand period for irrigation, the treated effluent to be stored in a seepage proof lined pond having 15 days holding capacity only.
10. The industry shall implement treated effluent flow distribution measurement for irrigation purposes completely in accordance with irrigation plan.
11. The impact of treated effluent application on land is to be included further in E.I.A. studies, involving ground water monitoring point identified in close proximity to the unit.
12. The industry will have to ensure compliance of the permission from the CGWA before ground water extraction and it will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the permission taken.
13. The industry shall submit Environmental Statement in prescribed form V rule no.14 of E.P Rules 1986.
14. The industry shall comply with various provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended, Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and all other applicable rules notified under E.P. Act 1986.
15. Minimum 33% of the land on which unit is established will be covered and properly maintained by the plantation of tall trees of suitable species as per the guidelines set up by the Board vide its Office Order no.H-16405/220/2018/02 dt. 16/02/2018. The copy of this guideline is available at URL http://www.uppcb.com/pdf/Green-Belt-Guide_160218.pdf.
16. The industry will ensure the continuous and uninterrupted data supply from the OCEEMS to the CPCB and SPCB .
17. Flow meter to be installed in all water abstraction points and usage of fresh water to be minimized. The unit will ensure facility to transmit data to CPCB server and submit a regular calibration certificate of Electro Magnetic Flow meter to the Board.
18. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.
19. Industry shall abide by the directions given by Hon'ble Court, Central Pollution Control Board and UPPCB for protection and safe guard of environment from time to time.

Specific Conditions:

1. This consent is valid for the production of sugar capacity 12000 TCD sugar cane crushing only.
2. This consent is valid for the current products and capacity. In Case of any change in process, capacity enhancement, address change etc. CTE/CTO shall be obtained from the Board.
3. The industry shall install separate treatment for the treatment of spray pond over flow.
4. The industry shall treat all industrial effluent through ETP in such manner, so that quality of treated effluent meets the prescribed standards.
5. Treated effluent will be utilized as per the notification reference no. GSR(35)E dated 14.01.2016 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change Government of India.
6. The industry should ensure compliance with the provisions of charter on Sugar industry and industry shall abide by directions given by Hon'ble Supreme Court, High Court, National Green Tribunals, Central Pollution Control Board and Uttar Pradesh Pollution Control Board for protection and safeguard of environment from time to time.
7. The industry shall submit analysis report of treated effluent analysed by NABL lab within 15 days.
8. The Order issued by Hon'ble Courts/Hon'ble NGT, MOEF, Central Pollution Control Board, U.P. Pollution Control Board, shall be complied with.
9. The industry must be follow the rules mentioned in Hazardous Waste and Other Waste Management and Transboundary Movement Rules, 2016.
10. The industry shall comply with the directions given by the CPCB u/s 5 of E(P)A dated 06.09.2018.
11. Industry shall submit the latest copy of Audited Balance Sheet/C.A. Certificate (Fixed Assets+ Current Assets – Current Liabilities) so the Consent fee payable by the industry may be verified.
12. The industry shall comply with the directions given by the State Board under section 33 A of Water (Prevention and Control of Pollution) act, 1974 regarding the safe storage, handling and disposal of the Molasses.
13. The industry shall ensure the regular operation of online continuous monitoring system and its connection with the server of UPPCB & CPCB.
14. The industry shall comply with the protocol of CPCB regarding treated effluent utilization in irrigation and submit the irrigation plan within one month to UPPCB.
15. The industry should follow the directions issued by the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Delhi vide Notification no. GSR 35(E) dated 14/01/2016.
16. The industry shall comply with the provisions of Environment (Protection) Act 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended, Plastic Waste Management Rules 2016, E- Waste (Management) Rules 2016, Solid Waste Management Rules 2016 & Hazardous and other Waste (Management and Transboundary Movement) Rules 2016 (Whichever is applicable)
17. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against any defaulting unit, then CTO issued earlier will suspended during the pendency of the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will be deemed to be restore subject to the effective date of revocation of the closure order, with imposed conditions thereof.

Issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.com, Website: www.uppcb.com

CONSENT ORDER

Ref No. -
139945/UPPCB/Basti(UPPCBRO)/CTO/water/BA
LRAMPUR/2021

Dated : 14/02/2022

To ,

Shri HIMANSHU KUMAR MANGLAM
M/s BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA
Village itaimaida, post shriduttganj, tehsil utraula, distt.- Balrampur,BALRAMPUR,271607
BALRAMPUR

Sub : Consent under Section 25/26 of The Water (Prevention and control of Pollution) Act, 1974 (as amended) for discharge of effluent to M/s. BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA

Reference Application No :13838013

Dated :14/02/2022

1. For disposal of effluent into water body or drain or land under The Water (Prevention and control of Pollution) Act,1974 as amended (here in after referred as the act) M/s. BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA is hereby authorized by the board for discharge of their industrial effluent generated through ETP for irrigation/river through drain and disposal of domestic effluent through septic tank/soak pit subject to general and special conditions mentioned in the annexure ,in reference to their foresaid application .
2. This consent is valid for the period from 01/01/2022 to 31/12/2023 .
3. In spite of the conditions and provisions mentioned in this consent order UP Pollution Control Board reserves its right and powers to reconsider/amend any or all conditions under section 27(2) of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended .

This consent is being issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board

Chief Environmental Officer, Circle-6

Enclosed : As above
(condition of consent):

Copy to: Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Basti for information and necessary action.

Chief Environmental Officer, Circle-6

Annexure to Consent issued to M/s.BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA vide

Consent Order No. 13838013/ Water

Dated : 14/02/2022

CONDITIONS OF CONSENT

1. This consent is valid for the approved production capacity of 12000 TCD Sugar Cane Crushed & 33 Megawatt Co-generation o .
2. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/ process /fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
3. The quantity of maximum daily effluent discharge should not be more than the following :

Effluent Discharge Details			
S.No	Kind of Effluent	Maximum daily discharge,KL/day	Treatment facility and discharge point
1	Industrial	2400 KLD	ETP
2	Domestic	50 KLD	STP

4. Arrangement should be made for collection of water used in process and domestic effluent separately in closed water supply system. The treated domestic and industrial effluent if discharged outside the premises, if meets at the end of final discharge point, arrangement should be made for measurement of effluent and for collecting its sample. Except the effluent informed in the application for consent no other effluent should enter in the said arrangements for collection of effluent. It should also be ensured that domestic effluent should not be discharged in storm water drain .
- 4(a) The domestic effluent should be treated in the treatment plant so that it should be in conformity with the norms of treated effluent as stipulated in E.P. Rules 1986 as amended.

Domestic Effluent		
S.No	Parameter	Standard
1	Total Suspended Solids	As prescribed by Hon'ble NGT order dated 30.04.2019 in O.A. No. 1069/2018
2	BOD	As prescribed by Hon'ble NGT order dated 30.04.2019 in O.A. No. 1069/2018
3	COD	As prescribed by Hon'ble NGT order dated 30.04.2019 in O.A. No. 1069/2018
4	Oil & Grease	As prescribed by Hon'ble NGT order dated 30.04.2019 in O.A. No. 1069/2018
5	Quantity of Discharge	50 KLD

- 4(b) The industrial effluent should be treated in treatment plant so that the treated effluent should be in conformity with the standard lay down under the notification issued by MOEF&CC vide its GO no GSR 35 (E) dated 14/01/2016.

Industrial Effluent		
S.No	Parameter	Standard
1	Total Suspended Solids	As per E(P)A Rules, 1986
2	BOD	As per E(P)A Rules, 1986
3	COD	As per E(P)A Rules, 1986
4	Oil & Grease	As per E(P)A Rules, 1986
5	Quantity of Discharge	2400 KLD

S.No	Soil Texture	Loading rate in m ³ /Ha/Day
------	--------------	--

5. Effluent generated in all the processes, bleed water, cooling effluent and the effluent generated from washing of floor and equipments etc should be treated before its disposal with treated industrial effluent so that it should be according to the norms prescribed under The Environment (Protection) Rules, 1986 or otherwise mandatory.
6. The method for collecting industrial and domestic effluent and its analysis should be as per legal Indian standards and its subsequent amendments/ standards prescribed under the Environment (Protection) Act, 1986.
7. The industry shall establish the cooling arrangement and polishing tank for recycling the excess condensate water to process or utilities or allied units.
8. Effluent Treatment Plant to be stabilized one month prior to the start of the crushing season and continue to operate one month after the crushing season.
9. During no demand period for irrigation, the treated effluent to be stored in a seepage proof lined pond having 15 days holding capacity only.
10. The industry shall implement treated effluent flow distribution measurement for irrigation purposes completely in accordance with irrigation plan.
11. The impact of treated effluent application on land is to be included further in E.I.A. studies, involving ground water monitoring point identified in close proximity to the unit.
12. The industry will have to ensure compliance of the permission from the CGWA before ground water extraction and it will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the permission taken.
13. The industry shall submit Environmental Statement in prescribed form V rule no.14 of E.P Rules 1986.
14. The industry shall comply with various provisions of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 as amended, Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 as amended and all other applicable rules notified under E.P. Act 1986.
15. Minimum 33% of the land on which unit is established will be covered and properly maintained by the plantation of tall trees of suitable species as per the guidelines set up by the Board vide its Office Order no.H-16405/220/2018/02 dt. 16/02/2018. The copy of this guideline is available at URL http://www.uppccb.com/pdf/Green-Belt-Guidle_160218.pdf.
16. The industry will ensure the continuous and uninterrupted data supply from the OCEEMS to the CPCB and SPCB .
17. Flow meter to be installed in all water abstraction points and usage of fresh water to be minimized. The unit will ensure facility to transmit data to CPCB server and submit a regular calibration certificate of Electro Magnetic Flow meter to the Board.
18. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.
19. Industry shall abide by the directions given by Hon'ble Court, Central Pollution Control Board and UPPCB for protection and safe guard of environment from time to time.
20. The Unit will file the renewal application at least 2 months prior to the expiry of this Order.

Specific Conditions:

1. This consent is valid for the production of 12000 TCD Sugar Cane Crushed & 33 Megawatt Co-generation only.
2. The industry shall maintain strict supervision upon fluctuations in operating parameters with respect to each treatment unit of the Effluent treatment plant.
3. The E.T.P. unit operation line up Strengthening is to be maintained.
4. The industry shall ensure deployment of qualified to step up self monitoring mechanism on 24 ×7 Hours basis.
5. The E.I.A. studies shall include comprehensive study of water & waste water balance in Addition to the adequacy studies of E.T.P. relating to pollution load reduction impacts after implementation of treatment technology & discharge of treated effluent completely for irrigation purposes in place of discharge on surface water body.
6. The industry shall deploy self monitoring task force to strictly observe & monitor treated effluent discharge restriction on surface water body located in its proximity.
7. The industry shall also explore treated effluent re-cycle mechanism in furtherance to the application of treated effluent on land as a significant alternative mode of re-cycle. This step shall in turn reduce hydraulic loading of effluent discharge as well as shall eliminate extraneous treated effluent discharge possibility elsewhere.
8. The Unit shall submit the point wise compliance report of the conditions imposed in the CTO issued by the Board for year 2021 and the audited balance sheet for the current year and the details of fees deposited within a month failing which consent would be deemed void.
9. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/process/fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
10. In compliance of the provisions of the Plastic Waste Management Rules 2016 as amended, the industry shall submit the Extended Producer Responsibility (EPR) for the disposal of Plastic waste generated within a month failing which consent would be deemed void.
11. The overall noise levels in and around area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc, on all sources of noise generation. The ambient noise level shall conform to the standards under the Environment (Protection) Act 1986.
12. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against any defaulting unit, then CTO issued earlier will suspended during the pendency of the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will be deemed to be restore subject to the effective date of revocation of the closure order, with imposed conditions thereof.
13. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this CTO and attract action under the provisions of Law.

Issued with the permission of competent authority .

For and on behalf of U.P. Pollution Control Board .

Chief Environmental Officer, Circle-6

**Uttar Pradesh Pollution Control Board**

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

196544/UPPCB/Basti(UPPCBRO)/CTO/both/BALRAMPUR/2023**Date: 28/12/2023****To,****M/s****BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA****Villeg itaimaida, post shriduttganj, tehsil utraula, distt.-
Balrampur,BALRAMPUR,271607****Application Id-
23514745**

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to **BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA** located at **Villeg itaimaida, post shriduttganj, tehsil utraula, distt.- Balrampur,BALRAMPUR,271607**. subject to the provisions of **the Water Act, Air Act** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA **BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA** granted for the period from **01/01/2024 to 31/12/2025** and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Sugar Cane Crushing	12000	Metric Tonnes/Day
2	Power Co-generation	33	Megawatt

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	50 KLD	STP	
Industrial	2400 KLD	ETP	

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
1	pH	As per E(P)A Rules, 1986

2	BOD (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986
3	COD (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986
4	TSS (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986
5	Oil & Grease (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
1	pH	As per E(P)A Rules, 1986
2	BOD (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986
3	TSS (mg/L)	As per E(P)A Rules, 1986
4	Fecal Coliform (MPN/100ml)	As per E(P)A Rules, 1986

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	03 Boilers having Capacity 90 TPH each	Baggasse (40 TPH each)	1	Particulate Matter	As per E(P)A Rules, 1986
2	1500 KVA DG Set	Diesel Oil	2	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
3	1500 KVA DG Set	Diesel Oil	3	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
4	500 KVA DG Set	Diesel Oil	4	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1	1	Particulate Matter	As per E(P)A Rules, 1986
2	3	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
3	2	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986

4	4	Sulphur Dioxide	As per E(P)A Rules, 1986
---	---	-----------------	--------------------------

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.

2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.

3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.

4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.

5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point
12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

1. This consent is valid for the production of Sugar cane crushing (12000 TCD) using raw material as sugar cane & sulfur etc. and Power Cogeneration of 33 MW only.
2. The industry shall maintain strict supervision upon fluctuations in operating parameters with respect to each treatment unit of the Effluent treatment plant.
3. The E.T.P. unit operation line up Strengthening is to be maintained.
4. The industry shall ensure deployment of qualified to step up self monitoring mechanism on 24 ×7 Hours basis.
5. The industry should follow the directions issued by the Ministry of Environment Forest and Climate Change, Delhi vide Notification no. GSR 35(E) dated 14/01/2016.
6. The E.I.A. studies shall include comprehensive study of water & waste water balance in Addition to the adequacy studies of E.T.P. relating to pollution load reduction impacts after implementation of treatment technology & discharge of treated effluent completely for irrigation purposes in place of discharge on surface water body.
7. The industry shall deploy self monitoring task force to strictly observe & monitor treated effluent discharge restriction on surface water body located in its proximity.
8. The industry shall also explore treated effluent re-cycle mechanism in furtherance to the application of treated effluent on land as a significant alternative mode of re-cycle. This step shall in turn reduce hydraulic loading of effluent discharge as well as shall eliminate extraneous treated effluent discharge possibility elsewhere.

9. The Unit shall submit the point wise compliance report of the conditions imposed in the CTO issued by the Board for year 2022 and the audited balance sheet for the current year and the details of fees deposited within a month failing which consent would be deemed void.
10. This consent is valid only for products and quantity mentioned above. Industry shall obtain prior approval before making any modification in product/process/fuel/ plant machinery failing which consent would be deemed void.
11. In compliance of the provisions of the Plastic Waste Management Rules 2016 as amended, the industry shall submit the Extended Producer Responsibility (EPR) for the disposal of Plastic waste generated within a month failing which consent would be deemed void.
12. The overall noise levels in and around area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc, on all sources of noise generation. The ambient noise level shall conform to the standards under the Environment (Protection) Act 1986.
13. The Industry shall dispose the hazardous waste through authorized recyclers/TSDF and comply with the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Trans-boundary Movement) Amendment Rules, 2016 and The Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended.
14. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against any defaulting unit, then CTO issued earlier will suspended during the pendency of the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will be deemed to be restore subject to the effective date of revocation of the closure order, with imposed conditions thereof.
15. The order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in OA No 912 and 913 of 2022 in the matter of Manav Sewa Sansthan and Ors versus UoI shall prevail on this CTO.
16. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this CTO and attract action under the provisions of Law.

**RAM
KARAN** Digitally signed
by RAM KARAN
Date: 2024.01.17
12:20:42 +05'30'

Chief Environmental Officer, Circle-6

Copy to:

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Basti for information and necessary action.

Chief Environmental Officer, Circle-6
**RAM
KARAN** Digitally signed
by RAM KARAN
Date: 2024.01.17
12:20:57 +05'30'



मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेंकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेंकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइकिलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाक्रीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

Government of India
Central Ground Water Authority
Ministry of Water Resources

239

No. 21-4(51)/NR/CGWA/07-62

Dated:-

22-MAR-2007

To


The Manager
M/s Bajaj Hindusthan limited
Bajaj Bhawan, Jamnalal Bajaj Marg
B-10 Sector 3 Noida 201301.

Sub:- Ground Water Clearance in respect of new sugar unit at Maqsoodapur, U.P of M/s Bajaj Hindusthan limited -reg.

Sir,

Kindly refer to your letter dated 22-01-2007 on the subject cited above. As the proposed industry does not fall in Over Exploited/Critical area on Ground Water Resource consideration, no NOC is required to be issued from this office.

Yours faithfully



(S. Bhattacharya)

Scientist D
for Member Secretary

Copy to:-

The Regional Director, Central Ground Water Board, Northern Region, Lucknow

/

(S. Bhattacharya)
Scientist D
for Member Secretary

**CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY
MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT
AND GANGA REJUVENATION**


PUBLIC NOTICE NO. 26-1/CGWA/ 2015

Whereas the Central Government in exercise of powers under sub section (3) of the Environment (Protection) Act of 1986, constituted the Central Ground Water Authority (hereafter referred to as the Authority) vide notification of the Government of India in the Ministry of Environment & Forests number S.O. 1121(E), dated the 13th May, 2010, for the purposes of regulation and control of ground water development and management in the whole of India;

And whereas the Authority has been issuing No Objection Certificate (NOC) for withdrawal of ground water by industries/ infrastructure/ mining projects. During the period October, 2009 to November, 2012, NOCs issued by Central Ground Water Authority had no time frame for their validity. However, as per the existing guidelines of CGWA, NOCs are issued for a fixed period of validity.

And whereas some firms were exempted from obtaining NOC from the Authority as per the extant guidelines in the past. The Hon'ble National Green Tribunal vide it's order dated 15.04.2015 has made it mandatory for all existing users of ground water to seek NOC from Central Ground Water Authority.

Now therefore, Central Ground Water Authority, in exercise of powers under Section 5 of the Environment (Protection) Act, hereby directs all such users **who have been issued NOC without any validity period to apply for renewal of NOC by 31st December, 2017, failing which the NOC issued to them shall stand cancelled and they will have to apply afresh for NOC.** Further, such users who were **exempted from the requirement of NOC earlier** are hereby directed to apply for NOC for ground water extraction by 31st December, 2017, failing which necessary action as per law shall be initiated. Applications for issuance/ renewal of NOC are to be made online through NOCAP (<http://cgwa-noc.gov.in>).


(AKHIL KUMAR)
CHAIMAN
CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY
04.10.2017

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA
REJUVENATION
CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY**

No. 26-1/CGWA/PN/2018

Dated 29.06.2018

PUBLIC NOTICE

SUB: ATTENTION OF ALL EXISTING GROUND WATER USERS INCLUDING INDUSTRIAL, INFRASTRUCTURE AND MINING PROJECTS.

Kind attention of all the existing ground water users including Industrial, Infrastructure and Mining Projects is invited to the public Notice No. 1/2018 dated 01.01.2018, under which the users have been directed to submit their applications for No Objection Certificate (NOC) to Central Ground Water Authority (CGWA) before 30.06.2018.

Due to ongoing modifications in the existing guidelines and to address the grievances of many ground water users in the country, it is considered necessary and expedient to extend the due date for submission of online applications through NOCAP upto 30.09.2018. All the users drawing ground water without a valid NOC are directed to submit their applications for NOC by or before the said date. It is clarified that any failure to submit applications before this date will render the concerned users responsible for non-compliance of the directions of CGWA and Hon'ble NGT.

All ground water users located in the States/Union Territories, where ground water development is not being regulated by Central Ground Water Authority have to obtain NOC from the respective State/UT Ground Water Authorities. List of such States/Union Territories is available on the web link: www.cgwa-noc.gov.in/LandingPage/GroundWater.htm

K.C. NAIK
29.6.18
(K.C. NAIK)
CHAIRMAN
29.06.2018

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTHI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION
CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY
[Constituted under section 3(3) of Environment (Protection) Act, 1986]

No. 26-1/CGWA/PN/2018

Dated 01.04.2020

PUBLIC NOTICE

SUB: ATTENTION OF ALL EXISTING GROUND WATER USERS INCLUDING INDUSTRIAL, INFRASTRUCTURE AND MINING PROJECTS.

In view of the prevailing situation of lock down in the entire country due to COVID -19, the date for submission of application for NOC for ground water abstraction by the existing industries, infrastructure and mining projects is hereby extended till 20th June, 2020.

All the users drawing ground water are advised to submit their applications for NOC online through NOCAP portal of CGWA.

No hard copy of application or any other documents are being accepted at Regional Office of CGWA in order to contain the pandemic. All the documents are to be uploaded on NOCAP portal while submitting application.

The detailed directions , existing guidelines etc., are available on the web link: www.cgwa-noc.gov.in/Landing_Page/Ground_Water.htm / cgwb.gov.in .


(G.C.PATI)
CHAIRMAN
01.04.2020

**Uttar Pradesh Shasan
Namami Gange Tatha Gramin Jalapurti Anubhag-3**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publications of the following English translation of notification no.1123/76-3-2020-10gw-2014, dated 6 October 2020.

NOTIFICATION

No.1123/76-3-2020-10gw-2014(Niyamavali)
Lucknow, Dated 6 October 2020

In exercise of the powers conferred by section 49 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Rules, 2020.

**THE UTTAR PRADESH GROUND WATER (MANAGEMENT AND REGULATION)
(FIRST AMENDMENT) RULES, 2020**

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) (First Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 2 2. In the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Rules, 2020 hereinafter referred to as the said rules in rule 2 in sub-rule (1) after clause (c), the following clause shall be *inserted*, namely: -

“(ca) Ground Water Fund” means fund created under section 48 of the Act for deposition of the receipts on account of penalties, registration fees, fee on ground water extraction etc. Account for Ground Water Fund shall be 8235002000400 under Public head Account.”

Amendment of rule 6 3. In the said rules, in rule 6, for sub-rules (2) and (3) set out in Column 1 below, the sub rules as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:-

COLUMN-1

COLUMN-2

Existing sub-rules

Sub-rules as hereby substituted

(2) Any existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user, who has sunk a well for extracting or using ground water in notified area or non-notified area before the date of coming into force of the Act, and have valid No Objection Certificate issued by either Central Ground Water Authority or by Ground Water Department, Uttar Pradesh for extracting or using ground water, shall make, in Form 1(B), an application referred to in sub-section (1) of section 10 or sub-section (1) of section 11 of the Act, within a period of ninety days from the date of coming into force of the Act, to the District Ground Water Management Council;

(2) Any existing Commercial or Industrial or Infrastructural or bulk user, who has sunk a well for extracting or using ground water in notified area or non-notified area before the date of coming into force of the Act, and has a valid No Objection Certificate issued by either Central Ground Water Authority or by Ground Water Department, Uttar Pradesh for extracting or using ground water, shall make, in Form 1(B), an application referred to in sub-section (1) of section 10 or sub-section (1) of section 11 of Act, within a period of one year from the date of coming into force of the Rules, to the District Ground Water Management Council;

(3) Every existing users of ground water, other than those mentioned in sub-clause (1) of rule 6, including domestic and agriculture users of ground water, who have sunk well or boring in his or her premises or agricultural land holdings, shall make, in Form 4(C), an application referred to in sub-section (2) of section 10 or sub-section (2) of section 11 of the Act, within a period of six months from the date of coming into force of these rules, to the Block Panchayat Ground Water Management Committee or Municipal Water Management Committee, as the case may be:

(3) Every existing user of ground water, other than those mentioned in sub-clause (1) of rule 6, including domestic and agriculture users of ground water, who have sunk well or boring in his or her premises or agricultural land holdings, shall make, in Form 4(C), an application referred to in sub-section (2) of section 10 or sub-section (2) of section 11 of Act, within a period of eighteen months from the date of coming into force of these rules, to the Block Panchayat Ground Water Management Committee or Municipal Water Management Committee, as the case may be:

Amendment of rule
20

4. In the said rules, in rule 20, for sub-rule (1) set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1

Existing sub-rule

(1) For fixing ground water abstraction limit for all the existing Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water, the Ground Water Department, in consultation with stake holders, shall submit a proposal to the State Ground Water Management and Regulatory Authority within six month from the date of commencement of these rules.

COLUMN-2

Sub-rule as hereby substituted

(1) For fixing ground water abstraction limit for all the existing Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water, the Ground Water Department, in consultation with stake holders, shall submit a proposal to the State Ground Water Management and Regulatory Authority within one year from the date of commencement of these rules.

Amendment of rule
24

5. In the said rules, in rule 24, for sub-rules (1) and (2) set out in Column 1 below, the sub-rules as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1

Existing sub-rules

(1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall ensure through District Ground Water Management Councils that all Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk user of ground water that pollute ground water or surface water, will install treatment plants within a period of one year from the date of commencement of these rules.

(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification of all Industries in the district thereof, within two months from the date of commencement of these rules.

COLUMN-2

Sub-rules as hereby substituted

(1) The State Ground Water Management and Regulatory Authority shall ensure through District Ground Water Management Councils that all Commercial, Industrial, Infrastructural or Bulk users of ground water that pollute ground water or surface water, will install treatment plants within a period of two years from the date of commencement of these rules.

(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification of all Industries in the district thereof, within a period of one year from the date of commencement of these rules.

Amendment of rule
25

6. In the said rules, in rule 25, for sub-rule (2) set out in Column 1 below, the sub-rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1

COLUMN-2

*Existing sub-rule**Sub-rule as hereby substituted*

(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification for process of effluent discharge adopted by such Government bodies as provided under sub rule (1), within two months from the date of commencement of these rules.

(2) Each District Ground Water Management Council shall conduct physical verification for process of effluent discharge adopted by such Government bodies as provided under sub rule (1), within a period of one year from the date of commencement of these rules.

Amendment of rule
26

7. In the said rules, in rule 26, for sub-rule (2) set out in Column 1 below, the sub-rule as set out in Column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1

COLUMN-2

*Existing sub-rule**Sub-rule as hereby substituted*

(2) In first phase, every Government Department/ Semi-Government Department/ Authorities/ Aided Institutions/ Public Sector Undertaking (either fully or partially funded by Government), Private Institutions or Organizations, having plot area of 300 square meters or more, or who are extracting ground water through submersible pumps or similar devices, shall also ensure that Rain Water Harvesting Structures have been properly constructed in their premises within one year of date of commencement of Act.

(2) In first phase, every Government Department/ Semi-Government Department/ Authorities/ Aided Institutions/ Public Sector Undertaking (either fully or partially funded by Government), Private Institutions or Organizations, having plot area of 300 square meters or more, or who are extracting ground water through submersible pumps or similar devices, shall also ensure that Rain Water Harvesting Structures have been properly constructed in their premises within a period of two years from the date of commencement of the Act.



(Anurag Srivastava)
Principal secretary



GROUND WATER DEPARTMENT
(Namami Gange & Rural Water Supply Department)
Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh



Form 8 (C)

[See Rule 8(1)]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW / EXISTING WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO: NOC045903

VALID FROM 18/10/2021 TO 17/10/2026

{UIS10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

Registration No.: 202107000315			
Name of the Owner	AVDESH KUMAR GUPTA		
Designation पद	Vice President	Company Name कंपनी का नाम	BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LTD SUGAR UNIT UTRAULA
Company Address कंपनी का पता	Village Itai Maida Block Sridattganj District Balr	Authorization Letter प्राधिकार पत्र	Download
Address of the Applicant	VILLEGE- ITAIMAIDA,POST-SHRIGANJ,TEHSIL UTRAULA,DISTT.-BALRAMPUR, UP-271607	Application Form Serial No.	BLMP0721NIN0009
Date of Submission	12/07/2021	Specimen Signature	
Location Particulars			
District	Balrampur	Block	Sridattganj
Plot No./Khasra No.	Existing premises khasra detail attached	Municipality/Corporation	No
Ward No./Holding No.	NA		

Particular of the Existing Well and Pumping Device

247

Date of Construction/Sinking of the Well	01/06/2010		
Type of Well	Tube Well/Boring	Depth of the Well (In meter)	110.00
Purpose of well	Industrial	Assembly Size(For Tube Well)	
Strainer Position (For Tube Well)			
Type of Pump Used	Submersible	H.P. of the Pump	50.00
Operational Device	Electric Motor	Rate of Withdrawal (m³/hr.)	180.00
Date of Energization (In Case of Electric Pump)		01/06/2010	
Maximum Allowable Rate of Withdrawal (m³/hr.):	180.00	Maximum Allowable Running Hours Per Day:	3.00
Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:			81000

This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at Sl. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at Sl. (3j), for Running Hours per day as shown at Sl. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at Sl. (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.

GENERAL CONDITIONS:

- In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the proposed well as indicated at SL (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this authorization
- For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix digital water flow meters (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in item 3(k) shall not exceed to the recorded rate from water meters
- The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands
- In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at Sl. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage , this registration is liable for cancellation.
- The Certificate of Authorization/ NOC shall be valid for a period of five years from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.
- Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level

recorders shall be made available to this office on monthly basis

- **Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring**

Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing when ever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- No. of piezometers to be constructed & Type of water level monitoring mechanism shall be as per below table:

S.No	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No.of piezometers required	Monitiring Mechanism	
			Manual	DWLR with Telemetry
1	< 10	0	0	0
2	11 - 50	1	1	0
3	50- 500	1	0	1
4	> 500	2	0	2

- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
- Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care of.
- Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.

- **SPECIFIC CONDITIONS:**

- **(A) For Industrial User:** No Objection Certificate for ground water extraction by industries shall be granted subject to the following specific conditions:
 - i) No Objection Certificate shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.
 - ii) All industries shall be required to adopt latest water efficient technologies so as to reduce dependence on ground water resources.
 - iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m³/d shall be required to undertake annual water audit through Confederation of Indian Industries (CII)/ Federation Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)/ National Productivity Council (NPC) certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next five years through appropriate means.
 - iv) Construction of observation well(s) (piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in General Condition no.10 shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10

442

m³ /day of ground water and. Monitoring of water level shall be done by the project proponent. The piezometer (observation well) shall be constructed at a minimum distance of 50 m from the bore well/production well. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/ wells. Monthly water level data shall be submitted online to the Ground Water Department, UP.

- v) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises. Industries which are likely to pollute ground water (chemical, pharmaceutical, dyes, pigments, paints, textiles, tannery, pesticides/ insecticides, fertilizers, slaughter house, explosives etc.) shall store the harvested rain water in surface storage tanks for use in the industry.
- vi) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.
- vii) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution.
-
- **(B) Infrastructural User:** The No Objection Certificate for ground water abstraction will be granted subject to the following specific conditions:
 - i) In case of infrastructure projects that require dewatering, proponent shall be required to carry out regular monitoring of dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) and submit the data online to Ground Water Department, UP as applicable. Monitoring records and results should be retained by the proponent for two years, for inspection or reporting as required by District Ground Water Management Council.
 - ii) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground water requirement is more than 20 m³ /day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc

Date :17/11/2021

Place:Balrampur

This certificate is electronically generated and does not require digital signature



GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)

Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh



Form 8 (C)

[See Rule 8(1)]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW / EXISTING WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO: NOC022896

VALID FROM 18/10/2021 TO 17/10/2026

{UIS10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

Registration No.: 202107000325			
Name of the Owner	AVDESH KUMAR GUPTA		
Designation पद	Vice President	Company Name कंपनी का नाम	BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LTD SUGAR UNIT UTRAULA
Company Address कंपनी का पता	Village Itai Maida Block Sridattganj District Balr	Authorization Letter प्राधिकार पत्र	Download
Address of the Applicant	VILLEGE- ITAIMAIDA,POST-SHRIGANJ,TEHSIL UTRAULA,DISTT.-BALRAMPUR, UP-271607	Application Form Serial No.	BLMP0721NIN0008
Date of Submission	12/07/2021	Specimen Signature	
Location Particulars			
District	Balrampur	Block	Sridattganj
Plot No./Khasra No.	Existing premises khasra detail attached	Municipality/Corporation	No
Ward No./Holding No.			NA

Particular of the Existing Well and Pumping Device**251**

Date of Construction/Sinking of the Well	01/06/2010		
Type of Well	Tube Well/Boring	Depth of the Well (In meter)	110.00
Purpose of well	Industrial	Assembly Size(For Tube Well)	
Strainer Position (For Tube Well)			
Type of Pump Used	Submersible	H.P. of the Pump	50.00
Operational Device	Electric Motor	Rate of Withdrawal (m³/hr.)	180.00
Date of Energization (In Case of Electric Pump)		01/06/2010	
Maximum Allowable Rate of Withdrawal (m³/hr.):	180.00	Maximum Allowable Running Hours Per Day:	4.00
Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:			108000

This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at Sl. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at Sl. (3j), for Running Hours per day as shown at Sl. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at Sl. (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.

GENERAL CONDITIONS:

- In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the proposed well as indicated at SL (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this authorization
- For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix digital water flow meters (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in item 3(k) shall not exceed to the recorded rate from water meters
- The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands
- In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at Sl. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage , this registration is liable for cancellation.
- The Certificate of Authorization/ NOC shall be valid for a period of five years from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.
- Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level

recorders shall be made available to this office on monthly basis

• **Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring**

Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing when ever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- No. of piezometers to be constructed & Type of water level monitoring mechanism shall be as per below table:

S.No	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No.of piezometers required	Monitiring Mechanism	
			Manual	DWLR with Telemetry
1	< 10	0	0	0
2	11 - 50	1	1	0
3	50- 500	1	0	1
4	> 500	2	0	2

- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
- Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care of.
- Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.

• **SPECIFIC CONDITIONS:**

- **(A) For Industrial User:** No Objection Certificate for ground water extraction by industries shall be granted subject to the following specific conditions:
 - i) No Objection Certificate shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.
 - ii) All industries shall be required to adopt latest water efficient technologies so as to reduce dependence on ground water resources.
 - iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m³/d shall be required to undertake annual water audit through Confederation of Indian Industries (CII)/ Federation Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)/ National Productivity Council (NPC) certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next five years through appropriate means.
 - iv) Construction of observation well(s) (piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in General Condition no.10 shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10

446

m³ /day of ground water and. Monitoring of water level shall be done by the project proponent. The piezometer (observation well) shall be constructed at a minimum distance of 50 m from the bore well/production well. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/ wells. Monthly water level data shall be submitted online to the Ground Water Department, UP.

- v) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises. Industries which are likely to pollute ground water (chemical, pharmaceutical, dyes, pigments, paints, textiles, tannery, pesticides/ insecticides, fertilizers, slaughter house, explosives etc.) shall store the harvested rain water in surface storage tanks for use in the industry.
- vi) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.
- vii) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution.
-
- **(B) Infrastructural User:** The No Objection Certificate for ground water abstraction will be granted subject to the following specific conditions:
 - i) In case of infrastructure projects that require dewatering, proponent shall be required to carry out regular monitoring of dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) and submit the data online to Ground Water Department, UP as applicable. Monitoring records and results should be retained by the proponent for two years, for inspection or reporting as required by District Ground Water Management Council.
 - ii) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground water requirement is more than 20 m³ /day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc

Date :17/11/2021

Place:Balrampur

This certificate is electronically generated and does not require digital signature



GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)

Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh



Form 8 (C)

[See Rule 8(1)]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE FOR SINKING OF NEW / EXISTING WELL FOR INDUSTRIAL/ COMMERCIAL/ INFRASTRUCTURAL OR BULK USER OF GROUND WATER

[Under Section 14 of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]

AUTHORIZATION/ NO-OBJECTION CERTIFICATE NO: NOC040290

VALID FROM 18/10/2021 TO 17/10/2026

{UIS10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019}

Registration No.: 202107000327			
Name of the Owner	AVDESH KUMAR GUPTA		
Designation पद	Vice President	Company Name कंपनी का नाम	BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LTD SUGAR UNIT UTRAULA
Company Address कंपनी का पता	Village Itai Maida Block Sridattganj District Balr	Authorization Letter प्राधिकार पत्र	Download
Address of the Applicant	VILLEGE- ITAIMAIDA,POST-SHRIGANJ,TEHSIL UTRAULA,DISTT.-BALRAMPUR, UP-271607	Application Form Serial No.	BLMP0721NIN0007
Date of Submission	12/07/2021	Specimen Signature	
Location Particulars			
District	Balrampur	Block	Sridattganj
Plot No./Khasra No.	Existing premises khasra detail attached	Municipality/Corporation	No
Ward No./Holding No.	NA		

Particular of the Existing Well and Pumping Device**255**

Date of Construction/Sinking of the Well	01/06/2010		
Type of Well	Tube Well/Boring	Depth of the Well (In meter)	110.00
Purpose of well	Industrial	Assembly Size(For Tube Well)	
Strainer Position (For Tube Well)			
Type of Pump Used	Submersible	H.P. of the Pump	50.00
Operational Device	Electric Motor	Rate of Withdrawal (m³/hr.)	180.00
Date of Energization (In Case of Electric Pump)		01/06/2010	
Maximum Allowable Rate of Withdrawal (m³/hr.):	180.00	Maximum Allowable Running Hours Per Day:	5.00
Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:			135000

This No-Objection certificate authorizes the owner applicant (user) to sink a well in the location specified at Sl. (2) for extraction of ground water at a rate not exceeding that as shown at Sl. (3j), for Running Hours per day as shown at Sl. (3k), and for maximum allowable annual extraction of ground water as shown at Sl. (3k) and is valid subject to the observance of the conditions stated overleaf.

GENERAL CONDITIONS:

- In case of any change of ownership of the proposed well, fresh authorization has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the proposed well as indicated at SL (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this authorization
- For the purpose of measuring and recording the quantity of ground water extracted, every said user shall affix digital water flow meters (conforming to BIS/ IS standards) having telemetry system in the abstraction structure, which record rate and quantum of extraction, at outlet of pumping devices and it shall be presumed that the quantity recorded by the meter has been extracted by the said user, until the contrary is proved. The rate of extraction of ground water from the well as shown in item 3(k) shall not exceed to the recorded rate from water meters
- The concerned Authority reserves the right to stop extraction of ground water from the well due to quality hazards or any other reasons, if the situation so demands
- In case of any change of ownership of the existing well, fresh registration has to be obtained.
- No change of location, design, rate of withdrawal and pumping device in respect of the existing well as indicated at Sl. (2) and (3) of this certificate shall be made without prior permission of the Competent Authority. Any deviation in this regard shall lead to cancellation of this registration
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this registration is found to be incorrect during verification at any subsequent stage , this registration is liable for cancellation.
- The Certificate of Authorization/ NOC shall be valid for a period of five years from the date of issue. The applicant shall have to apply for renewal through a fresh application, at least ninety days prior to expiry of its validity.
- Construction of piezometers and installation of digital water level recorders with telemetry shall be mandatory for user. Depth and zone tapped of piezometer should be commensurate with that of the pumping well. The data, obtained from digital water level

recorders shall be made available to this office on monthly basis

- **Guidelines for Installation of Piezometers and their Monitoring**

Piezometer is a borewell /tubewell used only for measuring the water level by lowering the tape/ sounder or automatic water level measuring equipment. It is also used to take water sample for water quality testing when ever needed. General guidelines for installation of piezometers are as follows:

- The piezometer is to be installed/constructed at the minimum of 50 m distance from the pumping well through which ground water is being withdrawn. The diameter of the piezometer should be about 4" to 6".
- The depth of the piezometer should be same as is case of the pumping well from which ground water is being abstracted. If, more than one piezometers are installed the second piezometer should monitor the shallow ground water regime. It will facilitate shallow as well as deeper ground water aquifer monitoring.
- No. of piezometers to be constructed & Type of water level monitoring mechanism shall be as per below table:

S.No	Quantum of Ground water withdrawal (cum/day)	No.of piezometers required	Monitiring Mechanism	
			Manual	DWLR with Telemetry
1	< 10	0	0	0
2	11 - 50	1	1	0
3	50- 500	1	0	1
4	> 500	2	0	2

- The measuring frequency should be monthly and accuracy of measurement should be up to cm. the reported measurement should be given in meter upto two decimal.
- For measurement of water level sounder or automatic water level recorder (AWLR)/ Digital Automatic water level recorder (DWLR) with telemetry system should be used for accuracy.
- The measurement of water level in piezometer should be taken, only after the pumping from the surrounding tube wells has been stopped for about four to six hours.
- All the details regarding coordinates, reduced level (with respect to mean level), depth, zone taped and assembly lowered should be provided for bringing the piezometer into the Hydrograph Monitoring System for Ground Water Department, Uttar Pradesh, and for its validation.
- The ground water quality has to be monitored twice in a year during pre-monsoon (May/June) and post-monsoon (October/November) periods. Quality may be got analyzed from NABL approved lab. Besides, one sample (1 lt capacity bottle) to the concerned Director, Ground Water Department, Uttar Pradesh, for chemical analysis.
- A Permanent display board should be installed at piezometer/Tube wells site for providing the location, piezometer/ tube well number, depth and zone tapped of piezometer/tube well for standard referencing and identification.
- Any other site specific requirement regarding safety and access for measurement may be taken care of.
- Any other condition(s) that may be imposed by the concerned Authority.
- In case, any of the particulars I information furnished by the applicant in his application for issuance of this permit is found to be incorrect during verification at any subsequent stage, this permit is liable for cancellation.

- **SPECIFIC CONDITIONS:**

- **(A) For Industrial User:** No Objection Certificate for ground water extraction by industries shall be granted subject to the following specific conditions:
 - i) No Objection Certificate shall be granted only in such cases where local government water supply agencies are not able to supply the desired quantity of water.
 - ii) All industries shall be required to adopt latest water efficient technologies so as to reduce dependence on ground water resources.
 - iii) All industries abstracting ground water in excess of 100 m³/d shall be required to undertake annual water audit through Confederation of Indian Industries (CII)/ Federation Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)/ National Productivity Council (NPC) certified auditors and submit audit reports within three months of completion of the same to Ground Water Department Uttar Pradesh. All such industries shall be required to reduce their ground water use by at least 20% over the next five years through appropriate means.
 - iv) Construction of observation well(s) (piezometer)(s) within the premises and installation of appropriate water level monitoring mechanism as mentioned in General Condition no.10 shall be mandatory for industries drawing/ proposing to draw more than 10

450

m³ /day of ground water and. Monitoring of water level shall be done by the project proponent. The piezometer (observation well) shall be constructed at a minimum distance of 50 m from the bore well/production well. Depth and aquifer zone tapped in the piezometer shall be the same as that of the pumping well/ wells. Monthly water level data shall be submitted online to the Ground Water Department, UP.

- v) The proponent shall be required to adopt roof top rain water harvesting/ recharge in the project premises. Industries which are likely to pollute ground water (chemical, pharmaceutical, dyes, pigments, paints, textiles, tannery, pesticides/ insecticides, fertilizers, slaughter house, explosives etc.) shall store the harvested rain water in surface storage tanks for use in the industry.
- vi) Injection of treated/ untreated waste water into aquifer system is strictly prohibited.
- vii) Industries which are likely to cause ground water pollution e.g. Tanning, Slaughter Houses, Dye, Chemical/ Petrochemical, Coal washeries, other hazardous units etc. (as per CPCB list) need to undertake necessary well head protection measures to ensure prevention of ground water pollution.
-
- **(B) Infrastructural User:** The No Objection Certificate for ground water abstraction will be granted subject to the following specific conditions:
 - i) In case of infrastructure projects that require dewatering, proponent shall be required to carry out regular monitoring of dewatering discharge rate (using a digital water flow meter) and submit the data online to Ground Water Department, UP as applicable. Monitoring records and results should be retained by the proponent for two years, for inspection or reporting as required by District Ground Water Management Council.
 - ii) Installation of Sewage Treatment Plants (STP) shall be mandatory for new projects, where ground water requirement is more than 20 m³ /day. The water from STP shall be utilized for toilet flushing, car washing, gardening etc

Date :17/11/2021

Place:Balrampur

This certificate is electronically generated and does not require digital signature



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 PICUP BHAYAN, VIBHUTI KHAND, GOMTINAGAR, LUCKNOW

Ref. No. 10/11/08Date 26/11/08Dated 22-5-08

1. Number of authorisation and date of issue. 84/HOR/26/EPD/08 dt. 27.5.08
2. Mr. Sankar K. Dasgupta of M/s. Bajaj Hindusthan Sugar & Industries Ltd. hereby granted an authorisation to operate a facility for collection, reception, treatment, storage, transport, and disposal of hazardous wastes on the premises situated at Tini Maida, Uttaraula, Distt. Balrampur
3. The authorisation granted to operate a facility for collection, reception, treatment, storage, transport, and disposal of hazardous wastes.
4. The authorisation shall be in force for a period of one year from the date of issue.
5. The authorisation is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act, 1986.

(Dr. C.S. Bhatt)
 Member Secretary

Terms and Conditions of Authorisation

The authorisation is granted for following activities, and quantity of hazardous wastes

Sl. No.	Activity	Nature	Quantity
(i)	Collection		
(ii)	Reception		
(iii)	Treatment		
(iv)	Transport		
(v)	Storage		
(vi)	Disposal		

Waste Oil & grease from E.T.P. 30-100 Kg/d

1. The authorisation is valid for the period indicated above if not suspended or cancelled earlier.
2. The wastes must be safely collected in leakproof containers and shall be duly marked in a manner suitable for handling, storage and transport and the packaging shall be easily visible and be able to withstand physical conditions and climatic factors. All hazardous waste containers / bags shall be provided with a general label as given in form 3. The storage area should be at an isolated spot in the premises and must be fenced, covered and duly marked.
3. The authorised person/agency shall ensure that no adverse impact on the air, soil and water including groundwater takes place due to activities for which authorisation has been requested. Comprehensive safety measures must be followed in handling of wastes and the staff must be properly trained.
4. The authorisation shall comply with the provisions of Environment (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder.
5. The authorisation or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer of the U.P. Pollution Control Board.
6. The person authorised shall not rent, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the U.P. Pollution Control Board.
7. Any unauthorised change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorised shall constitute a breach of the authorisation.
8. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the U.P. Pollution Control Board to close down the facility.
9. An application for the renewal of an authorisation shall be made in form 1, before its expiry as laid down in rule 30 (H). It is further brought to your notice that as per the order dated 15-11-2003 passed by the Honble Supreme Court in W.P. (C) No. 657 of 1993, an industry covered under Hazardous Waste Management and Handling Rules, 1989 (as amended) shall be allowed to operate without valid authorisation. It is also provided in the same orders that industries which are not complying with the conditions of authorisation shall not be allowed to operate. Hence in case you fail

- 10. The applicant must file returns on prescribed Form 4 (copy enclosed) along with a compliance report of this letter and should also maintain records on Form - 3 (copy enclosed) and present it to Board's inspecting officials.
- 11. In case of occurrence of an accident, complete details on Form - 3 must be sent to U.P. Pollution Control Board at the earliest along with details of mitigative and remedial measures taken.
- 12. It is also the mandatory duty of the occupier of industry as well as operator of a facility to develop sanitary waste treatment and permanent disposal facility and the design of the facility must be approved by the Board. Details along with project report must be sent in this regard within fifteen days of the receipt of this letter. Other wise, the industry shall become member of nearby common TSDF being developed or already developed and industry shall start sending the Hazardous waste already stored along with the Hazardous waste being generated at present to this TSDF. The proof of membership of TSDF along with proof of disposal of hazardous waste to TSDF shall be sent to U.P. Pollution Control Board within three months.
- 13. The authorised person shall not receive, collect, or store any hazardous waste from any unauthorised occupier or generator of hazardous wastes. In case any hazardous wastes is sold to any other reprocessing unit it must be ensured that such unit is fully complying with environmental requirements and has a valid authorisation of the Board.
- 14. In no case any hazardous wastes shall be disposed off on land, in any drain or stream. All spillages of hazardous chemicals, used containers, of hazardous chemicals such as flammable corrosive, explosive, and toxic nature must be safely collected and stored. Non-compatible wastes must be suitably and safely handled.
- 15. It is within the powers and functions of the U.P. Pollution Control Board to modify /revoke the terms and conditions of the authorisation issued under the Rule - 6 of Hazardous Wastes Rules, 1989.
- 16. The stored waste shall not be taken out of the storage area except with the written permission of the State Pollution Control Board in this regard.
- 17. You are directed to display on-line data/display board outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emission and solid hazardous waste generated within the factory premises. Necessary compliance should be sent within 15 days of receipt of this letter.
- 18. It is the mandatory duty of the authorised person to comply with the guidelines for transportation of hazardous waste in accordance with rule 7 of Hazardous Waste (Management & Handling) Rules, 1989 (as amended). A document no. HAZWAMS/ZM2003 in this regard has been issued by Central Pollution Control Board and is available on the web site of U.P. Pollution Control Board (www.uppcb.com)
- 19. It should be ensured that hazardous wastes shall be properly collected and packed in HDPE bags and then temporarily stored in a lined RCC tank/pit with suitable shed. Design details in this respects along with time bound proposal may be sent within one month of receiving this letter. Finally the waste has to be sent to nearby common TSDF.
- 20. An ETP audit report of a laboratory approved under E.P. Act shall be submitted along with compliance of this letter of this office.
- 21. Used oil shall be sold only to registered recyclers with Central Pollution Control Board. The record shall be maintained.
- 22. The ETP sludge / incinerated shall be stored in Pucca covered rooms/tanks and then sent for Brick manufacturing only to authorised Brick manufacturer with U.P. Pollution Control Board.
- 23. All recyclers (Waste oil/Lead/Nonferrous metal) shall not operate without obtaining registration from Central Pollution Control Board.
- 24. The occupier, transporter and operator of a facility shall be liable for damages caused to the environment resulting due to improper handling and disposal of hazardous waste listed in schedule 1, 2 and 3 and shall be liable to pay a fine as levied by the State Pollution Control Board under the rules.

Mr. C.S. Dutt
Member Secretary

Copy to :-

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Faizabad

for information and necessary

Chief Env. Engineer (C)

Registered



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PURHILWAN, DISTRICT: KHANNA, GOND NAGAR, UTTAR PRADESH

No.

5/230
26/5/89

Date

23-6-89

1. Number of authorisation and date of issue: 142/11/39/26/Eg, Date: 17-6-89
2. Mr. Sujan Datta of M. Daga Industries (Sugar & Industries) Ltd. is hereby granted an authorisation to operate a facility for collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of hazardous wastes at the premises situated at Maada, Lalitpur, Distt. Bahraich.
3. The authorisation granted to operate a facility for collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of hazardous wastes.
4. The authorisation shall be in force for a period of one year from the date of issue.
5. The authorisation is subject to the conditions stated below and the special conditions as may be specified in the rules for the time being in force under Environmental Protection Act, 1986.

(Signature)
Executive Secretary

Terms and Conditions of Authorisation

The authorisation is granted for following activities and quantity of hazardous wastes:

Sl. No.	Activity	Nature	Quantity
(1)	Collection		
(2)	Reception		
(3)	Treatment		
(4)	Transport	Waste Oil & grease from ETP	50-100 kgs/day
(5)	Storage		
(6)	Disposal		

1. The authorisation is valid for the period indicated above if not suggested or cancelled earlier.
2. The wastes must be safely collected in leak proof containers and shall be duly marked in a manner suitable for handling, storage, and transport and the packaging shall be sturdy, durable and be able to withstand normal conditions and climatic factors. All hazardous waste containers/bags shall be provided with a general label as given in Annexure. The storage area should be at an isolated spot in the premises and must be fenced, covered and duly marked.
3. The authorised person/agency shall ensure that no adverse impact on the air, soil, and water including ground water takes place due to activities for which authorisation has been requested. Comprehensive safety measures must be followed in handling of waste and the staff must be properly trained.
4. The authorisation shall comply with the provisions of Environmental Protection Act, 1986 and rules made thereunder.
5. The authorisation or its copy shall be produced for inspection at the request of an officer of the U.P. Pollution Control Board.
6. The person authorised shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the U.P. Pollution Control Board.
Any unauthorised change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorised shall constitute breach of this authorisation.
7. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the U.P. Pollution Control Board to close down the facility.
8. An application for the renewal of an authorisation shall be made by form 1, before its expiry as laid down in rule 8 of 1986. It is further brought to your notice that as per the order dated 14-11-1983 passed by the Hon'ble Supreme Court in W.P. (C) No. 857 of 1985, the industries covered under Hazardous Waste Management and Handling Rules, 1989 are permitted to be allowed to operate without valid authorisation. It is also provided in the same order that industries which are not complying with the

conditions of authorization shall not be allowed to operate. Hence in case you fail to apply for authorization before its expiry or fail to comply with conditions of the earlier authorization issued to you, closure order shall be issued across your industry without any further notice.

10. The application with the details as prescribed Form-I (copy enclosed) along with a compliance report of this letter and should also maintain records on Form-II (copy enclosed) and present it to Board's inspecting officials.
11. In case of occurrence of an accident, complete details on Form - 3 must be sent to U.P. Pollution Control Board at the earliest along with details of mitigative and remedial measures taken.
12. It is also the mandatory duty of the occupier of industry as well as operator of a facility to develop suitable waste treatment and permanent disposal facility and the design of the facility must be approved by the Board. Details along with project report must be sent in this regard within fifteen days of the receipt of this letter. Otherwise, the industry shall become member of nearby common TSD* being developed or already developed and industry shall start sending the hazardous waste already stored along with the hazardous waste being generated at present to this TSD*. The proof of membership of TSD* along with proof of disposal of hazardous waste to TSD* shall be sent to U.P. Pollution Control Board within three months.
13. The authorized person shall not be held liable if some hazardous waste from an authorized recipient/ generator of hazardous waste is found in hazardous waste by U.P. Pollution Control Board and it must be ensured that such unit is fully complying with environmental requirements and has a valid authorization of the Board.
14. In no case any hazardous wastes shall be disposed off on land, in any drain or stream. All spillages of hazardous chemicals, used containers of hazardous chemicals such as flammable, corrosive, explosive, and toxic nature must be safely collected and stored. Non-combustible wastes must be suitably and safely handled.
15. It is within the powers and functions of the U.P. Pollution Control Board to modify/revise the terms and conditions of the authorization issued under the Proviso of the Hazardous Wastes rules, 1989.
16. The stored waste shall not be taken out of the storage area except with the written permission of the State Pollution Control Board in this regard.
17. You are directed to display on a line Jan/Display Board outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emission and solid hazardous waste generated within the factory premises. Necessary compliance should be sent within 15 days of receipt of this letter.
18. It is the mandatory duty of the authorized person to comply with the guidelines for transportation of hazardous waste in accordance with rule 7 of Hazardous Waste (Management & Handling) Rules 1989 (as amended). A document no. HAZWMS/23/2003 in this regard has been issued by Central Pollution Control Board and is available on the web site of U.P. Pollution Control Board (www.uppcb.gov.in).
19. It should be ensured that hazardous wastes shall be properly collected and packed in HDPE bags and then temporarily stored in a lined RCC tank/pit with suitable shed. Design details in this respect along with time bound proposal may be sent within one month of receiving this letter. Finally the waste has to be sent to nearby common TSD*.
20. An ETP (sludge test report of a laboratory approved under U.P. Act shall be submitted along with compliance of this letter to this office.
21. Used oil shall be sold only to registered recycler with Central Pollution Control Board. The record shall be maintained.
22. The ETP sludge generated shall be stored in Pucca covered room/tanks and transported to common TSD* regularly.
23. All recyclers (Waste of Lead/Non-ferrous metal) shall be operate without obtaining registration from Central Pollution Control Board.
24. The occupier, transporter and operator of facility shall be liable for damages caused to the environment resulting due to improper handling and disposal of hazardous waste listed in schedule I, 2, and 3 and shall be liable to pay a fine as levied by the State Pollution Control Board under the rules.

(Dr. G. S. Bhatnagar)
Member Secretary

copy 10/-

Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Prayagraj for information and necessary action.

Chief Environmental Officer (C.E.O.)



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PICUP BHAWAN, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

11

F74115

Ref.

IC-6/Haz/26/Fzd'

Dated

6-10-10

1. Number of authorization and dater of issue 233/Haz/26/Fzd No dt-28-9-10
Mr Saket Bansal of M/s Bajaj Hindustan Sugar & Industries Ltd, is hereby granted an authorisation to operate a facility for collection, reception, treatment, storage transport and disposal of hazardous wastes on the premises situated at Itai Maida, Uttraula, Distt-Balrampur
2. The authorisation granted to operate a facility for collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of hazardous wastes.
3. The authorisation shall be in force for a period of One year from the date of issue.
4. The authorisation is subject to the conditions stated below and the such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act. 1986

(Dr. C.S.Bhatti)
Member Secretary

Terms and conditions of Authorisation

The authorisation is granted for following activities, and quantity of hazardous wastes

Sl.No.	Activity	Nature	Quantity
(1)	Collection		
(2)	Reception		
(3)	Treatment		
(4)	Transport	Waste oil & grease from ETP	80—100 Kg/d
(5)	Storage		
(6)	Disposal		

1. The authorisation is valid for the period indicated above if not suspended or cancelled earlier.
2. The wastes must be safely collected in leak proof containers and shall be duly marked in a manner suitable for handling, storage and transport and the packaging shall be easily visible and be able to withstand physical conditions and climatic factors. All hazardous waste containers / bags shall be provided with a general label as given in form 8. The storage area should be at an isolated spot in the premises and must be fenced, covered and duly marked.
3. The authorised person/agency shall ensure that no adverse impact on the air, soil and water including ground water takes place due to activities for which authorisation has been requested. Comprehensive safety measures must be followed in handling of wasted and the staff must be properly trained.
4. The authorisation shall comply with the provisions of Environment (Protection) Act 1986 and rules made there under.
5. The authorisation or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer of the U.P. Pollution Control Board.
6. The person authorised shall not rent lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the U.P. Pollution Control Board.
7. Any unauthorised change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorised shall constitute a breach of this authorisation.
8. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the U.P. Pollution Control Board to close down the facility.
9. An application for the renewal of an asuthorisation shall be made in form 1, before its expiry as laid down in rule-5 (6) (ii). It is further brought to your notice that as per the order dated 14-11-2003 passed by the Hon'ble Supreme Court in W.P. (c) No. 657 of 1995. no industry covered under Hazardous Waste (Management and Handling) Rules 1989 (as amended) shall be allowed to operate without valid authorisation. It is also provided in the same orders that industries which are not complying with the conditions of aulthorisation shall not be allowed to operate. Hence in case you fail to apply for authorisation, before its expiry or fail to comply with conditions of the earlier authorisation issued to you, closure order shall be issued against your industry without any further notice.
10. The applicant must file returns on prescribed Form 4 (copy enclosed) along with a compliance report of these officials.
11. In case of occurrence of an accident, complete details on Form - 5 must be sent to U.P. Pollution Control Board at the earliest along with details of mitigative and remedial measures taken.

12. It is also the mandatory duty of the occupier of industry as well as operator of a facility to develop suitable waste treatment and permanent disposal facility and the design of the facility must be approved by the letter. Otherwise, the industry shall become member of nearby common TSDF being developed or already developed and industry shall start sending the Hazardous waste already stored along with the Hazardous waste being generated at present to this TSDF. The proof of membership of TSDF along with proof of disposal of Hazardous waste to TSDF shall be sent to U.P. Pollution Control Board within three months.
13. The authorised person shall not receive, collect, or store any hazardous waste from any unauthorised occupier or generator as hazardous wastes. In case any hazardous wastes is sold to any other reprocessing unit it must be ensured that such unit is fully complying with environmental requirements and has a valid authorisation of the Board.
14. In no case any hazardous wastes shall be disposed off on land, in any drain or stream. All spillages of hazardous chemicals, used containers, of hazardous chemicals such as flammable corrosive, explosive, and toxic nature must be safely collected and stored. Non-compatible wastes must be suitably and safely handled.
15. It is within the powers and functions of the U.P. Pollution Control to modify/revoke the terms and conditions of the authorisation issued under the Rule-6 of Hazardous Wastes rules, 1989.
16. The stored waste shall not be taken out of the storage area except with the written permission of the State Pollution Control Board in this regard.
17. You are directed to display on - line data/display Board outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emission and solid hazardous waste generated within the factory premises. Necessary compliance should be sent within 15 days of receipt of this letter.
18. It is the mandatory duty of the authorised person to comply with the guidelines for transportation of hazardous waste in accordance with rule 7 of Hazardous Waste (Management & Handling) Rules 1989 (as amended). A document no. HAZWAMS/23/2003 in this regard has been issued by Central Pollution Control Board and is available on the web site of U.P. Pollution Control Board (www.uppcb.com).
19. It should be ensured that hazardous wastes shall be properly collected and packed in HDPE bags and then temporarily stored in a lined RCC tank/pit with suitable shed. Design details in this respects along with time bound proposal may be sent within one month of receiving this letter. Finally the waste has to be sent to nearby common TSDF.
20. An ETP sludge test report of a laboratory approved under E.P. Act shall be submitted along with compliance of this letter of this office.
21. Used oil shall be sold only to registered recyclers with Central Pollution Board. The record shall be maintained.
22. The ETP sludge/incinerated shall be stored in Pucca covered rooms/tanks and transported to common TSDF regularly.
23. All recyclers (Waste oil/Lead/Nor-rrous metal) shall be operate without obtaining registration from Central Pollution Control Board.
24. The occupier, transporter and operator of facility shall be liable for damages caused to the environment resulting due to improper handling and disposal of hazardous waste listed in schedule 1.2 and 3 and shall be liable to pay a fine as levied by the State Pollution Control Board under the rules.

(Dr. C.S. Bhatt)
Member secretary

copy to:-

Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Faizabad for information and necessary action.

[Signature]
Chief Environmental Officer(C-6)



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
PICUP BHAWAN, VIBHUTI KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW

Ref.

IC-6/Haz/26/FZB

Dated

11-9-12

1. Number of authorization and dater of issue 300 / Haz/26/FZB, Date-07-9-2012
Mr Saket Bansal of M/s Bajaj Hindustan Sugar & Industries Ltd, is hereby granted an authorization to operate a facility for collection, reception, treatment, storage transport and disposal of hazardous wastes on the premises situated at Itai Maida, Utraula, Distt. Balrampur.
2. The authorization granted to operate a facility for collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of hazardous wastes.
3. The authorization shall be in force for a period of three year from the date of issue.
4. The authorization is subject to the conditions stated below and such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act. 1986

(J. S. Yadav)
Member Secretary (I)

Terms and conditions of Authorization

The authorization is granted for following activities, and quantity of hazardous wastes

Sl. No.	Activity	Nature	Quantity
(1)	Collection		
(2)	Reception		
(3)	Treatment	Waste Oil & grease	80-100 Kg/day
(4)	Transport	from ETP	
(5)	Storage		
(6)	Disposal		

1. The authorization is valid for the period indicated above if not suspended or cancelled earlier.
2. The wastes must be safely collected in leak proof containers and shall be duly marked in a manner suitable for handling, storage and transport and the packaging shall be easily visible and be able to withstand physical conditions and climatic factors. All hazardous waste containers / bags shall be provided with a general label as given in form 8. The storage area should be at an isolated spot in the premises and must be fenced, covered and duly marked.
3. The authorized person/agency shall ensure that no adverse impact on the air, soil and water including ground water takes place due to activities for which authorization has been requested. Comprehensive safety measures must be followed in handling of wasted and the staff must be properly trained.
4. The authorization shall comply with the provisions of Environment (Protection) Act 1986 and rules made there under.
5. The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer of the U.P. Pollution Control Board.
6. The person authorized shall not rent lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the U.P. Pollution Control Board.
7. Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of this authorization.
8. It is the duty of the authorized person to take prior permission of the U.P. Pollution Control Board to close down the facility.
9. An application for the renewal of an authorization shall be made in form 1, before its expiry as laid down in rule-5 (6) (ii). It is further brought to your notice that as per the order dated 14-11-2003 passed y the Hon'ble Supreme Court in W.P. (c) No. 657 of 1995. No industry covered under Hazardous Waste (Management and Handling) Rules 1989 (as amended) shall be allowed to operate without valid authorization. It is also provided in the same orders that industries which are not complying with the conditions of authorization shall not be allowed to operate. Hence in case you fail to apply for authorization, before its expiry or fail to comply with conditions of the earlier authorization issued to you, closure order shall be issued against your industry without any further notice.
10. The applicant must file returns on prescribed Form 4 (copy enclosed) along with a compliance report of these officials.
11. In case of occurrence of an accident, complete details on Form - 5 must be sent to U.P. Pollution Control Board at the earliest along with details of meditative and remedial measures taken.

12. It is also the mandatory duty of the occupier of industry as well as operator of a facility to develop suitable waste treatment and permanent disposal facility and the design of the facility must be approved by the letter. Otherwise, the industry shall become member of nearby common TSDF being developed or already developed and industry shall start sending the Hazardous waste already stored along with the Hazardous waste being generated at present to this TSDF. The proof of membership of TSDF along with proof of disposal of Hazardous waste to TSDF shall be sent to U.P. Pollution Control Board within three months.
13. The authorized person shall not receive, collect, or store any hazardous waste from any unauthorized occupier or generator as hazardous wastes. In case any hazardous wastes is sold to any other reprocessing unit it must be ensured that such unit is fully complying with environmental requirements and has a valid authorization of the Board.
14. In no case any hazardous wastes shall be disposed off on land, in any drain or stream. All spillages of hazardous chemicals, used containers, of hazardous chemicals such as flammable corrosive, explosive, and toxic nature must be safely collected and stored. Non-compatible wasted must be suitably and safely handled.
15. It is within the powers and functions of the U.P. Pollution Control to modify/revoke the terms and conditions of the authorization issued under the Rule-6 of Hazardous Wastes rules, 1989.
16. The stored waste shall not be taken out of the storage area except with the written permission of the State Pollution Control Board in this regard.
17. You are directed to display on - line data/display Board outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emission and solid hazardous waste generated within the factory premises. Necessary compliance should be sent within 15 days of receipt of this letter.
18. It is the mandatory duty of the authorized person to comply with the guidelines for transportation of hazardous waste in accordance with rule 7 of Hazardous Waste (Management & Handling) Rules 1989 (as amended). A document no. HAZWAMS/23/2003 in this regard has been issued by Central Pollution Control Board and is available on the web site of U.P. Pollution Control Board (www.uppcb.com).
19. It should be ensured that hazardous wastes shall be properly collected and packed in HDPE bags and then temporarily stored in a lined RCC tank/pit with suitable shed. Design details in this respect along with time bound proposal may be sent within one month of receiving this letter. Finally the waste has to be sent to nearby common TSDF.
20. An ETP sludge test report of a laboratory approved under E.P. Act shall be submitted along with compliance of this letter of this office.
21. Used oil shall be sold only to registered recyclers with Central Pollution Board. The record shall be maintained.
22. The ETP sludge/incinerated shall be stored in Pucca covered rooms/tanks and transported to common TSDF regularly.
23. All recyclers (Waste oil/Lead/Nonferrous metal) shall be operating without obtaining registration from Central Pollution Control Board.
24. The occupier, transporter and operator of facility shall be liable for damages caused to the environment resulting due to improper handling and disposal of hazardous waste listed in schedule 1.2 and 3 and shall be liable to pay a fine as levied by the State Pollution Control Board under the rules.


(J. S. Yadav)

Member Secretary (I)

Copy to:-

The Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Faizabad for information and necessary action.

Chief Environmental Officer(C-6)




Ref.

/C-6/Haz/26 /FZB

Dated

3-12-15

1. Number of authorization and dater of issue ¹²401 /Haz/26/FZB/15dt.21/M/s Bajaj Hindustan Sugar & Industries Ltd. is hereby granted an authorization to operate a facility for collection, reception, treatment, storage transport and disposal of hazardous wastes on the premises situated at Ittai Maida,Utraula,Distt- Balrampur.
2. The authorization granted to operate a facility for collection, reception, treatment, storage, transport and disposal of hazardous wastes.
3. The authorization shall be in force for a period of Five years from the date of issue.
4. The authorization is subject to the conditions stated below and such conditions as may be specified in the rules for the time being in force under the Environment (Protection) Act. 1986


(S.C. Yadav)
Member Secretary

Terms and conditions of Authorization

The authorization is granted for following activities, and quantity of hazardous wastes

Sl. No.	Activity	Category	Nature & Quantity	Mode of Disposal
(i)	Collection	----	----	----
(ii)	Reception	----	----	----
(iii)	Treatment	----	----	----
(iv)	Transport	----	----	----
(v)	Storage	----	----	----
(vi)	Disposal	5.1	20-30Kg/day	Burn in boiler mixed with baggase.

Waste oil & grease from ETP

- The authorization is valid for the period indicated above if not suspended or cancelled earlier.
- The wastes must be safely collected in leak proof containers and shall be duly marked in a manner suitable for handling, storage and transport and the packaging shall be easily visible and be able to withstand physical conditions and climatic factors. All hazardous waste containers / bags shall be provided with a general label as given in form 8. The storage area should be at an isolated spot in the premises and must be fenced, covered and duly marked.
- The authorized person/agency shall ensure that no adverse impact on the air, soil and water including ground water takes place due to activities for which authorization has been requested. Comprehensive safety measures must be followed in handling of wasted and the staff must be properly trained.
- The authorization shall comply with the provisions of Environment (Protection) Act 1986 and rules made there under.
- The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer of the U.P. Pollution Control Board.
- The person authorized shall not rent lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous wastes without obtaining prior permission of the U.P. Pollution Control Board.
- Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of this authorization.
- It is the duty of the authorized person to take prior permission of the U.P. Pollution Control Board to close down the facility.
- An application for the renewal of an authorization shall be made in form 1, before its expiry as laid down in rule-5 (6) (ii). It is further brought to your notice that as per the order dated 14-11-2003 passed y the Hon'ble Supreme Court in W.P. (c) No. 657 of 1995. No industry covered under Hazardous Waste (Management and Handling) Rules 1989 (as amended) shall be allowed to operate without valid authorization. It is also provided in the same orders that industries which are not complying with the conditions of authorization shall not be allowed to operate. Hence in case you fail to apply for authorization, before its expiry or fail to comply with conditions of the earlier authorization issued to you, closure order shall be issued against your industry without any further notice.
- The applicant must file returns on prescribed Form 4 (copy enclosed) along with a compliance report of these officials.

11. In case of occurrence of an accident, complete details on Form - 5 must be sent to U.P. Pollution Control Board at the earliest along with details of meditative and remedial measures taken.
12. It is also the mandatory duty of the occupier of industry as well as operator of a facility to develop suitable waste treatment and permanent disposal facility and the design of the facility must be approved by the letter. Otherwise, the industry shall become member of nearby common TSDF being developed or already developed and industry shall start sending the Hazardous waste already stored along with the Hazardous waste being generated at present to this TSDF. The proof of membership of TSDF along with proof of disposal of Hazardous waste to TSDF shall be sent to U.P. Pollution Control Board within three months.
13. The authorized person shall not receive, collect, or store any hazardous waste from any unauthorized occupier or generator as hazardous wastes. In case any hazardous wastes is sold to any other reprocessing unit it must be ensured that such unit is fully complying with environmental requirements and has a valid authorization of the Board.
14. In no case any hazardous wastes shall be disposed off on land, in any drain or stream. All spillages of hazardous chemicals, used containers, of hazardous chemicals such as flammable corrosive, explosive, and toxic nature must be safely collected and stored. Non-compatible wasted must be suitably and safely handled.
15. It is within the powers and functions of the U.P. Pollution Control to modify/revoke the terms and conditions of the authorization issued under the Rule-6 of Hazardous Wastes rules, 1989.
16. The stored waste shall not be taken out of the storage area except with the written permission of the State Pollution Control Board in this regard.
17. You are directed to display on - line data/display Board outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emission and solid hazardous waste generated within the factory premises. Necessary compliance should be sent within 15 days of receipt of this letter.
18. It is the mandatory duty of the authorized person to comply with the guidelines for transportation of hazardous waste in accordance with rule 7 of Hazardous Waste (Management & Handling) Rules 1989 (as amended). A document no. HAZWAMS/23/2003 in this regard has been issued by Central Pollution Control Board and is available on the web site of U.P. Pollution Control Board (www.uppcb.com).
19. It should be ensured that hazardous wastes shall be properly collected and packed in HDPE bags and then temporarily stored in a lined RCC tank/pit with suitable shed. Design details in this respect along with time bound proposal may be sent within one month of receiving this letter. Finally the waste has to be sent to nearby common TSDF.
20. An ETP sludge test report of a laboratory approved under E.P. Act shall be submitted along with compliance of this letter of this office.
21. Used oil shall be sold only to registered recyclers with Central Pollution Board. The record shall be maintained.
22. The ETP sludge/incinerated shall be stored in Pucca covered rooms/tanks and transported to common TSDF regularly.
23. All recyclers (Waste oil/Lead/Nonferrous metal) shall be operate without obtaining registration from Central Pollution Control Board.
24. The occupier, transporter and operator of facility shall be liable for damages caused to the environment resulting due to improper handling and disposal of hazardous waste listed in schedule 1.2 and 3 and shall be liable to pay a fine as levied by the State Pollution Control Board under the rules.

(S.C. Yadav)
Member secretary

Copy to:-

The Regional Officer, U.P. Pollution Control Board Basti for information and necessary action.

Environmental Engineer(C-6)

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831 Fax:0522-2720764 Email: info@uppcb.com Website: www.uppcb.com

Ref. No : 13253/UPPCB/Basti(LAB)/HWM/BALRAMPUR/2020**Dated :04/12/2020**

To,

M/s BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA

Bajaj Hindusthan Sugar Ltd vill-Itai Maida ,Post-Sridutta ganj,BALRAMPUR,271607

Tehsil :Balrampur**District :BALRAMPUR****Sub :-** Authorisation issued under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016

1. Number of authorization and date of issue 13253 and 04/12/2020 .
2. Reference of application (No. and date) 9882483 and 03/11/2020 .
3. Mr AVDESH KUMAR GUPTA of M/s BAJAJ HINDUSTHAN SUGAR LIMITED UTRAULA is hereby granted an authorization based on the enclosed signed inspection report for generation, collection, utilization, storage and disposal or any other use of hazardous or other wastes or both on the premises situated at .

Details of Authorisation

S No.	Category of Hazardous Waste as per the Schedules I,II and III of these rules	Authorised mode of disposal or recycling or utilization or co-processing, etc.	Quantity(ton/annum)
1	Cat. 5.1 of Schedule-1	Mixed with bagasse and burnt in boiler	4.5 KL/Annum

1. The authorization shall be valid for a period of 31/12/2025 from the date of issue of this letter .
2. The authorization is subject to the following general and specific conditions (please specify any conditions that need to be imposed over and above general conditions, if any) .

A General Conditions of Authorization -

1. The authorised person shall comply with the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, and the rules made there under .
2. The authorisation or its renewal shall be produced for inspection at the request of an officer authorised by the State Pollution Board .
3. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous and other wastes except what is permitted through this authorization .
4. Any unauthorized change in personnel, equipment or working conditions as mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach of his authorisation .
5. The person authorised shall implement Emergency Response Procedure (ERP) for which this authorisation is being granted considering all site specific possible scenarios such as spillages, leakages, fire etc. and their possible impacts and also carry out mock drill in this regard at regular interval of time .

6. The person authorised shall comply with the provisions outlined in the Central Pollution Control Board guidelines on Implementing Liabilities for Environmental Damages due to Handling and Disposal of Hazardous Waste and penalty .
7. It is the duty of the authorised person to take prior permission of the State Pollution Control Board to close down the facility .
8. The imported hazardous and other wastes shall be fully insured for transit as well as for any accidental occurrence and its clean-up operation .
9. The record of consumption and fate of the imported hazardous and other wastes shall be maintained .
10. The hazardous and other waste which gets generated during recycling or reuse or recovery or pre-processing or utilisation of imported hazardous or other wastes shall be treated and disposed of as per specific conditions of authorisation .
11. The importer or exporter shall bear the cost of Import or export and mitigation of damages if any
12. An application for the renewal of an authorisation shall be made as laid down under these Rules .
13. Any other conditions for compliance as per the Guidelines issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Changes or Central Pollution Control Board from time to time .
14. Annual return shall be filed by June 30th for the period ensuring 31st March of the year .
15. The Unit will file the renewal application at least 2 months prior to the expiry of this Order.

B Specific Conditions of Authorization

1. The authorization shall be valid upto dated 31.12.2025, if not suspended or cancelled earlier.
2. The wastes must be safely collected in leak proof containers and shall be duly marked in a manner suitable for handling, storage and transport and the packaging shall be easily visible and be able to withstand physical conditions and climatic factors. All hazardous waste containers / bags shall be provided with a general label. The storage area should be at an isolated spot in the premises and must be fenced, covered and duly marked.
3. The authorized person/agency shall ensure that no adverse impact on the air, soil and water including groundwater takes place due to activities for which authorization has been requested. Comprehensive safety measures must be followed in handling of wastes and the staff must be properly trained.
4. It is brought to your notice that as per the order dated 14-11-2003 passed by the Hon'ble Supreme Court in W.P. (c) No. 657 of 1995, no industry covered under Hazardous and other Wastes (Management and Tran boundary Movement) Rules, 2016 shall be allowed to operate without valid authorization. It is also provided in the same orders that industries which are not complying with the conditions of authorization shall not be allowed to operate. Hence in case you fail to apply for authorization, before its expiry or fail to comply with conditions of the earlier authorization issued to you, closure order shall be issued against your industry without any further notice.
5. The applicant must file returns on prescribed Form- 4 along with a compliance report of this letter and should also maintain records on Form 3 and present it to Board's inspecting officials.
6. In case of occurrence of an accident, complete details on form must be sent to U.P. Pollution Control Board at the earliest along with details of mitigate and remedial measures taken.
7. The authorized person/agency shall not receive, collect, or store any hazardous waste from any unauthorized occupier or generator of hazardous wastes. In case any hazardous wastes is sold to any other reprocessing unit it must be ensured that such unit is fully complying with environmental

requirements and has a valid authorization of the Board.

8. In no case any hazardous wastes shall be disposed off on land, in any drain or stream. All spillages of hazardous chemicals, used containers, of hazardous chemicals such as flammable corrosive, explosive and toxic nature must be safely collected and stored. Non-compatible wastes must be suitably and safely handled.
9. It is within the powers and functions of the U.P. Pollution Control Board to modify / revoke the terms and conditions of the authorization/Registration issued under the Rule – 7 of Hazardous and Other Wastes (Management and Tran boundary Movement) Rules, 2016.
10. You are directed to display on-line data/display board outside the main factory gate with regard to quantity and nature of hazardous chemicals being handled in the plant, including waste water and air emission and solid hazardous waste generated within the factory premises. Necessary compliance should be sent within 15 days of receipt of this letter.
11. It is the mandatory duty of the authorized person/agency to comply with the guidelines for transportation of hazardous waste in accordance with rule 18 of Hazardous and Other Waste (Management and Tran boundary Movement) Rules, 2016.
12. It should be ensured that hazardous wastes shall be properly collected and packed in HDPE bags and then temporarily stored in a lined RCC tank/pit with suitable shed.
13. An ETP sludge test report of a laboratory approved under E.P. Act shall be submitted along with compliance of this letter of this office.
14. Used oil shall be sold only to recyclers registered with U.P. Pollution Control Board. The record shall be maintained.
15. The occupier, transporter and operator of a facility shall be liable for damages caused to the environment resulting due to improper handling and disposal of hazardous waste listed in schedule 1,2, and 3 and shall be liable to pay a fine as levied by the State Pollution Control Board under the rules.
16. Details of raw material (which is Hazardous waste) and product along with quantity shall be sent within a month.
17. You shall become the member of any common TSDF for S.L.F. which has been authorized by UPPCB and send the stored hazardous wastes for final disposal to the TSDF and report back to U.P.P.C.B. with the required manifesto (document of proof) within one/three month of this letter.
18. The unit shall ensure that H.W. is regularly sent to Authorized common TSDF and shall not store for more than 90 days in accordance with under rule 8 of HOWM Rules, 2016.
19. Emission from the Common/Captive incinerator stack shall meet the prescribed standards under Environmental Protection Act. 1986.
20. Copies of Hazardous Waste Manifest in Form-10 shall be sent regularly to UPPCB for each category of waste sent to TSDF/Incinerator.
21. This authorization/Registration is valid till the industry is having valid consent as per the provisions of Air(Prevention and Control of Pollution) Act 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.
22. Industry shall comply the provisions of EP Act, 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as amended, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended and E-waste (Management and Handling) Rules, 2016.
23. The authorized actual user of hazardous and other wastes shall maintain records of hazardous and other wastes purchased in a passbook issued by the State Pollution Control Board along with the authorization.
24. The industry shall submit copy of logbook of mixing the hazardous waste with bagasse and incinerated in boilers within 15 days.
25. The industry shall submit the colored photo graph of display board within 15 days.

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Copy to: To the Regional Officer, U.P.Pollution Control Board, Basti for information and necessary action .

CEO/EE, I/C Circle_____



Legal Vibes <legalvibes.lawfirm@gmail.com>

**O.A. No.913/2022 Titled as Manav Sewa Sansthan & Anr. Vs. Union of India & Ors.
(List of Documents)**

1 message

Legal Vibes <legalvibes.lawfirm@gmail.com>

Mon, Apr 21, 2025 at 10:18 PM

To: litigation.life@gmail.com, secy-moef@nic.in, ms@uppcb.com, mscb.cpcb@nic.in

Cc: Sanjeev kumar Singh <sanjeevsingh2102@gmail.com>, bhishm pratap <bhishm.pratap4@gmail.com>

Dear all,

Please find the attached scanned copy of the list of documents filed on behalf of the Respondent No.4 (M/s. Bajaj Hindusthan Sugar Ltd.) Before the Hon'ble NGT in O.A No.913/2022.

Kindly accept the advance service in the above captioned matter.



DOCUMENTS.pdf

--

*Thanks & Regards,****Legal Vibes Law Firm****G-27, First Floor,**Jangpura Extension**New Delhi-110014**Ph: 011-43580335*